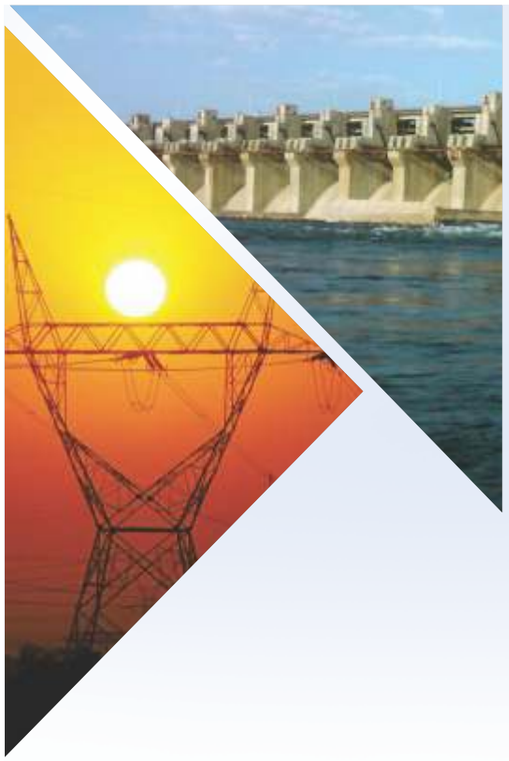

वार्षिक रिपोर्ट

2017-2018

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

तृत्तीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग

36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष : +91 11 2335303 • फेक्स: +91 11 23753923

www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने भारत में विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

कई वर्षों से आयोग नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रों के विकास का कार्य करता रहा है। ग्रिड में समेकित नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के लिए प्रभावी उपाय के रूप में आयोग ने विभिन्न विद्युत प्रणाली घटकों के वास्तविक समय डाटा की उपलब्धता के लिए आवश्यकता का पता लगाया। तदनुसार संचार प्रणालियों की योजना के लिए तंत्र, अपनाई जाने वाले मानकों/प्रोटोकोल और विभिन्न संगठनों की भूमिका और उत्तरदायित्व की आवश्यकता महसूस की गई जो विद्युत क्षेत्र के लिए संचार प्रणालियों की विवेचनीयता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में केविविआ ने विद्युत अंतरराज्कि पारेषण के लिए संचार प्रणाली से संबंधित विनियमों को अधिसूचित किया। इन विनियमों में बाजार प्रचालन सहित विद्युत प्रणाली प्रचालन और नियंत्रण के लिए डाटा उपलब्धता की सतत उपलब्धता के लिए प्रणाली में सहभागियों और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली नियमावली, मार्गनिर्देश और मानकों की व्यवस्था है। इन विनियमों में राष्ट्रीय ग्रिड के समेकित प्रचालन के लिए डाटा विनिमय सहित सभी संचार अपेक्षाओं के लिए विश्वसनीय संचार प्रणाली का उन्नयन और प्रचालन व रखरखाव, योजना, कार्यान्वयन से संबंधित है।

आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर सूक्ष्म निगरानी रखी है। वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियम से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों को अधिसूचित किया है जिसके माध्यम से आयोग ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक पर आधारित ग्रिड पावर परियोजनओं के लिए टैरिफ अवधारण के लिए टैरिफ संरचना और डिजाइन, वित्तीय सिद्धांत, प्रचालनगत मानदण्ड और तकनीक विनिर्दिष्ट पैरामीटरों को विनिर्दिष्ट किया है। क्षेत्र के परिवर्तित बाजार वास्तविकता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोग ने नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के संबंध में जैनरिक टैरिफ के अवधारण से प्रस्थान किया है। यह निर्णय किया गया कि इन नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के संबंध में परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ अगली नियंत्रण अवधि के लिए (2017–2020) के लिए अवधारित किया जाएगा।

बाजार विकास आयोग को अधिदेशित एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत बाजार, पारेषण बुनियादी ढांचा के प्रचालन को सरल बनाने के उद्देश्य से यह आधार है। निर्बाध पहुंच, प्रभारों और हानियों इत्यादि की शेयरिंग पर मौजूदा विनियमों की समीक्षा की गई है और सामान्य नेटवर्क पहुंच में ड्राफ्ट विनियमों को तैयार किया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के योजना और विकास में पर्याप्तता सुनिश्चित करना है।

आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों और अन्य उत्पादन केन्द्रों के कोयला/लिग्नाइट/गैस यूनिट के लिए विस्तृत प्रचालन क्रियाविधि प्रकाशित की है और तकनीकी न्यूनतम अनुसूची से नीचे अनुसूचीकरण पर रिजर्व शटडाउन के अधीन ऐसी यूनिटों को लिया है। इस क्रियाविधि में अन्य बातों के साथ–साथ विनिर्दिष्ट ग्रिड शर्तों में किए जाने वाले यूनिट या उत्पादन केन्द्रों का पता लगाने के लिए पद्धति को भी शामिल किया गया है।

आयोग ने विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) और साफिर की गतिविधियों को इसके संसाधनों को उपलब्ध करवाते हुए समर्थन किया एवं इन संस्थाओं को सचिवीय सेवायें प्रदान की है।

विनियामक फोरम अध्यक्ष केविविआ की अध्यक्षता के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन निगमित निकाय है। एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्ष एफओआर के सदस्य हैं। फोरम ने वर्ष के दौरान 4 बैठकें की और कई विवेचनीय विषयों पर सहमति हुई। फोरम ने "ग्रिड पर विद्युत वाहनों का प्रभाव", "लागत जमा टैरिफ की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ – विवेचनीय विश्लेषण" और "मांग पक्ष प्रबंधन पर रिपोर्ट" पर अध्ययन किए।

विनियामक फोरम की तकनीकी समिति गठित की गई जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य एवं नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के राज्य आयोगों के तकनीकी सदस्य शामिल थे ताकि नवीकरणीय उर्जा समृद्ध राज्यों में पवन एवं सौर उत्पादकों के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन पर फ्रेमवर्क सरल बनाया जा सके। इसके आरंभ से आयोग ने नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के प्रभावी समेकन को सरल बनाने और विश्वसनीय एवं सुरक्षित भारतीय ग्रिड के विकास के लिए विनियामक आधार निर्धारित करने के लिए विवेचनीय कदम उठाए हैं। समिति ने राज्य स्तरीय हाइड्रो संयंत्रों के लिए मॉडल विनियमों और आरपीओ वेबटूल, स्मार्ट मीटर, 5 मिनट समय ब्लॉक की शुरूआत, उत्पादक स्रोतों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रादेशिक सहयोग पर रिपोर्ट, राज्यों के लिए नवीकरणीय उर्जा स्रोतों, मॉडल डीएसएम विनियमों के लिए विद्युत फ्रेमवर्क में संव्यवहारों की अनुसूचीकरण, लेखांकन, मॉनिटरिंग व व्यवस्थापन (समस्त) को प्रकाशित किया। समिति प्रादेशिक सहयोग, 5 मिनट अनुसूचीकरण, सहायक सेवाओं, रिजर्व आदि से संबंधित विषयों पर कार्य कर रही है।

आयोग अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में सभी स्टेकहोल्डरों से उनके सतत सहयोग की कामना करता है।

पी.के. पुजारी

विषय सूची

1.	आयोग	11
2.	मिशन विवरण	15
3.	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण	19
4.	पूर्व वर्ष एक अवलोकन	29
5.	विनियामक प्रक्रियाएं तथा कार्यवाहियां	35
6.	वर्ष 2017–18 के दौरान गतिविधियां	39
7.	उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष	91
8.	2017–18 के दौरान जारी अधिसूचनाएं	95
9.	वर्ष 2018–19 के लिए कार्यसूची	99
10.	खातों की वार्षिक विवरणी	103
11.	आयोग का मानव संसाधन	107
	अनुबंध	111

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल/एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधिकरण
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड माकेर्ट
डिस्काम	वितरण कंपनी
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम

एफओआर	विनियामक फोरम
एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एसपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनिमय
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर–राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमएमसी	बाजार मानिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच
एमयू	मिलियन यूनिट

एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ
एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
निपको	उत्तर–पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईआर	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनिमय लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र

आईएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
आरएलएनजी	पुनगैसीकृत लिक्वीफाईड प्राकृतिक गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजीवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुंच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की ट्रेफिक अधिकरण
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार

1
आयोग

1. आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने "सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफो को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।"

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध–न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

अधिदेश

जैसाकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :–

(क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

(ग) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

(घ) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(ङ) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

(च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

(छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;

(ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

(ञ) विद्युत के अंतर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

(ठ) केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

(ii) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;

(iii) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2

मिशन विवरण

2. मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह देने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य :–

क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।

ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।

ग. अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।

घ. अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।

ङ विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

च. सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।

छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।

ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

क. सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।

ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।

ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।

घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।

ङ विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।

च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3

अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री पी.के.पुजारी
अध्यक्ष
(1 फरवरी 2018 – कार्यरत)

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, श्री पी.के. पुजारी ने वर्ष 1981 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें गुजरात केडर आबंटित किया गया। अपने कैरियर के दौरान, उन्हे गुजरात में विभिन्न विभागों/मंत्रालयों और साथ ही केंद्र सरकार में बिजली, वाणिज्यिक कर, वित्त और उद्योगों का कार्य सौंपा गया। वे अपने 36 वर्षों की सेवा के बाद, वर्ष 2017 में अपनी अधिवार्षिकी से पूर्व दो वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के सचिव पद पर रहे।

वित्त और उद्योगों के क्षेत्र में कुछ मुख्य कार्य (i) वित्तीय संसाधन पूर्वानुमान, व्यय योजना, वार्षिक बजट तैयार करना, ऋण एवं गारंटी प्रबंधन; (ii) बिक्री कर से मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) में संक्रमण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए वाणिज्यिक करों का नियंत्रण और इसे सक्षम बनाना एवं; (iii) औद्योगिक संपदाओं एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना और मार्केटिंग शामिल है।

उन्होंने निदेशक एवं सचिव के रूप में 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र में कार्य किया। निदेशक के रूप में वह उत्पादन एवं वितरण में निजी विद्युत कंपनियों की सहभागिता के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क के विकास में शामिल रहें। सचिव के रूप में अपनी अवधि के दौरान (2015–17), अधिकतम उत्पादन क्षमता तथा अंतर–राज्यिक पारेषण क्षमता को देश में जोड़ा गया जिसे एक राष्ट्र – एक ग्रिड – एक कीमत में परिणत किया गया।

सचिव के रूप में, उन्होंने कई दूरगामी पहल और नीतिगत परिवर्तनों में सहभागिता की। इनमें शेष 18,452 सभी गांव का विद्युतीकरण (1.4.2015) की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम के सतत प्रचालन और वित्तीय टर्म अराउण्ड के लिए 'उदय' का शुभारंभ, संशोधित टैरिफ नीति 2016, विद्युत संयंत्रों के लिए नई कोयला संबद्ध नीति, संशोधित राष्ट्रीय विद्युत योजना 19 विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, यूएमपीपी के लिए संशोधित बोली दस्तावेज सीजी केन्द्रों से राज्यों के लिए संशोधित विद्युत आवंटन फार्मूला, नई हाइड्रो विद्युत नीति का तैयार करना, 2019 तक वैश्विक घरेलू विद्युतीकरण के लिए नई नीति को तैयार करना, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए नीतिगत मार्ग निर्देश, कैप्टिव उत्पादकों के लिए संशोधित नियमावली, टैरिफ संरचना और टैरिफ श्रेणियों की तर्कसंगतता के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है।

अपने कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के क्रॉस बोर्डर व्यापार के लिए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। क्रॉस बोर्डर पारेषण लाइनों में पर्याप्त वृद्धि की गई। इससे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश

के साथ विद्युत के व्यापार में वृद्धि संभव हुई। पहली बार म्यांमार के साथ विद्युत व्यापार आरंभ हुआ। श्रीलंका के साथ सबमैरिन केबल कनेक्शन के लिए वार्ता आरंभ हुई। उन्होंने इन देशों के साथ विद्युत व्यापार पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया।

वे माराकेश में सीओपी 22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर करने से निकटता से संबद्ध रहे। उन्होंने दूसरे ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और बीजिंग में 8वें क्लीन ऊर्जा मंत्री (सीईएम) सम्मेलन का नेतृत्व किया।

पुस्तकें पढ़ना, खेलकूद और संगीत सुनना उनकी रूचियों में शामिल है।

श्री गिरीश भा. प्रधान
अध्यक्ष
(22 अक्तूबर 2013– 19 दिसंबर 2017)

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर दोनों के 37 वर्षों से अधिक सिविल सेवा कैरियर का अनुभव रखने वाले श्री गिरीश भा. प्रधान का जन्म 20 दिसम्बर 1952 को मुंबई में हुआ। इन्होंने सेंट जेवियर स्कूल, जयपुर, राजस्थान (1969) से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की तथा सेंट स्टीफन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास (आनर्स) में (1970–73) में स्नातक डिग्री प्राप्त की। इन्होंने वर्ष (1973–75) में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री (इतिहास) में प्राप्त की, स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कार्लेटन विश्वविद्यालय, ओटावा, कनाडा से लोक प्रशासन स्नातकोत्तर (एमपीए 1984–87) की डिग्री प्राप्त की एवं नेशनल डिफेंस कालेज (एनडीसी 1992) से स्ट्रेटेजिक अध्ययन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा, श्री प्रधान ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेवा कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडरग्रेज्युट स्तर पर इतिहास पढ़ाया एवं स्टेट बैंक ग्रुप में प्राबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1977 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में महाराष्ट्र का कैडर आवंटित किया गया एवं इन्होंने राज्य एवं जिला स्तर पर महाराष्ट्र राज्य में कार्य किया। उन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे, नागपुर एवं पुणे जैसे विभिन्न जिलों में विनियामक एवं विकासात्मक कार्यों को संचालित किया।

वे वर्ष 1980–81 में सिंधु दुर्ग के नए जिले से निकटता से संबद्ध रहें। बाद में, उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य एवं सचिव के रूप में कार्य किया। श्री प्रधान पुणे के नगरपालिका आयुक्त एवं मुंबई के अपर नगरपालिका आयुक्त रहे। यशवंत राव चव्हाण ऐकेडमी आफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक के रूप में वे उस संस्था को देश का उच्च सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान बनाने में अग्रणी रहे। स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा सुधारों के लिए उनके पास मोनोग्राफ है।

श्री प्रधान ने राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य एवं सिविल आपूर्ति, गृह कार्य एवं विद्युत मंत्रालय में कार्य किया है। इन्होंने वर्ष 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में निदेशक तथा राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव दोनों के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 2002 से 2003 तक लोक सभा के स्पीकर के सचिव के रूप में कार्य किया।

श्री प्रधान ने नवम्बर 2003 में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया जहां उन्होंने योजना, समन्वयन, ऊर्जा कुशलता, पारेषण एवं ओएम सहित विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे जनवरी, 2008 में अपर सचिव के रूप में पदोन्नत हुए और पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. से संबंधित मामलों एवं उनकी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओ, पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, प्रचालन एवं मानिटरिंग, समन्वयन,

अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन एवं विद्युत मंत्रालय के सूचना तकनीक प्रभाग से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए नीति एवं योजना, पारेषण में कार्य किया। उन्होंने दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री प्रधान 1 फरवरी, 2011 से विद्युत मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में पदोन्नत किए गए और अक्तूबर, 2011 में उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया।

उक्त के अलावा, श्री प्रधान ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित विवेच्य रिपोर्टो के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका राज्य तथा केन्द्रीय स्तर दोनों पर विद्युत क्षेत्र में (12 वर्षों) का एक दीर्घकालीन अनुभव रहा है। वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अंतर्गत एक मिशन जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन नामक मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रहे जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा में विश्व लीडर के रूप में भारत को स्थापित करना रहा है।

श्री ए.के. सिंघल
सदस्य
(9 अक्तूबर, 2013 – कार्यरत)

व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री ए.के. सिंघल का उत्कृष्ट कैरियर रहा है जिसमें सिद्धान्तों के अनुपालन की विशिष्टता विद्यमान रही है। उनका निगमित वित्त प्रबंधन में 37 वर्षो से अधिक का समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण अनुभव हैं। उन्होंने 8 वर्षों से अधिक एनटीपीसी लि. (महारत्न कंपनी) के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया।

एनटीपीसी में, श्री सिंघल ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लेकर बोर्ड को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और कंपनी की लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान की। वे संगठन के वित्तीय प्रबंधन के संपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार थे जिसमें स्वदेशी एवं विश्व स्रोतों से वित्तीय संसाधन संग्रहण करना, निधियों का अनुकूलतम उपयोग करना, बजट नियंत्रण एवं निवेश निर्णय शामिल है। एनटीपीसी में 12 वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी के लिए उन्होंने इक्विटी के आईपीओ, एफपीओ एवं ओएफएस जैसे बड़े महत्वपूर्ण संव्यवहार किए, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से अत्यधिक बड़ी दीर्घकालिक ऋण सुविधाएं लीं एवं यूएसडी 2 बिलियन मध्यकालिक नोट कार्यक्रम की स्थापना की एवं उसके अंतर्गत नोट्स जारी किए। सीएफओ के रूप में उन्होने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना की और बेहतर निगमित सुशासन प्रणालियों का अनुपालन किया।

उन्होंने विलेयन एवं अधिग्रहणों को शामिल करने वाले निर्णयों में सक्रिय भूमिका अदा की जिसमें उत्पादन, पारेषण, कोयला खनन जैसे विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की गहन जानकारी एवं इसके प्रचालन तथा परिरक्षण के लिए अवधारण, निर्माण से नवीकरणों को ध्यान मे रखते हुए कारोबार का बेकवर्ड एवं फारवर्ड समाकलन शामिल है। उन्होंने निवेशकारी समुदाय तथा कपंनी के प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया। उन्होंने अनुभव प्राप्ति के लिए निर्माणाधीन यूनिटों का दौरा किया। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान संबद्ध शासकीय कार्यों के लिए कई देशों का दौरा भी किया।

श्रेष्ठता एवं सुदृढ कार्य नैतिकता के लिए श्री सिघंल स्थायी कारबार की सफलता के लिए केवल सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं विनम्रता को महत्वपूर्ण मानते है। उनके निर्देशन एवं नेतृत्व में एनटीपीसी ने वित्तीय रिपोर्टिंग एवं निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए। श्री सिंघल को विभिन्न फोरमों में सर्वोत्तम सीएफओ के रूप में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें आईसीएआई (दो बार) आईएमए (लाईफटाइम एचीवमेंट अवार्ड), सीएनबीसी टीवी 18, एएसबीए टॉप रेंकर शामिल है और वे 9 डाट 9 मीडिया सीएफओ संस्थान द्वारा देश के सर्वोच्च 100 सीएफओ में तीन बार श्रेष्ठ रैंक पर भी रहे।

श्री सिंघल निगमित सामाजिक प्रतिबद्धता (सीएसआर) के लिए विभिन्न प्रकार की पहल के लिए प्रेरक बने रहे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक सीएसआर पहल का लक्ष्य निम्नतम स्तर के लोगों के जीवन में सुधार लाना है और उन्हें ध्यान में रखकर ही उन्होंने कार्य किए ताकि उनको अंत तक उसका लाभ मिल सके। एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री सिंघल ने ईपीआई, क्रिबको एवं एनएफएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। श्री सिंघल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने विद्युत क्षेत्र विनियामक के रूप में उच्चतर उत्तरदायित्वों को ग्रहण करते हुए, 9 अक्तूबर 2013 को आयोग में पदभार ग्रहण किया।

श्री ए.एस. बख्शी
सदस्य
(5 अगस्त, 2014 – कार्यरत)

श्री ए.एस.बख्शी, मैकेनिकल इंजिनियर व एमबीए का विद्युत क्षेत्र में 39 वर्षों से अधिक का कुल अनुभव रहा है। श्री बख्शी ने वर्ष 1974 में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (नई दिल्ली) में अपना कैरियर आरंभ किया जबकि प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन था। उन्होंने वर्ष 1974 की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा (सीपीईएस) का कार्य सौंपा गया। उन्होंने वर्ष 1975 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग में कार्यभार ग्रहण किया और दोबारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में तैनात किए गए।

वर्ष 1979 में श्री बख्शी को भारत सरकार द्वारा विदेश कार्य पर जल एवं विद्युत विभाग, आबूधाबी सरकार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। श्री बख्शी ने अपने परिरक्षण विभाग में उम अल नार(पश्चिम) विद्युत संयंत्र में कार्य किया। इस संयंत्र में 6 आयल फायर्ड विद्युत उत्पादनकारी यूनिट और 6 डिसेलीनेशन संयंत्र हैं। वर्ष 1984 में आबूधाबी से प्रत्यावर्तन पर श्री बख्शी ने अपने मूल विभाग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण किया जहां उन्होंने विद्युत संयंत्रों तथा थर्मल संयंत्रों की ऊर्जा आडिट के आरएंडएम में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वर्ष 2002 में उन्हें सीईए का निदेशक (प्रशासन) बनाया गया और वर्ष 2004 में उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया और योजना विंग में तैनात किया गया – मुख्य इंजीनियर के रूप में वे समग्र रूप से देश के लिए उत्पादनकारी योजना के लिए उत्तरदायी थे। वे वर्ष 2007 और वर्ष 2011 में राष्ट्रीय विद्युत योजनाओं को सामने लाने में प्रेरक रहे। वे 12वीं योजना के लिए विद्युत में कार्यकारी समूह के सदस्य सचिव भी थे जब वे सदस्य (योजना), सीईए थे। वे सदस्य (हाइड्रो) और सदस्य (जीएंडओडी), सीईए भी रहे।

वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर रहे और जुलाई 2011 में भारत सरकार के पदेन सचिव भी रहे। वे उत्पादनकारी योजना, पारेषण योजना और समग्र रूप से देश के लिए भार पूर्वानुमान के लिए भी उत्तरदायी रहे। उन्होंने हाइड्रो परियोजनाओं को सहमति प्रदान करने के लिए समिति की अध्यक्षता की। वे इस अवधि के दौरान अध्यक्ष, सीबीआईपी और अध्यक्ष ईईसी भी रहे। श्री बख्शी 2011 से 2013 की अवधि के दौरान कई समितियों के सदस्य या अध्यक्ष रहे।

कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों को सीईए के अध्यक्ष के रूप में उनकी अवधि के दौरान अंतिम रूप दिया गया जिसमें 17वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, अतिविवेचनीय यूनिटों के लिए मानव विनिर्देशन, 2011–12 की सामान्य समीक्षा, कार्बनडाईआक्साइड बेस लाइन डाटा विद्युत क्षेत्र से सीटीसी की समाप्ति, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इनपुट इत्यादि शामिल हैं।

श्री बख्शी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में 5 अगस्त 2014 को कार्यभार ग्रहण किया।

डॉ. एम. के. अय्यर
सदस्य
(10 अगस्त 2015 – कार्यरत)

10 अगस्त, 2015 को सदस्य के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डॉ0 एम. के. अय्यर ने 5 वर्षों की अवधि के लिए गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (वित्त) के रूप में कार्य किया और गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कई विनियामक मुद्दों को सफलता से संचालित किया। गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में बहुवर्ष टैरिफ विनियम, सौर, पवन एवं बायोमास के नवीकरणीय टैरिफ आदेश, निर्बाध पहुंच विनियम और इसका इसका प्रर्वतन, टैरिफ की तर्कसंगतता, ईंधन विद्युत क्रय समायोजन फार्मूला के माध्यम से विद्युत खरीद को पासथ्रू करना और अन्य विनियामक मुद्दों का स्कोर तैयार करना ताकि उपभोक्ता हित और कम्पनी हित के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। अगस्त 2010 गुजरात विद्युत विनियामक आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के समय से बड़ी संख्या में आदेश जारी किए गए जिसका गुजरात में विद्युत क्षेत्र की सुचारू कार्यप्रणाली में प्रभाव रहा है।

डॉ0 एम. के. अय्यर भौतिकी में स्नातक हैं। एमबीए (वित्त) और प्रबंधन में पी.एच.डी. हैं और स्टेक होल्डरों के लिए समुचित महत्व पैदा करने के लिए रणनीतिक इनपुट में योगदान का सृदृढ़ रिकॉर्ड है। उन्होंने वित्त, मानव संसाधन और आई.टी. जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 31 वर्ष के लिए राज्य कम्पनी को सहयोग किया है और समूचे संस्थागत नक्शों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनी सक्षमताएं प्रदर्शित की हैं जिनमें निगमित योजना, नीति विकास, सुधार और पुनसंरचना, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, एच.आर. एवं औद्योगिक संबंध, प्रशिक्षण, आई.टी. पहल, वाणिज्यिक और विनियामक मामले शामिल हैं। उन्होंने सुधार परियोजना प्रबंधन समूह के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के गतिविधियों के 'वित्तीय पुनसंरचनात्मक योजना' में प्रभावी रूप से सहभागिता की है।

उनका विश्लेषणात्मक, प्रशासनिक, कठिनता को दूर करने की कुशलताएं, कुशल टीम लीडर, प्रशिक्षक और प्रेरक की विशेषताएं हैं ताकि परिचालनगत उत्पादकता, श्रेष्ठ सम्प्रेषण, योग्यताओं को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक टीमों के प्रयासों के समन्वित करने की योग्यता है।

गुजरात आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे गुजरात ऊर्जा पारेषण कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा, में वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) के रूप में कार्य कर रहे थे। पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड/अनबंडल्ड जीबी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वरिष्ठ प्रमुख महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) आई.टी./एच.आर. तथा सीआईओ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (एचआर), मुख्य वित्त प्रबंधक (बजट एवं योजना), मुख्य वित्त प्रबंधक (परियोजना एवं योजना/स्टोर क्रय) इत्यादि के रूप में कार्य किया और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के सुधार/पुनसंरचना को सफलतापूर्वक संचालित किया तथा आई.टी. पहल को कार्यान्वित किया एवं अंतिम से अंतिम ईआरपी कार्यान्वयन को सभी अनबंडल्ड 7 कम्पनियों में कार्यान्वित किया।

4

पूर्व वर्ष एक अवलोकन

4. पूर्व वर्ष एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंत तक, नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन कुल संस्थापित क्षमता 344 जीडब्ल्यू थी। इसमें से थर्मल उत्पादन (कोयला, गैस और डीजल सहित), हाइड्रो और नवीकरणीय उर्जा उत्पादन क्रमशः 64.8 प्रतिशत, 13.16 प्रतिशत और 20.01 प्रतिशत रही। नवीकरणीय उर्जा क्षमता की 69 जीडब्ल्यू में से पवन ऊर्जा और सौर की क्रमशः 34 जीडब्ल्यू और 21.65 जीडब्ल्यू की क्षमता रही। शेष क्षमता लघु हाइड्रो विद्युत, बायोमास, ऊर्जा इत्यादि के लिए अवशिष्ट के बीच शेयर की गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 जीडब्ल्यू की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पाया जिसमें सौर से 100 जीडब्ल्यू, पवन से 60 जीडब्ल्यू, बायो पावर से 10 जीडब्ल्यू और लघु हाइड्रो पावर से 5 जी डब्ल्यू शामिल है। इस लक्ष्य में सिद्धांत रूप से 40 जीडब्ल्यू रूफ टॉप और बड़े तथा मध्यम ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से 60 जीडब्ल्यू शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए लक्ष्य को आग बढ़ाते हुए आयोग ने कई उपाय किए हैं।

अखिल भारतीय ग्रिड के समन्वित प्रचालन के लिए विभिन्न विद्युत प्रणाली घटकों के वास्तविक समय डाटा की गैरबाधित उपलब्धता से विवेचनीय संबंध रहा। विद्युत प्रणाली के प्रभावी मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए पूरे समय भार प्रेषण केन्द्र में स्वचालित अद्यतन चाक्रिक रूप से (प्रत्येक 10 सेकण्ड में) के लिए डाटा अपेक्षित है। आयोग ने ग्रिड के रक्षित विश्वसनीय और मितव्ययी प्रचालन के लिए संचार प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली पर विनियम अधिसूचित किए। इन विनियमों का उद्देश्य संचार प्रणाली को सुदृढ़ करना और राष्ट्रीय प्रादेशिक और अंतरराज्यिक स्तर पर विद्युत प्रणाली के लिए डाटा प्रेषण और टेली संरक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संचार बुनियादी ढांचे के लिए लागू करना। यह विनियम संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा तैयार किए जाने वाले समुचित विनियमों तक राज्य स्तर पर विद्युत प्रणाली के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। इन विनियमों में बाजार प्रचालनों सहित विद्युत प्रचालन और नियंत्रण के लिए डाटा की सतत उपलब्धता के लिए प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों और प्रतिभागियों द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों, मार्गनिर्देशों और मानकों को निर्धारित किया। उपबंधों को अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रिड के समन्वित प्रचालन के लिए डाटा के विनिमय सहित विश्वसनीय संचार प्रणाली के योजना कार्यान्वयन, प्रचालन, रखरखाव और उन्नयन की व्यवस्था है।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने नवीकरणीय उर्जा स्रोत विनियम से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों को अधिसूचित किया है जिसके माध्यम से आयोग ने विभिन्न नवीकरणीय उर्जा तकनीक पर आधारित ग्रिड पावर परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधारण हेतु तकनीक पैरामीटर और टैरिफ संरचना व डिजाइन वित्तीय सिद्धांतों परिचालनगत मानदण्डों को विनिर्दिष्ट किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पवन उर्जा, लघु हाइड्रो, बायोमास (रेंकिन साइकल पर आधारित) सौर (पीवी एवं थर्मल) बायोमास, बायोगैस, म्युनिसिपिल सॉलिड वेस्ट/रिफ्यूज्ड डिराइवड ईंधन

परियोजना (रेंकिन साइकल तकनीक पर आधारित) इत्यादि शामिल हैं। आयोग ने सौर पीवी और सौर थर्मल, पवन उर्जा (ऑनश्योर एवं ऑफश्योर सहित) म्युनिसिपिल सॉलिड वेस्ट एवं रिफ्यूज डिराइवड ईंधन आधरित परियोजना, बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजनाएं, बायोगैस आधारित परियोजनाएं, अन्य हाइब्रिड परियोजनाएं तथा नवीरकणीय या नवीकरणीय पारंपरिक स्रोतों को शामिल किया है जिसके लिए नवीकरणीय तकनीक एमएनआरई इत्यादि द्वारा अनुमोदित है। यह निर्णय किया गया कि इन नवीकरणीय उर्जा तकनीक के संबंध में परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ अगली नियंत्रण अवधि के लिए (2017–20) के लिए अवधारित किया जाएगा।

पारेषण, बुनियादी ढांचा, प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत बाजार के प्रचालन के लिए आधार है। विद्युत अधिनियम, 2003 से गैरअनुज्ञप्ति उत्पादन और निर्बाध पहुंच के युग का सूत्रपात हुआ। पारेषण ऐसा लिंक है जो इन दो को जोड़ता है। तथापि पारेषण की अनुज्ञप्त गतिविधि और अन्तरराज्यिक उत्पादन केन्द्र और उनके हिताधिकारियों की क्षमता और चुनिंदा स्थान सहित योजना की तुलना में कुछ चुनौतियों के लिए निर्बाध पहुंच सहित गैर विनियमित उत्पादन तथा निर्बाध बाजार एवं पारेषण की अनुज्ञप्त गतिविधि के बीच सिंक्रोनाइजेशन प्राप्त करना है।

निर्बाध पहुंच विद्युत अधिनियम, 2003 के लिए एक मील का पत्थर है। विद्युत अधिनियम, 2003 के बाद आयोग ने निर्बाध पहुंच, संयोजकता, प्रभार एवं हानियों की शेयरिंग पर विनियमों को अधिसूचित किया। निर्बाध पहुंच के कार्यान्वयन में उद्भूत मुददों पर विचार करते हुए प्रचलित विनियमों की समीक्षा की और पारेषण योजना, संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अन्य संबद्ध विषयों को सामने लाया गया।

इसके बाद आयोग ने श्री माता प्रसाद की अध्यक्षता में ''पारेषण योजना, संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अन्य संबद्ध विषयों की समीक्षा'' के लिए समिति गठित की। समिति की सिफारिशों की समीक्षा के बाद आयोग ने सामान्य नेटवर्क पहुंच पर ड्राफ्ट विनियमों को प्रकाशित किया। इन विनियमों का उद्देश्य अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली की योजना व विकास में पर्याप्तता सुनिश्चित करना रहा। जीएनए प्रणाली अध्ययनों के माध्यमों से सीटीयू द्वारा मूल्यांकित आईएसटीएस प्वाइंट के लिए पीओसी से आपूर्ति या आहरण के लिए कंपनियों को तैयार करता है। दूसरे शब्दों में उत्पादक एवं राज्य/उपभोक्ता को सहमत विद्युत की मात्रा (मेगावाट) के लिए आईएसटीएस को जीएनए दिया जा सकेगा और जीएनए करार निवेश के लिए हो सकेगा। इस तंत्र से स्टेकहोल्डरों द्वारा व्यवधान मुक्त पहुंच के लिए पारेषण प्रणाली विकसित होने की आशा है।

आयोग ने तकनीक न्यूनतम अनुसूची के नीचे अनुसूचीकरण पर रिजर्व शटडाउन के अधीन इस प्रकार की यूनिटों के लिए और अन्य उत्पादन केन्द्रों एवं केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के समर्थन के लिए विस्तृत परिचालन क्रियाविधि तैयार की है। आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों और अन्य उत्पादन केन्द्रों के कोयला/लिग्नाइट/गैस यूनिट के लिए विस्तृत प्रचालन क्रियाविधि प्रकाशित की है और तकनीकी न्यूनतम अनुसूची से नीचे अनुसूचीकरण पर रिजर्व शटडाउन के अधीन ऐसी यूनिटों को लिया है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कम प्रणाली मांग विद्युत

आपूर्ति के विनियम, उच्च नवीकरणीय इत्यादि के प्रभाव, आरएसडी के अधीन उत्पादन यूनिटों के लिए क्रियाविधि, विभिन्न एजेंसियों की भूमिका, डाटा अपेक्षा इत्यादि जैसे विनिर्दिष्ट ग्रिड शर्तों में किए जाने वाले यूनिट या उत्पादन केन्द्रों का पता लगाने के लिए पद्धति को भी शामिल किया गया है। यह डीओपी आरएलडीसी, एसएलडीसी, सीजीएस और आईएसजीएस के लिए लागू है जिसका टैरिफ केन्द्रीय आयोग और उत्पादन केन्द्रों द्वारा अवधारित या अपनाया गया है जो प्रादेशिक इकाइयां हैं लेकिन जिनका टैरिफ आयोग द्वारा न तो अवधारित किया गया और न अपनाया गया। उत्पादन केन्द्रों के मामले में जिनका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित या अपनाया गया है लेकिन एसएलडीसी द्वारा अनुसूचित है। इस प्रकार आरएसडी के अधीन इस प्रकार की मशीनों का तंत्र एसएलडीसी द्वारा अपनाया जाए। प्रादेशिक इकाइयां जिनका टैरिफ केन्द्रीय आयोग द्वार न अवधारित है और न ही अपनाया गया है, इस क्रियाविधि के अध्याधीन है।

आयोग ने वास्तविक समय में मांग आपूर्ति अंतराल में रिजर्व की विवेचनीय भूमिका को देखा गया है। इस संदर्भ में आयोग ने श्री ए.एस. बख्शी की अध्यक्षता में समिति गठित की। समिति ने क्षमता के रूप में स्पीनिंग रिजर्व के सृजन के लिए सिफारिश की जिससे प्रणाली प्रचालन के निर्देशों के अनुसार इसे सक्रिय किया जा सका और उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों सहित उपलब्ध करवाया गया जो ग्रिड के लिए सिंक्रॉनाइज हैं और सक्रिय उर्जा में परिवर्तन के लिए प्रभावी हैं। आयोग ने सिफारिशों को प्रभावी बनाते हुए आईईजीसी विनियमों को संशोधित किया। आईएसजीएस, एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी, पावर एक्सचेंजों और अन्य संबंधित प्रयोक्ताओं के बीच सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया सहित स्पीनिंग रिजर्व के प्रचालन के लिए और अनपेक्षित विद्युत के प्रयोग के लिए, सहायक रिजर्व सेवाओं के प्रचालन के लिए आईएसजीएस की उर्जा के प्रेषण और अनुसूचीकरण के लिए आईईजीसी की उर्जा के प्रेषण और अनुसूचीकरण के लिए व्यवस्था करते हुए संशोधित किया गया।

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया। इस फोरम में केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ एफओआर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। विनियामक फोरम की 4 बैठकें 2017–18 के दौरान आयोजित की गईं जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया और सिफारिशें की गईं। इस वर्ष के दौरान विनियामक फोरम ने "ग्रिड पर विद्युत वाहनों का प्रभाव", "लागत जमा टैरिफ की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ – विवेचनीय विश्लेषण" और "मांग पक्ष प्रबंधन पर रिपोर्ट" पर अध्ययन पूरे किए।

विनियामक फोरम की तकनीकी समिति गठित की गई जिसमें केविविआ के सदस्य और नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के राज्य आयोगों के तकनीकी सदस्य शामिल थे ताकि नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों में पवन एवं सौर उत्पादकों के पूर्वानुमान अनूसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन्न के फ्रेमवर्क को सरल बनाया जा सके। इसके आरंभ से समिति ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रभावी समेकन और सुरक्षित व विश्वसनीय भारतीय ग्रिड के विकास के लिए विनियामक आधार निर्धारित करने के लिए विवेचनीय कदम उठाए हैं।

समिति ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए विद्युत में संव्यवहारों के अनुसूचीकरण, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन्न तथा राज्यों के लिए मॉडल डीएस विनियमों, उत्पादन स्रोतों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रादेशिक सहयोग पर रिपोर्ट, 5 मिनट टाइम ब्लॉक की शुरूआत राज्यस्तरीय हाइड्रो संयंत्रों के लिए मॉडल विनियमों और आरपीओ वेब टूल प्रकाशित किया है। समिति प्रादेशिक सहयोग 5 मिनट अनुसूचीकरण सहायक सेवाओं रिजर्व आदि से संबंधित प्रश्नों पर कार्य कर रही है।

भारतीय विनियामक फोरम 1999 में निर्मित सोसाइटी है जिसमें विद्युत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विमानपत्तन, बड़े पोर्ट इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से विनियामकों का प्रतिनिधित्व है। इसमें विनियामक क्रियाविधि और पद्धतियों में भरते विषयों पर विचारविमर्श के लिए सामान्य प्लेटफार्म की व्यवस्था है ताकि भारत में विनियामकों के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए सामान्य रणनीति विकसित की जा सके और सूचना एवं अनुभव का आदान प्रदान किया जा सके। एफओआईआर के सदस्यों में पीएनजीआरबी, एईआरए, सीसीआई और टीएएमपी, टीआरएआई, सभी राज्य विनियामकों के अलावा आईबीबीआई भी है। एफओआर को सचिवीय सेवाएं केविविआ द्वारा दी जाती है। वर्ष के दौरान गवर्निंगबॉडी की 03 बैठकें और वार्षिक आम सभा की एक बैठक आयोजित की गई।

साफिर दक्षिण एशियन देशों के अवसंरचनात्मक विनियामकों का एक फोरम है जो 1999 से अस्तित्व में आया। साफिर को सचिवालय के रूप में केविविआ ने अपने सदस्यों के लिए जानकारी के आदान–प्रदान कार्यक्रम और विभिन्न उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। साफिर की 23वीं स्थायी समिति और 13वीं कार्यकारी समिति की बैठक 12 मई 2017 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई जबकि 14वीं कार्यकारी समिति की बैठक वेलिगामा, श्रीलंका में 25 नवंबर, 2017 को आयोजित की गई।

5

विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

5. विनियमक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:

1. विनियमों को अधिसूचित करता है
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:
   - ✦ टैरिफ का अवधारणा करने
   - ✦ अनुज्ञप्ति जारी करने
   - ✦ प्रकीर्ण मामले

क विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से पोस्ट किया जाता है।

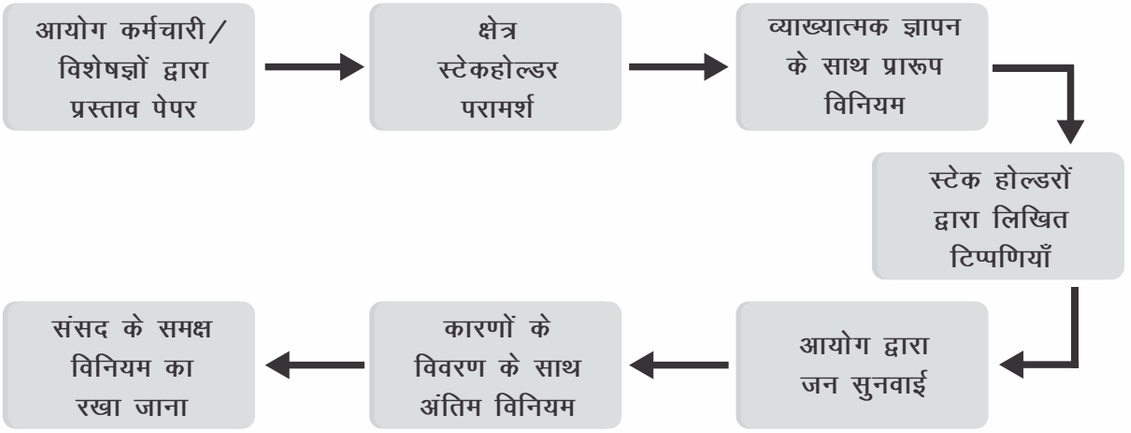

याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए क्रियाविधि

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं :

1. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
2. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं/आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं :

1. विविध याचिकाएं
2. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

ख टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात, आयोग ने 2004–09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र/स्टेशन/राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली–वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 21 फरवरी 2014 की अधिसूचना द्वारा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जारी किए जो 1.4.2014 से प्रभावी हैं।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंरभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं।

टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

6

2017–18 के दौरान गतिविधियां

6. 2017–18 के दौरान गतिविधियां

6.1 कानूनी कार्यवाहियां

वर्ष 2017–18 के दौरान 356 याचिकाओं को रजिस्टर किया गया। इसके अलावा 307 याचिकाएं पूर्ववर्ती वर्ष 2016–17 से आगे ले जाया गया जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 663 हो गई। इनमें से 305 याचिकाएं वर्ष 2017–18 के दौरान निपटा दी गई। निपटाई गई याचिकाओं की विस्तृत स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

6.2 वर्ष 2017–18 में जारी किए गए विनियम/प्रमुख निर्णय

6.2.1 केविविआ (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2017

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने केविविआ (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2017 को जारी किया। यह विनियम राजपत्र में प्रकाशनों की तारीख से प्रयुक्त हुए हैं और जब तक आयोग द्वारा विस्तारित या पूर्ववर्ती समीक्षा तक वित्तीय वर्ष 2019–20 तक प्रवृत्त रहेंगे।

तदुनसार इन विनियमों के साथ आयोग ने निम्नलिखित नवीकरणीय उर्जा तकनीक पर आधारित ग्रिड विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधारण के लिए टैरिफ संरचना और डिजाइन, वित्तीय सिद्धांत, प्रचालनगत मानदण्ड और तकनीक पैरामीटर अधिसूचित किए हैं।

- पवन उर्जा परियोजनाएं
- लघु हाइड्रो परियोजनाएं
- रेंकिन साइकल पर आधारित बायोमास परियोजनाएं
- सौर विद्युत परियोजनाएं (पीवी) और थर्मल
- बायोमास गैसीफायर परियोजनाएं
- बायोगैस गैसीफायर परियोजनाएं
- बायोगैस आधारित परियोजनाएं
- रेंकिन साइकल तकनीक पर आधारित/म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट/रिफ्युज्ड डिराइवड ईंधन परियोजनाएं

तदनुसार, विनियमों में व्यवस्था है कि परियोजना, विनिर्दिष्ट टैरिफ, अगली नियंत्रण अवधि (2017–20) के लिए निम्नलिखित तकनीक के लिए निर्धारित होगाः

1. सौर पीवी और सौर थर्मल
2. पवन उर्जा (ऑनश्योर एवं ऑफश्योर सहित)
3. म्युनिसिपिल सॉलिड वेस्ट और रिफ्युज्ड डिराइवड ईंधन परियोजनाएं
4. बायोमास गैसीफायर आधारित परियोनाएं यदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा की गई हैं।
5. बायोगैस आधारित परियोजनाएं यदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा की गई हैं।
6. अन्य हाइब्रिड परियोजनाएं जिसमें नवीकरणीय या नवीकरण पारंपरिक स्रोत शामिल हैं जिसके लिए नवीकरणीय तकनीक एमएनआरई द्वारा अनुमोदित है।

6.2.2 केविविआ (विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017

केन्द्रीय आयोग को विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के विनियमन के लिए और ग्रिड मानक के संबंध में ग्रिड को विनिर्दिष्ट करने का कार्य सौंपा गया है। संचार प्रणाली विद्युत के अंतराज्यिक पारेषण और विद्युत प्रणाली के सुचारू प्रचालन की आधारपीठिका है। संचार प्रणाली ग्रिड के रक्षित, विभवसनीय और आर्थिक परिचालन के लिए अनिवार्य है। विद्युत

प्रणाली के प्रभावी मॉनिटरिंग प्रचालन और नियंत्रण के लिए यह महत्वूर्ण पूर्वापेक्षा है। सभी भारतीय ग्रिड के समन्वित प्रचालन के लिए विभिन्न विद्युत प्रणाली घटकों का वास्तविक समय डाटा की गैरबाधित उपलब्धता एक पूर्वापेक्षा है। ग्रिड की जटिलता और आकार में वृद्धि से विद्युत क्षेत्र की संचार आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। ग्रिड की पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग वास्तविक समय परिचालन डाटा के अंतरण की मांग करता है। डाटा विद्युत प्रणाली के प्रभावी मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए प्रत्येक समय आधार पर विद्युत प्रणालियों की दुरूस्तता के बारे में अद्यतन सूचना देने के लिए भार प्रेषण केन्द्र पर स्वचालित अद्यतन चाक्रिक रूप से (प्रत्येक 10 सेकण्ड में चाक्रिक रूप से) किया जाना अपेक्षित है। मौजूदा टेलीमीटरिंग प्रणाली देश के नेटवर्क के विभिन्न भागों में अपर्याप्त है। भारत में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर नेटवर्क में संचार प्रणाली के महत्व को देखते हुए आयोग ने केविविआ (विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया है।

यह विनियम राष्ट्रीय प्रादेशिक और अंतरराज्यिक स्तर पर विद्युत प्रणाली के लिए डाटा संचार और टेली संरक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संचार बुनियादी ढांचे के लिए लागू होते हैं और इसमें राज्य स्तर पर विद्युत प्रणाली शामिल है जब तक उपयुक्त विनियम संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः–

क) संचार विनियम में बाजार प्रचालनों सहित प्रणाली प्रचालन और नियंत्रण के लिए डाटा की सतत उपलब्धता के लिए प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों और प्रतिभागियों द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों, मार्गनिर्देशों और मानकों को निर्धारित किया गया है।

ख) संचार विनियमों में राष्ट्रीय ग्रिड के समन्वित प्रचालन के लिए डाटा के विनिमय सहित उपबंधों सभी संचार अपेक्षाओं के लिए विश्वसनीय संचार प्रणाली के योजना कार्यान्वयन, प्रचालन, रखरखाव और उन्नयन की व्यवस्था है।

ग) सीईए, सीटीयू, एनपीसी, आरपीसी, एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी, एसटीयू और प्रयोक्ताओं जैसे विभिन्न संगठनों के भूमिका और उत्तरदायित्वों को 2017 विनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6.2.3 केविविआ (फीस का भुगतान) (प्रथम संशोधन) विनियम 2017

केविविआ (फीस का भुगतान) (प्रथम संशोधन) विनियम 2017 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

क) विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के अधीन अधिसूचित अनुज्ञप्ति विनियम 2006 के कार्य के अनुसार पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट या इनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया या दोनों की क्षतिपूर्ति की राशि क्षतिपूर्ति की रकम सहित असंतुष्ट भूमि या भवन के स्वामी या धारक या दोनो उपयुक्त आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकता है। पीजीसीआईएल और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निष्पादित पारेषण लाइनों के संबंध में उपयुक्त आयोग केन्द्रीय आयोग है। चूंकि ''पुनरीक्षण याचिका'' दाखिल करने के लिए तीन लाख रुपये की मौजूदा फीस अधिक समझी गई है। अतः आयोग ने छोटे किसानों के लिए फीस दाखिल करने को कम करने का निर्णय किया है और ''पुनरीक्षण याचिका'' को परिभाषित करते हुए भूमि स्वामियों के लिए कम करने का निर्णय किया है और मूल विनियम में ''पुनरीक्षण फीस के लिए'' पच्चीस हजार रुपये की फीस को विनिर्दिष्ट किया है। तदनुसार उपयुक्त संशोधन मूल विनियम के विनियम 2 और 6 में किए गए हैं।

ख) सीटीयू ने केन्द्रीय पारेषण कंपनी के रूप में सांविधिक कार्यों और विनियामक के निर्वहन में इसके द्वारा दाखिल विभिन्न याचिकाओं/आवेदन के लिए फीस के भुगतान से अधिक अधित्याग की मांग की है। सीटीयू आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों और अधिनियम के अधीन कुछेक सांविधिक कार्यों का निर्वाह कर रहा है। सांविधिक कार्यों के उचित निर्वाह के लिए सीटीयू से आयोग के निर्देशों या विनियमों के कार्यान्वय के लिए या स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दाखिल करना अपेक्षित है। चूंकि इन याचिकाओं में

निर्णय विद्युत क्षेत्र के समूचे हित में होगा अतएव आयोग का यह विचार है कि एनएलडीसी/आरएलडीसी के मामले की तरह सीटीयू को भी सीटीयू के रूप में इन सांविधिक कार्यों के निर्वाह में दाखिल याचिकओं के संबंध में फीस दाखिल करने के भुगतान से छूट होनी चाहिए। तदनुसार एक नया खण्ड मूल विनियमों के विनियम 6 में शुरू किया गया है जिसमें इसकी सांविधिक कार्यों के निर्वाह में फीस के भुगतान से सीटीयू को छूट दी गई है।

6.3 विद्युत बाजारः व्यापार, पावर एक्सचेंज और निर्बाध पहुंच

6.3.1 अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों के विनियमन के लिए फरवरी, 2009 में केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 को अधिसूचित किया। 31.03.2018 को आयोग ने विद्युत में अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए 79 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान की। इसमें 43 व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने अनुज्ञप्तियों को अभ्यर्पित किया। शेष 36 अनुज्ञप्तिधारियों में 28 अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान व्यापार किया।

आयोग ने 11.01.2010 की अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम 2010 जारी किया। इन विनियमों के अनुसार विद्युत के अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए उन अनुज्ञप्तिधारियों को 7 पैसे/किलोवाट घण्टे से अधिक व्यापार मार्जिन को प्रभारित करने की अनुमति नहीं है यदि विद्युत की विक्रय कीमत 3रुपये/किलोवाट घण्टे से अधिक है और 4पैसे/किलोवाट घण्टे जहां बिक्री कीमत 3रुपये/किलोवाट घण्टे से कम या बराबर है। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल है। व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित किया जाता है।

6.3.2 पावर एक्सचेंज

दो पावर एक्सचेंज अर्थात भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि (आईईएक्स) नई दिल्ली, और मैसर्स पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) मुबंई भारत में प्रचालन में है। आईईएक्स और पीएक्सआईएल में क्रमशः 27 जून 2008 और 22 अक्टूबर 2008 से प्रचालनों को आरंभ किया।

जनवरी 2010 में आयोग ने विद्युत बाजार के विनिमयों और विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम 2010 जारी किया। इस विनियम का उद्देश्य व्यापक बाजार ढांचे के सृजन मे मदद करना था और विद्युत बाजार में सभी प्रकार के संभव उत्पादों के संव्यवहार, कार्यनिष्पादन और उसका कान्ट्रेक्ट करना था। इसके बाद पावर एक्सचेंज की पारदर्शी निगमित सुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) प्रथम संशोधन, विनियम 2014 के माध्यम से पावर एक्सचेंज के बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकताओं और अनर्हकताओं की व्यवस्था की।

आयोग ने ''पावर एक्सचेंज पर विस्तारित बाजार सत्र'' और याचिका संख्या 006/एसएम/2015 के मामले में 8 अप्रैल, 2015 के माध्यम से इस आदेश को जारी करने की तारीख से 3 महीने के अंदर 24x7 अंतःदिवस/आकस्मिक बाजार (विस्तारित बाजार सत्र) के प्रचालन के लिए पावर एक्सचेंजों को निर्देश दिया। आयोग का आदेश दोनों पावर एक्सचेंजों द्वारा कार्यान्वित किया गया और विस्तारित बाजार सत्र 20 जुलाई 2015 से प्रचालनीय किया गया।

6.3.3 बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का एक बाजार निगरानी प्रकोष्ठ ''विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट'' प्रकाशित करता है जो अगस्त 2008 से नियमित रूप से केविविआ की वेबसाइट पर पोस्ट किय जा रहा है।

विद्युत का अल्पकालिक संव्यवहार व्यापार

अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार) पावर एक्सचेंजों और विचलन व्यवस्थापन तंत्र (पूर्व अननुसूचित अंतःपरिवर्तन) के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत का उल्लेख करता है। (i) रिपोर्ट का उद्देश्य है कि विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य में प्रवृत्तियों पर ध्यान देना। (ii) बाजार के व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना (iii) स्टेकहोल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना। (iv) व्यापारियों द्वारा निष्पादित द्विपक्षीय कांट्रेक्टो को विश्लेषित करना। (v) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की मात्रा और कीमत को विश्लेषित करना और (vi) स्टेकहोल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

बाजार मॉनिटरिंग कक्ष अल्पकालिक विद्युत संव्यवहारों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अल्पकालिक संव्यवहारों की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं–

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा (बिलियन यूनिट)				
वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	पावर एक्सचेंजों (आई ईएक्स और पीएक्स आईएल) के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	डीएसएम की मात्रा	डिस्काम के बीच प्रत्यक्षतः संव्यवहारित विद्युत
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04
2016-17	33.51	41.12	23.22	21.38
2017-18	38.94	47.70	24.21	16.77

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा
2009-10	65.90	768.43	9%
2010-11	81.56	811.14	10%
2011-12	94.51	876.89	11%
2012-13	98.94	912.06	11%
2013-14	104.64	967.15	11%
2014-15	98.99	1048.67	9%
2015-16	115.23	1107.82	10%
2016-17	119.23	1157.94	10%
2017-18	127.62	1202.97	11%

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)			
वर्ष	व्यापार के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (डीएएम़टीएएम) (₹/किलोवाट घंटा)	डीएसएम के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93
2016-17	3.53	2.50	1.76
2017-18	3.59	3.45	2.03

6.3.4. बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ अभिवृद्धि कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

वर्ष 2005 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्ग निर्देश" के अनुसार आयोग से बोली मूल्याकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक 6 माह में विभिन्न घटकों और अन्य मानकों की अधिसूचना अपेक्षित है। तदनुसार आयोग ने 30.05.2017 और 10.10.2017 की अधिसूचना के माध्यम से उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य मानकों को अधिसूचित किया और 30.03.2017 और 05.10. 2017 की अधिसूचना के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया।

6.4 थर्मल उत्पादन

केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय क्षेत्र की थर्मल पावर उत्पादन कंपनियों अर्थात एनटीपीसी लि., उत्तर–पूर्वी विद्युत पावर कार्पोरेशन लि. (नीपको), नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन (एनएलसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे कंपनियों के टैरिफ को नियमित करता है जिसमें सीपीएसयू और आईपीपी शामिल है जिन्होंने आरंभ की गई प्रतिस्पर्धा टैरिफ आधारित बोली की निर्धारित अवधि से पूर्व दीर्घकालीन हिताधिकारियों के साथ पीपीए हस्ताक्षरित किया।

6.4.1 थर्मल उत्पादन का टैरिफ निर्धारण

एनटीपीसी लिमिटेड

31.03.2018 को एनटीपीसी लिमिटेड के थर्मल उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 50323 मेगावाट थी जिसमें कोयले पर 38755 मेगावाट (पिट एवं गैर पिट) और कोयले और गैस दोनों एवं प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित 4017 मेगावाट सहित एनटीपीसी संयुक्त उद्यम/अनुषंगी पर 7551 मेगावाट थी। वर्ष 2017–18 के दौरान एनटीपीसी ने कुडुगी में 4115 मेगावाट (यूनिट–1 और यूनिट–2 के आरंभ से) (1600 मेगावाट), मोदा में 800 मेगावाट का यूनिट–4, सोलापुर में 660 एक यूनिट, स्टेज–4 500 मेगावाट, 250 मेगावाट का बोंगेगांव टीपीएस यूनिट–2, 250 मेगावाट बीआरबीसीएल यूनिट–2 की कुल क्षमता जोड़ी। 31.03.2018 को कुल 21 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पिट एवं गैर पिट शीर्ष), 07 गैस आधारित

स्टेशन है। एनटीपीसी के कुल 09 संयुक्त उद्यम हैं जिसमें 01 गैस आधारित अर्थात् आरजीपीपीपीएल है। 31.3.2018 को संस्थापित क्षमता तथा एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादनकारी स्टेशन/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख **अनुबंध–II** में दी गई है।

2009–14 के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के लिए पुनरीक्षण याचिकाएं

एनटीपीसी द्वारा दाखिल एनटीपीसी उत्पादन केन्द्रों की 2009–14 की अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के लिए निम्नलिखित 7 पुनरीक्षण याचिकाओं को आयोग द्वारा निपटाया गया:

क. ट्रइंगअप की अवधि 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए नेशनल थर्मल पावर स्टेशन दादरी स्टेज-I (840 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में 24.3.2007 कें आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

ख. 2009.2014 ट्रइंगअप कार्य के बाद विंध्यालच सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–1 (1260 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण से संबंधित याचिका संख्या 306/जीटी/2014 में 5.12.2016 के आदेशों का पुनरीक्षण

ग. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए झनोर गंधार गैस पावर स्टेशन (657.39 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण से संबंधित दिनांक 30.03.2017 के आदेशों का पुनरीक्षण

घ. 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए ट्रइंगअप कार्य के बाद कवास जीपीएस (656.20 मेगावाट) के टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में याचिका संख्या 346/जीटी/2014 में 15.3.2017 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

ङ. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के यूनिट–1 (1.11.2013) से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए मुजफ्फरपुर टीपीएस, स्टेज–1 (220 मेगावाट) के संबंध में वास्तविक पूंजी व्यय पर आधारित ट्रइंगअप कार्य के बाद अनुमोदन/पुनरीक्षण से संबंधित याचिका संख्या 207/जीटी/2013 और 260/जीटी/2014 में दिनांक 9.2.2016 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

च. 2009–14 अवधि के लिए सिंगरौली एसटीपीएस के टैरिफ के अवधारण याचिका संख्या 315/जीटी/2014 में दिनांक 21.12.2015 के आदेश का पुनरीक्षण

छ. 31.3.2014 तक यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से संबंधित अवधि के लिए एनटीपीसी – वैल्लूर थर्मल पावर प्लांट के टैरिफ के अवधारण से संबंधित याचिका संख्या 198/जीटी/2013 में दिनांक 8.2.2016 के आदेश का पुनरीक्षण

2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने एनटीपीसी के निम्नलिखित 8 स्टेशनों के लिए 2014–19 के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

क. बोंगेगांव थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-I (1x250 MW)

ख. नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज - II (2x490 MW)

ग. नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज - I (840 MW)

घ. फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज - III (210 MW)

ङ. ओरिया गैस पावर स्टेशन (663.36 MW)

च. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज - I (705 MW)

छ. गंधार गैस पावर स्टेशन (657.39 MW)

2014–19 अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकाएं

एनटीपीसी द्वारा दाखिल एनटीपीसी उत्पादन केन्द्रों की 2014–19 अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरूद्ध निम्नलिखित 19 पुनरीक्षण याचिकाओं का आयोग द्वारा निपटान किया गया।

क. 1.4.2016 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए बोंगेगांव थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट-I (250 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के मामले में याचिका संख्या 45/GT/2016 22.05.2017 आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

ख. 2014–19 तक की अवधि के लिए गंधार गैस पावर स्टेशन (657.39 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका संख्या 325/GT/2014 10.04.2017 आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

ग. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज - II (1000 MW) के टैरिफ के अवधारण के संबंध में दिनांक 21.03.2017 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

घ. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए विंध्यांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज - II (1000 MW) के टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में दिनांक 06.02.2017 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

ङ. 2014-19 अवधि के लिए विंध्यांचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज - III (1000 MW) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित याचिका संख्या 342/GT/2014 में दिनांक 24.2.2017 आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

च. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (1500 MW) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित याचिका संख्या 283/GT/2017 में आयोग द्वारा पारित दिनांक 21.01.2017 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका।

छ. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (2000 MW) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित याचिका संख्या 293/जीटी/2014 में आयोग के आदेश 16.02.2017 का पुनरीक्षण

ज. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन (460 MW) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित याचिका संख्या 334/जीटी/2014 में आयोग के आदेश 26.09.2016 का पुनरीक्षण

झ. 2014–19 अवधि के लिए सिमहादरी सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज II के टैरिफ के अवधारण के संबंध में याचिका संख्या 294/GT/2014 29.7.2016 आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

ञ. 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-I (1000 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के बारे में याचिका संख्या 291/GT/2014 23.08.2016 आयोग के आदेश का पुनरीक्षण

निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन

31.3.2018 को निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों के कुल संस्थापित संस्था 3240 मेगावाट है। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र का वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और संस्थापित क्षमता अनुबंध-III में दी गई है।

2009–14 अवधि के लिए टैरिफ का अंतिम ट्रूइंगअप

आयोग ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6(1) के परन्तुक के अनुसार 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. के

निम्नलिखित थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण को अनुमोदित किया।

क. एनएलसी थर्मल पावर स्टेशन II स्टेज-I (630 मेगावाट) और स्टेज-II (840 मेगावाट)

ख. बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट (2 X 125 MW)

2014–19 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने एनएलसी के निम्नलिखित केन्दों के लिए 2014–19 के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

क. एनएलसी थर्मल पावर स्टेशन-II एक्सपेंशन यूनिट्स I & II (2 x 250 MW)

ख. एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. टीपीएस (1000 MW).

ग. एनएलसी थर्मल पावर स्टेशन II स्टेज-I (630 मेगावाट) और स्टेज-II (840 मेगावाट)

घ. बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट (2 X 125 MW)

दामोदर वेली कार्पोरेशन

31.3.2018 को डीवीसी के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 7640 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान डीवीसी ने फरवरी, 2017 में बोकारो टीपीएस–ए के आरंभ के साथ 500 मेगावाट की नई क्षमता और 600 मेगावाट की प्रत्येक क्षमता के रंगनाथपुर टीपीएस के यूनिट–1 और यूनिट–2 को जोड़ा। 31.3.2017 को संस्थापित क्षमता तथा डीवीसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-IV में दी गई है।

2009–14 अवधि के लिए टैरिफ का अंतिम ट्रूइंगअप

आयोग ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6(1) के उपबंध के अनुसार 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए दो दामोदर वैली कार्पोरेशन उत्पादन केन्द्रों के लिए टैरिफ के पुनरीक्षण को अनुमोदित किया।

क. चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट VII और VIII (2x250 MW)

ख. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट V और VI (2x250 MW)

2014–19 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने डीवीसी के निम्नलिखित 9 केन्द्रों के लिए 2014–19 के लिए टैरिफ अनुमोदित किया :–

क. कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I और II (1000 MW)

ख. दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I और II (1000 MW)

ग. मेजिया थर्मल पावर स्टेशन यूनिट V और VI (2x250 MW)

घ. दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन यूनिट III और IV (350 MW)

ङ. रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, फेस–1, यूनिट–I और II (1200 MW)

नीपको

31.3.2017 को नीपको के गैस आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्रों की संस्थापित संस्था 527 मेगावाट है अर्थात् असम जीपीएस (291 मेगावाट) अगरतला जीपीएस (135 मेगावाट) और त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट (101 मेगावाट) है। त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट का गैर टरबाईन जनरेटर (65.42 मेगावाट) के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 24.12.2015 को प्राप्त की गई जबकि 101 मेगावाट टीजीबीपी के 35.5

मेगावाट एसटीजी यूनिट का आरंभ 31.3.2017 को किया गया। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और संस्थापित क्षमता अनुबंध-V में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 2014–19 अवधि के दौरान टैरिफ अवधारण के लिए अगरतला गैस टरबाईन समन्वित साइकल पावर परियोजना (135 मेगावाट) से संबंधित एक आदेश जारी किया । थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 31.3.2018 को उर्जा प्रभारों जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे एनटीपीसी, एनएलसी डीवीसी और नीपको से संबंधित अनुबंध-VI में संलग्न है।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ (2014–19)

आयोग ने 2014–19 अवधि के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों के निम्नलिखित थर्मल पावर केन्द्रों के लिए टैरिफ अनुमोदित किया।

(i) एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (वैल्लूर) (1500 MW)

2009–14 अवधि के लिए आयोग के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध याचिकाओं का पुनरीक्षण

(i) 29.11.2012 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए वैलूर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1500 मेगावाट) के टैरिफ का पुनरीक्षण करते हुए याचिका संख्या 198/जीटी/2013 में 8.2.2016 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।

(ii) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के यूनिट–1 (1.11.2013) से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए मुजफ्फरपुर टीपीएस, स्टेज–1 (220 मेगावाट) के संबंध में किए गए वास्तविक पूंजी व्यय पर आधारित ट्रइंगअप कार्य के बाद टैरिफ के अनुमोदन/पुनरीक्षण से संबंधित याचिका संख्या 207/जीटी/2013 और 260/जीटी/2014 में दिनांक 9.2.2016 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।

2014–19 अवधि के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ

आयोग ने 26.12.2017 के आदेश के माध्यम से मैथॉन पावर लिमिटेड के यूनिट 1050 मेगावाट के संबंध में 2011–14 अवधि के लिए टैरिफ का ट्रूडअप और 2014–19 की अवधि के लिए टैरिफ का अवधारित किया।

आयोग के टैरिफ आदेशों के लिए पुनरीक्षण याचिकाएं

आयोग ने ट्रूइंगअप कार्य के बाद 11.11.2010 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए उदीपी थर्मल पावर स्टेशन ;1200 डॅद्ध के टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में याचिका संख्या 7/जीटी/2016 में 24.3.2017 का आदेश जारी किया।

विभिन्न थर्मल उत्पादन केन्द्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न खण्डों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन आयोग द्वारा संबोधित थर्मल उत्पादन (विविध याचिकाएं) याचिकाओं में आयोग द्वारा संबोधित अन्य विषय निम्नानुसार है–

पीपीए और प्रतिस्पर्धात्मक बोली (विधि का परिवर्तन)

याचिका संख्या 239/एमपी/2016: याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच निष्पादित 26.2.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटना के कारण क्षतिपूर्ति के दावे के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) और (1)(एफ) के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता एसीबी (इण्डिया) ने याचिकाकर्ता के संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और याचिकाकर्ता के बीच प्रविष्ट 26.2.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि घटनाओं में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए मौजूदा याचिका दाखिल की।

परियोजना की प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के अधीन आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विधि घटना में परिवर्तन	निर्णय
1.	जल प्रभार में वृद्धि	अस्वीकृत
2.	वहन की गई लागत	अस्वीकृत

याचिका सं. 104/एमपी/2017: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण लि और अदानी पावर लि. के बीच नि पादित 7.8.2008 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 (विधि में परिवर्तन) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।

अदानी पावर लि. ने याचिकाकर्ता और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण लि. (इसके बाद ''हरियाणा कंपनी'') के बीच 7.8.2009 के विद्युत क्रय करारों के ''विधि में परिवर्तन'' उपबंधों के अधीन मुंद्रा पावर प्लांट के यूनिट 7, 8 और 9 में ईंधन गैस गैर सल्फराइजेशन प्लांट के स्थापन और प्रचालन के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

निवेदन	निर्णय
घोषित करें कि उपरिलिखित घटना पीपीए के अनुसार विधि घटना में परिवर्तन है।	स्वीकृति
एफजीडी की स्थापना के कारण अतिरिक्त पूंजी लागत, प्रचालनगत व्यय और सहायक उपभोग के लिए विधि में परिवर्तन के अधीन क्षतिपूर्ति प्रदान करना।	स्वीकृति
पद्धति के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देना	स्वीकृति
विधि में परिवर्तन के लिए प्रतिदेय रकम के अंतरिम 95 प्रतिशत में अदा करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देना।	अंतिम आदेश पारित होने तक अंतरिम भुगतान का आदेश नहीं दिया गया है।
विधि में परिवर्तन के अधिसूचना की तारीख से विलंब की अवधि के लिए वहन की गई लागत अदा करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देना।	अस्वीकृत

आईए नं. 42/2017 के साथ याचिका संख्या 105/एमपी/2017: ईंधन लागत के लिए अदत देयताओं की वसूली के लिए 7.8.2008 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 11.6 और 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) और (एफ) के अधीन याचिका। याचिकाकर्ता जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि. ने याचिका सं. 79/एमपी/2013 में 3.2.2016 के आयोग के आदेश के उल्लंघन में देसी फर्म लिंकेज कोयले में कमी के कारण याचिकाकर्ता द्वारा की गई कोयले लागत के लिए अनुपूरक बिलों के माध्यम से किए गए हरियाणा डिस्कॉम से बकाय रकम की वसूली के लिए 7.8.2008 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 11.6 और 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) और (एफ) के अधीन मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग ने आईए नं. 42/2017 के साथ याचिका का निपटान किया और पाया कि याचिकाकर्ता को आपूर्ति की गई फर्म और टेंपरिंग लिंकेज कोयला परियोजना के सभी हिताधिकारियों को समानुपातिक आधार पर दिया जाना है और वैकल्पिक स्रोतों से कोयले की प्राप्ति की लागत पर किया जाना है ताकि फर्म और टेपरिंग लिंकेज कोयले की कमी की पूर्ति इन हिताधिकारियों को आपूर्ति की गई विद्युत पर आधारित समानुपातिक रूप से की जाए।

याचिका सं. 1/एमपी/2017: (क) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम लि. और एमको एनर्जी लि. के बीच 17.3.2010 के पीपीए के अनुच्छे 10 के (ख) दादरा और नगर हवेली संघशासित प्रदेश के विद्युत विभाग और एमको एनर्जी लि. के बीच 21.3.2013 के पीपीए अनुच्छेद 10 (ग) एमको एनर्जी लि. के माध्यम से तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लि. और जीएनआर एनर्जी ट्रेडिंग लि. के बीच 27.11.2013 के पीपीए के अनुच्छेद 10 की प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका ताकि प्रचालन अवधि के दौरान विधि घटनाओं में परिवर्तन के ऑफसेट वित्तीय/वाणिज्यिक प्रभाव के लिए उचित समायोजन/क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित किया जा सके।

जीएमआर वरौरा एनर्जी लि. (पूर्व एमको एनर्जी लि.) इसमें याचिकाकर्ता, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन समाविष्ट एक उत्पादन कंपनी है जिसने महाराष्ट्र राज्य में वरौरा तालुका जिला चन्द्रपुर में 600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट (इसके बाद ''परियोजना'' के रूप में उल्लिखित) को विकसित किया। इस परियोजना में प्रत्येक में 300 मेगावाट के दो यूनिट हैं। परियोजना का यूनिट 1 19. 3.2013 को आरंभ हुआ और यूनिट 2 1.9.2013 को आरंभ हुआ।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

विधि घटनाओं में परिवर्तन	
एमएसईडीसीएल पीपीए	
स्पेयर और उपकरणों की प्राप्ति पर वैट	स्वीकृति
टीएएनजीईडीसीओ पीपीए	
क्रशिंग/साइजिंग प्रभार	अस्वीकृत
सरफेस परिवहन प्रभार	अस्वीकृत
निर्यात कर	अस्वीकृत। लिबर्टी प्रदान की गई।

स्वच्छ भारत उपकर क्लिन एनर्जी उपकर बिजी सीजन अधिभार एफसीए में परिवर्तन और एनसीडीपी से विचलन	स्वीकृति 30.6.2017 तक स्वीकृत अस्वीकृत स्वीकृति
मैट एवं कार्पोरेट कर	अस्वीकृत
कोयले के परिवहन पर सेवा कर	स्वीकृति
कार्यकारी पूंजी में वृद्धि	अस्वीकृत
एमएसईडीसीएल, डीएनएच और टीएएनजीईडीसीओ पीपीए	
फ्लाई एश का परिवहन	सिद्धांतः स्वीकृत। लिबर्टी प्रदान की गई।
कृषि कल्याण उपकर	स्वीकृति
एनएमईटी और डीएमएफ के लिए प्रभार	स्वीकृति
छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं विकास उपकर	स्वीकृति
कोयला टर्मिनल अधिभार	अस्वीकृत
काउण्टवेलिंग ड्यूटी और स्पेयर व उपकरणों पर ईडी	स्वीकृति
ओएण्डएम कांट्रेक्ट पर सेवाकर	अस्वीकृत
केन्द्रीय बिक्री कर	अस्वीकृत और लिबर्टी प्रदान की गई।
कोयले के निर्धारणीय मूल्य पर केन्द्रीय उत्पाद ड्यूटी	स्वीकृत
वहन की जाने वाली लागत	अस्वीकृत

याचिका सं. 175/एमपी/2016: प्रचालन अवधि के दौरान विधि को प्रभावित करने वाले राजस्व और लागत में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं और सासन पावर लि. के बीच निष्पादित 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13.2 (ख) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता सासन पावर लि. ने मध्यप्रदेश राज्य में सासन जिला सिंगरौली (इसके बाद ''सासन यूएमपीपी'' के रूप में) में संबद्ध केप्टिव कोयला माइन पर आधारित 4000 मेगावाट सुपर क्रिटिकल अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना स्थापित की।

आयोग के निर्णय के अनुसार निम्नानुसार है–

विधि घटनाओं में परिवर्तन	निर्णय
(I) सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर की उगाही	(क) रॉयल्टी : माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन स्वीकृत है चूंकि रॉयल्टी कर है। (ख) एमपीजीएटीएसवीः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन स्वीकृत है चूंकि एमपीजीएटीएसवी कर की प्रकृति का है। (ग) डीएमएफ और एनएमईटीः स्वीकृत (घ) फोरेस्ट ट्रांजिट फीसरू माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन स्वीकृत है। (घ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए नवीकरणीय प्रभारः सिद्धांतः स्वीकृत (ङ) माइन क्लोरज प्रभार, केविविआ को फीस, डब्ल्यूआरएलडीसी को प्रतिदेय प्रभार, पुलिस का वेतन भुगतान, रॉ के लिए वन विभाग को भुगतान, कोयला नियंत्रक के लिए निरीक्षण प्रभार, भूमि पंजीकरण प्रभार, लिफ्ट निरीक्षक, अनुज्ञप्तियों, अनुमति के लिए विविध प्रभार, स्पैक्ट्रम से संबंधित प्रभार, पर्यावरण मॉनिटरिंग प्रभार, विद्युत विभागों द्वारा वार्षिक निरीक्षण फीस, वे ब्रिज स्टेम्पिंग और प्रमाणीकरण और विधिक मीटरलॉली द्वारा प्रमाणन स्वीकृत नहीं है।
(2) फ्लाई एश परिवहन के लिए अतिरिक्त लागत	सिद्धांतः स्वीकृत है। तथापि परिवहन लागत को निर्धारित करने के लिए साक्ष्य और दस्तावेज सहित आयोग से संपर्क करने के लिए छूट प्रदान की गई।

याचिका सं. 131/एमपी/2016: (क) जीएमआर कमलांग एनर्जी लि. और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच 9.11.2011 के पीपीए के अनुच्छेद 10 (ख) जीएमआर एनर्जी लि. (जीएमआर कमलांग एनर्जी लि. की ओर से) और प्रचालन अवधि के दौरान विधि घटनाओं में परिवर्तन के ऑफसेट वित्तीय/वाणिज्यिक प्रभाव के लिए उचित समायोजन/क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित किया जा सके और विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा वितरण कंपनियों और पीटीसी इण्डिया लि. के बीच बेक–टू–बेक पीपीए के साथ पीटीसी इण्डिया लि. के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका।

जीएमआर कमलांग एनजी लि. (याचिकाकर्ता संख्या 1) को जीएमआर एनर्जी लि. (याचिकाकर्ता संख्या 2) के अनुषंगी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पब्लिक लि. कपंनी के रूप में शामिल किया गया ताकि उड़ीसा राज्य में गांव कमलंगा जिला ढेन कनाल में 1400 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट (इसके बाद ''पावर परियोजना'' के रूप में उल्लिखित) स्थापित किया जा सके। पावर प्रोजेक्ट में दो चरण हैं। पहले चरण में प्रत्येक में 350 मेगावाट के तीन यूनिट और दूसरे चरण में 350 मेगावाट का एक यूनिट। पावर परियोजना का चरण 1 को 1.2.2012 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थिति प्रदान की गई।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	विधि घटनाओं में परिवर्तन	निर्णय	
		बिहार पीपीए	हरियाणा पीपीए
1.	सहायक उपभोग पर विद्युत ड्यूटी में वृद्धि	याचिका सं. 112/एमपी/2015 में स्वीकृति	स्वीकृत
2.	एनएमईटी और डीएमएफ के लिए प्रभारों को लगाना	यथोपरि स्वीकृत	
3.	0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर की लेवी	यथोपरि	स्वीकृत
4.	क्रशिंग/साइजिंग प्रभार में वृद्धि	अस्वीकृत	
5.	सरफेस परिवहन प्रभार में वृद्धि	अस्वीकृत	
6.	एश के परिवहन के लिए प्रभारों की लेवी	सिद्धांतः स्वीकृति। आदेश के पैरा 78 के अनुसार छूट प्रदान की गई।	
7.		जल संरक्षण निधि में अंशदान सभी ब्यौरों सहित आयोग से संपर्क के लिए आदेश के पैरा 84 के अनुसार छूट प्रदान की गई।	
8.	0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण उपकर की लेवी	स्वीकृत	

याचिका सं. 229/एमपी/2016: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 179 (1)(बी) के अधीन याचिका जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच प्रविष्ट 19.8.2013 के विद्युत क्रय करार से संबंधित ''विधि घटनाओं में परिवर्तन'' की पुनरावृत्ति के कारण क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने डीबी पावर लि. ने मौजूदा याचिका

दाखिल की है जिसमें याचिकाकर्ता और तमिलनाडु उत्पादन व वितरण कार्पोरेशन लि0 के बीच प्रविष्ट 19.8.2013 के पीपीए के उपबंधों के अनुसार विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	विधि घटनाओं में परिवर्तन	निर्णय
1.	कोयले पर रॉयल्टी दर में वृद्धि	स्वीकृत
2.	कोयले पर साइजिंग प्रभार में वृद्धि	अस्वीकृत
3.	सरफेस परिवहन प्रभार में वृद्धि	अस्वीकृत
4.	वन ट्रांजिट फीस में वृद्धि	स्वीकृत
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकर/छत्तीसगढ़ पर्यावरण कर में वृद्धि	स्वीकृत
6.	छत्तीसगढ. औद्योगिक विकास/उपकर/छत्तीसगढ़ विकास में वृद्धि	स्वीकृत
7.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अवधारण के लिए उत्पाद मूल्यों में अवयवों का पुनरीक्षण/अभिवृद्धि	केन्द्रीय उत्पाद विभाग से संगत सूचना सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई।
8.	क्लिन एनर्जी उपकर में वृद्धि	30.6.2017 तक स्वीकृत
9.	रेल द्वारा कोयले के परिवहन पर बिजी सीजन अधिभार में वृद्धि	अस्वीकृत
10.	100 किलोमीटर से आगे की दूरी के लिए कोयले के ट्रैफिक के लिए कोयला टर्मिनल अधिभार की लेवी	अस्वीकृत
11.	100 किलोमीटर तक बुक कोयले सहित सभी टैरिफ के लिए भाड़े के प्रभार में अल्प रियायत की वापसी	संगत दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत। संगत दस्तावेजों सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई
12.	रेल और सड़क द्वारा कोयले के परिवहन पर सेवा कर की शुरूआत और वृद्धि	स्वीकृत
13.	वैट/सीएसटी, प्रवेश कर और निर्यात कर में तदनंतर वृद्धि	संगत दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत। संगत दस्तावेजों सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई

14.	विकास अधिभार	अस्वीकृत
15.	फ्लाई एश परिवहन के लिए अतिरिक्त लागत	सिद्धांत स्वीकार्य। तथापि उक्त पैरा 94 के अनुसार परिवहन लागत अवधारित करने के लिए दस्तावेजों और साक्ष्यों सहित आयोग से संपर्क किया जाए।
16.	छत्तीसगढ विद्युत ड्यूटी की लेवी	स्वीकृत
17.	एसईसीएल से कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण अतिरिक्त लागत	स्वीकृत
18.	वहन की गई लागत	अस्वीकृत

याचिका सं. 101/एमपी/2017: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 179 (1)(बी) के अधीन याचिका जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच प्रविष्ट 1.11.2013 के विद्युत क्रय करार से संबंधित ''विधि घटनाओं में परिवर्तन'' की पुनरावृत्ति के कारण क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता, डीबी पावर लि. ने मौजूदा याचिका दाखिल की जिसमें पीटीसी और याचिकाकर्ता के बीच 1.11.2013 को विक्रय के लिए करार के माध्यम से याचिकाकर्ता के संयंत्र से विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रत्यर्थी सं. 3, 4 और 5 (सामूहिक रूप से प्रत्यर्थी सं. 2 सहित राजस्थान डिस्कॉम कहा गया) और पीटीसी इण्डिया लि. (पीटीसी/प्रत्यर्थी सं. 1) के बीच प्रविष्ट 1.11.2013 के पीपीए के उपबंधों के अनुसार विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विधि घटनाओं में परिवर्तन	निर्णय
1.	कोयले पर रॉयल्टी दर में वृद्धि	स्वीकृत
2.	कोयले पर साइजिंग प्रभार में वृद्धि	अस्वीकृत
3.	सरफेस परिवहन प्रभार में वृद्धि	अस्वीकृत
4.	वन ट्रांजिट फीस में वृद्धि	स्वीकृत
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपकर/छत्तीसगढ़ पर्यावरण कर में वृद्धि	स्वीकृत
6.	छत्तीसगढ. औद्योगिक विकास/उपकर/छत्तीसगढ़ विकास में वृद्धि	स्वीकृत
7.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अवधारण के लिए उत्पाद मूल्यों में अवयवों का पुनरीक्षण/अभिवृद्धि	केन्द्रीय उत्पाद विभाग से संगत सूचना सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई।
8.	क्लिन एनर्जी उपकर में वृद्धि	30.6.2017 तक स्वीकृत

9.	रेल द्वारा कोयले के परिवहन पर बिजी सीजन अधिभार में वृद्धि	अस्वीकृत
10.	100 किलोमीटर से आगे की दूरी के लिए कोयले के ट्रैफिक के लिए कोयला टर्मिनल अधिभार की लेवी	अस्वीकृत
11.	100 किलोमीटर तक बुक कोयले सहित सभी टैरिफ के लिए भाड़े के प्रभार में अल्प रियायत की वापसी	संगत दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत। संगत दस्तावेजों सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई
12.	रेल और सड़क द्वारा कोयले के परिवहन पर सेवा कर की शुरूआत और वृद्धि	स्वीकृत
13.	वैट/सीएसटी, प्रवेश कर और निर्यात कर में तदनंतर वृद्धि	
14.	वैट/सीएसटी में वृद्धि	संगत दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत। संगत दस्तावेजों सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई
15.	प्रवेश टैक्स	संगत दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत। संगत दस्तावेजों सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई
16.	विकास अधिभार	अस्वीकृत
17.	निर्यात कर	संगत दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत। संगत सूचना सहित आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई
18.	फ्लाई एश परिवहन के लिए अतिरिक्त लागत	सिद्धांत स्वीकार्य। तथापि उक्त पैरा 106 के अनुसार परिवहन लागत अवधारित करने के लिए दस्तावेजों और साक्ष्यों सहित आयोग से संपर्क किया जाए।
19.	छत्तीसगढ विद्युत ड्यूटी की लेवी	स्वीकृत

20.	एसईसीएल से कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण अतिरिक्त लागत	क्रमशः आयोग से संपर्क के लिए छूट प्रदान की गई।
21.	एसईसीएल से कोयले की सप्लाई में कमी के कारण अतिरिक्त लागत	स्वीकृत
22.	वहन की गई लागत	अस्वीकृत

याचिका सं. 189/एमपी/2016: 2.1.10.1 विधि घटनाओं में विभिन्न परिवर्तन के पुनरावृत्ति के कारण की गई अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए 29.6.2012 और 23.8.2013 के पीपीए के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) और (एफ) के अधीन याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता जिंदल पावर लि. ने 29.6.2012 और 23.8.2013 विद्युत क्रय करारों के अनुसार कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में प्रचालन अवधि के दौरान ''विधि में परिवर्तन'' के अधीन कुछेक राहतों की मांग करते हुए पीपीए के अनुच्छेद 10 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) और (एफ) के अधीन मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पैरामीटर	एमटी पीपीए	निर्णय
1.	वन ट्रांजिट फीस की लेवी	पैरा 31 के अनुसार स्वीकृत	पैरा 31 के अनुसार स्वीकृत
2.	राष्ट्रीय मिनरल एक्सपलोरेशन ट्रस्ट को भुगतान और जिला मिनरल फण्ड को भुगतान	पैरा 39 के अनुसार स्वीकृत	पैरा 39 के अनुसार स्वीकृत
3.	क्लीन एनर्जी उपकर की लेवी	30.6.2017 तक या पीपीए के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की अंतिम तारीख जो भी पहले हो तक स्वीकृति (पैरा 43, 44 और 45)	30.6.2017 तक या पीपीए के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की अंतिम तारीख जो भी पहले हो तक स्वीकृति (पैरा 43, 44 और 45)
4.	सहायक उपभोग की विद्युत ड्यूटी की लेवी	पैरा 55 के अनुसार स्वीकृत	पैरा 55 के अनुसार स्वीकृत
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण उपक्रम विकास उपकर की लेवी	पैरा 49 के अनुसार स्वीकृत	पैरा 49 के अनुसार स्वीकृत
6.	कोयले पर उत्पाद शुल्क की लेवी	संबंधित दस्तावेजों के कारण स्वीकृत नहीं है।	संबंधित दस्तावेजों के कारण स्वीकृत नहीं है।
7.	कोयले पर प्रवेश टैक्स की लेवी	संबंधित दस्तावेजों के कारण स्वीकृत नहीं है।	संबंधित दस्तावेजों के कारण स्वीकृत नहीं है।

8.	कोयला परिवहन पर स्वच्छ भारत उपकर सहित सेवा कर की लेवी	–	संबंधित दस्तावेजों के कारण स्वीकृत नहीं है।
9.	वैट की लेवी	संबंधित दस्तावेजों के कारण स्वीकृत नहीं है।	संबंधित दस्तावेजों के कारण स्वीकृत नहीं है।
10.	वहन की गई लागत	अस्वीकृत	अस्वीकृत

याचिका सं. 141/एमपी/2016: निर्माण अवधि के दौरान विधि घटनाओं में परिवर्तन के कारण मुंद्रा यूएमपीपी की पूंजी लागत में वृद्धि के परिणामतः टैरिफ में वृद्धि की मांग करते हुए 22.4.2007 के पीपीए के अनुच्छे 13 और 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका। यचिकाकर्ता कोस्टल गुजरात पावर लि. में 22.4. 2007 के विद्युत क्रय करार के अनुसर यूएमपीपी के संबंध में निर्माण अवधि के दौरान ''विधि में परिवर्तन'' घटनाओं के अधीन कुछेक राहतों की मांग करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के पैराग्राफ 4.7 और पीपीए के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) के अधीन मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

विधि घटनाओं में परिवर्तन	निर्णय
भूमि की कीमत घोषित	इस आदेश के पैरा 43 के अनुसार स्वीकृत
निर्माण अवधि के दौरान इनफर्म पावर की बिक्री के राजस्व का समायोजन	इस आदेश के पैरा 58 के अनुसार अस्वीकृत
इनफर्म पावर के उत्पादन के लिए कोयले की खपत पर क्लिन एनर्जी उपकर की लेवी	अस्वीकृत
इनफर्म पावर के उत्पादन के लिए उपभोग की गई आयात कोयल पर सीमा शुल्क और प्रतिकारी ड्यूटी में परिवर्तन	अस्वीकृत
निर्माण कार्य के दौरान सिविल सामग्री पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन	
(i) स्टील और सीमेंट	अस्वीकृत
(ii) एलडीओ और एचएफओ	स्वीकृत
निर्माण अवधि के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर में कमी	स्वीकृत
निर्माण अवधि के दौरान गुजरात वैट में वृद्धि	स्वीकृत
निर्माण अवधि के दौरान कांट्रेक्ट कार्य पर सेवा कर की दर में वृद्धि	अस्वीकृत

निर्माण अवधि के दौरान कोयले की खपत पर ग्रीन उपकर की लेवी	फिलहाल माननीय सर्वोच्च
(i) 8.1.2012 से 31.3.2012	न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के अनुसार प्रतिदेय नहीं। यदि प्रदत्त/प्रतिदेय है तो उसे इनफर्म पावर की बिक्री से अर्जित राजस्व पर समायोजित किया जाएगा।
(ii) अप्रैल, 2012 से 31.3.2013	
निर्माण अवधि के दौरान सीएसआर गतिविधि पर व्यय के लिए एमओई और एफ द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तें	अस्वीकृत
मोर्टगेज वहन लागत पर अदा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क	अस्वीकृत
वहन की गई लागत	अस्वीकृत

याचिका सं. 235/एमपी/2015: प्रचालन अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. के साथ अदानी पावर लि. द्वारा निष्पादित 7.8.2008 के विद्युत क्रय करारों तथा गुजरात उर्जा विकास निगत लि. के साथ अदानी पावर लि. द्वारा निष्पादित 6.2.2007 और 2.2.2007 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

मौजूदा याचिका प्रचालन अवधि के दौरान 2.2.2007, 6.2.2007 और 7.8.2008 के पीपी के अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि घटनाओं में परिवर्तन के लिए कुछेक राहत की मांग करते हुए अदानी पावर लि. द्वारा (इसके बाद याचिकाकर्ता या एपीएल के रूप में उल्लिखित) दाखिल की गई।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संघटक	विधि घटनाओं में परिवर्तन
1.	आयातित कोयले पर मूल सीमा शुल्क डयूटी की लेवी (गैर एएफटीए देश)	स्वीकृत
2.	आयातित कोयले पर क्लीन उर्जा उपकर की लेवी	स्वीकृत
3.	आयायित कोयले पर प्रतिकार की डयूटी की लेवी	स्वीकृत
4.	किसी अन्य माल की आयात/प्राप्ति पर केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 44 और/या केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम 85, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 75, सीमा शुल्क अधिनियम 62 के अधीन डयूटी की लेवी	पैरा 51 के अनुसार अनुमति (जीयूवएनएल के साथ 6.2.2007 के बोली 1 पीपीए को छोड़कर)
5.	सेवा कर से छूट की वापसी	पैरा 51 के अनुसार अनुमति (जीयूवएनएल के साथ 6.2.2007 के बोली 1 पीपीए को छोड़कर)
6.	वहन की गई लागत	अस्वीकृत

याचिका सं. 112/एमपी/2015: प्रचालन अवधि के दौरान राजस्व और लागत को प्रभावित करते हुए विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि. और बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 के बीच निष्पादित पीपीए दिनांक 7.8.2007 के अनुच्छे 13.2(ख) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि. (याचिकाकर्ता सं. 1) को उड़ीसा राज्य में कमलांगा गांव जिला ढेंकालीन में 1400 मेगावाटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (इसके बाद पावर प्रोजेक्ट के रूप में उल्लिखित) स्थापित करने के लिए जीएमआर एनर्जी लि. (याचिकाकर्ता सं. 2) के अनुषंगी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पब्लिक लि. कंपनी के रूप में शामिल किया गया। पावर प्रोजेक्ट दो चरणों को शामिल किया गया। पहले चरण में प्रत्येक में 350 मेगावाट के तीन यूनिट थे और दूसरी स्टेज में 350 मेगावाट का एक यूनिट। पावर प्रोजेक्ट का चरण 1 1.2.2012 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थिति प्रदान की गई।

आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विधि घटनाओं में परिवर्तन	निर्णय
क.	कोयले पर रॉयल्टी की दरों में परिवर्तन	स्वीकृत
ख.	क्लीन एनर्जी उपकर	स्वीकृत
ग.	कोयले पर उत्पाद शुल्क मं परिवर्तन और रॉयल्टी को शामिल करना और उत्पाद शुल्क पर एसईडी	आदेश के पैरा 36 में उल्लिखित सीमा में अनुमति
घ.	परियोजना पर न्यू कोयला वितरण नीति से विस्थापन और तेल आपूर्ति करार में परिवर्तन i. एमसीएल से ईसीएल को कोयले के स्रोत में परिवर्तन ii. एनडीसीपी से विस्थापन्न	अस्वीकृत
ङ	एमसीएल द्वारा रेल मोड से रोड मोड में कोयले परिवहन में परिवर्तन	अस्वीकृत
च.	टेपरिंग लिंकेज के अधीन कोयला आपूर्ति के एमओपी अधिसूचित कीमत पर प्रीमियम जोड़ना	अस्वीकृत
छ.	व्यस्त सीजन प्रभार और रेलवे मंत्रालय द्वारा विकास प्रभार के कारण रेलवे भाड़ा	अस्वीकृत
ज.	भारतीय रेलवे द्वारा माल के परिवहन पर सेवा कर में वृद्धि	स्वीकृत
	वेट दर में वृद्धि	स्वीकृत
झ.	न्यूनतम वैकल्पिक दर में वृद्धि	अस्वीकृत
ञ.	नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और डिस्ट्रिक्ट मिनरल को वितरण	स्वीकृत
ट.	सहायक उपभोग पर विद्युत ड्यूटी	स्वीकृत
ठ.	स्वच्छ भारत उपकर	स्वीकृत

विविध विषयः

याचिका सं. 192/एमपी/2016: निग्री जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश में याचिकाकर्ता सं. 1320 मेगावाट (2X660 MW) कोयाला आधारित पावर प्रोजेक्ट के संबंध में डब्ल्यूआरएलडीसी और डब्ल्यूआरपीसी द्वारा घोषित क्षमता और प्रमाणन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनिमय, 2014 के विनियम 31(3) के अधीन और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(ग) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका

याचिकर्ता जयप्रकाश पावर वेंचर लि. ने निम्नलिखित प्रार्थना सहित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(ग) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन मौजूदा याचिका दाखिल कीः

(क) याचिकाकर्ता के पावर स्टेशन के पीएएफएम/उपलब्धता को प्रमाणित करने के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी/डब्ल्यूआरपीसी को निर्देश देना

(ख) यह घोषित करना कि याचिकाकर्ता द्वारा घोषित क्षमता/उपलब्धता पर आधारित मौजूदा स्थिति तक सितंबर, 2014 अवधि के लिए पीएफ के लिए हकदार होगा और पूर्व प्रभाव से संबद्ध अवधि के लिए आरईए में याचिकाकर्ता के उत्पादन ब्यौरों को तदनुसार डब्ल्यूआरपीसी को निमंत्रण देना।

या

विकल्प में यदि प्रार्थना (बी) के अधीन सहायता विधि में अनुमति नहीं दी जा सकती तो यह घोषणा करें कि याचिकाकर्ता सितंबर 2014 से पीएएफ गैर उपलब्धता के लिए इसके द्वारा हुई किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होगा और उसी आर्थिक स्थिति में डब्ल्यूआरडीसी द्वारा होगा। यदि याचिकाकर्ता की उपलब्धता डब्ल्यूआरडीसी द्वारा प्रमाणित हो और सितंबर 2014 से समय समय से डब्ल्यूआरपीसी द्वारा जारी आरईए में शामिल किया जाए और

(ग) मौजूदा याचिका के प्रार्थना (क) के अनिर्णिय अधिनिर्णय के अनुसार एकपक्षीय अंतरिम आदेश हैं।

परियोजना की प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन के अधीन आयोग के निर्णय का सार निम्नानुसर हैः

''हमारा यह विचार है कि ईआरएलडीसी/ईआरपीसी को इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि जेपीबीएल के संबंध में डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा कार्यान्वित है। तदनुसार हम विगत अवधि के लिए इसके उत्पादन केन्द्रों के रोजमर्रा की अनुसूची और घोषित क्षमता प्रस्तुत करने के लिए एमपीएल को निर्देश दे सकते हैं। डाटा की प्राप्ति पर ईआरएलडीसी विगत अवधि के लिए संबंधित माह के आरईए में आवश्यक निर्देश देते हुए प्रादेशिक उर्जा लेखांकन शामिल करने के लिए इआरपीसी को उक्त सूचना प्रसारित करेगा।

याचिका सं. 21/एमपी/2018: भारत सरकार की शक्ति योजना के अधीन कोयला लिंकेज आवंटन के कारण पीपीए और टैरिफ के संशोधन के अनुमोदन के लिए धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका।

यचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना सहित यह याचिका दाखिल की है–

''क'' उक्त 11 और 13 पैरे में यथाप्रदत्त प्राप्तकर्ताओं को पारित के लिए 1 से 8 याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थियों के बीच पीपीए में संशोधन को अनुमोदित करना जैसा कि 22.5.2017 की शक्ति पॉलिसी के खण्ड (बी)(2)(बी) में दिया गया है। ''ख'' ऐसे अन्य आदेशों को पारित करना जिसे माननीय आयोग मौजूदा मामले के तथ्यों में उचित समझता है।''

आयोग ने इस याचिका का निपटान किया है और निर्णय दिया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए संशोधित/अनुपूरक पीपीए में शक्ति योजना के साथ प्राप्तकर्ताओं को मासिक बिलों में पटटे के समायोजन के लिए पद्धति की व्यवस्था है। अतएव उपर्युक्त

याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 से 8 के बीच पीपीए का संशोधन अनुमोदित है। इस प्रकार के समायोजन से उदभूत यदि कोई मुददा है तो उसे पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से निपटाया जाऐगा।

याचिका सं. 41/एमपी/2018: (क) जीएमआर कमलांग एनर्जी लि. और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच 9.11.2011 का पीपीए और (ख) भारत में कोयला आवंटन एवं दोहन के लिए योजना के उपबंधों के अनुपालन में उक्त पीपीए के संशोधन के अनुमोदन के लिए जीएमआर कमलांग एनर्जी लि. और ग्रिडको लि. के बीच 28.9.2006 का पीपीए (4.1.2011 को संशोधित) तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासी प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका दाखिल की:

''(क) प्रापतकताओं को पटटा पारित करने के लिए क्रमशः जीकेईएलई और ग्रिडको के बीच तथा जीकेईएल और बीपीएचसीएल, एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल के बीच नि पादित 1.2.2018 और 8.2.2018 के इस मौजूदा याचिका को अनुमति दी और अनुमोदन को संशोधित किया तथा

(ख) किसी अन्य सहायता को पारित करना जिसे माननीय आयोग ठीक समझता है और मौजूदा मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में उचित है।''

आयोग ने याचिका का निपटान किया और यह निर्णय दिया कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संशोधित/अनुपूरक पीपीए में शक्ति योजना के अनुसर प्राप्तकर्ताओं को मासिक बिलों में पटटे के समायोजन के लिए पद्धति की व्यवस्था है और उपरिलिखित याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के बीच पीपीए का संशोधन अनुमोदित है। इस प्रकार के समायोजन से उदभूत विषय यदि कोई है तो उसे पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से निपटाया जाएगा।

याचिका सं. 179/एमपी/2017: 1.4.2014 से 31.3.2019 की अवधि के लिए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–2 (1000 मेगावाट) के मानदण्डों की छूट के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनिमय 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1)(क) के अधीन याचिका।

याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई है और एनटीपीसी ने निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की है:

''उक्त द्वारा परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय आयोग ''कठिनाई को दूर करने की शक्ति'' के विनियम 55 और ''छूट करने की शक्ति'' के विनियम 54 के अधीन माननीय आयोग की शक्तियों द्वारा प्राप्त वास्तविक एईसी/एपीसी पर आधारित केन्द्र के लिए 2014–2019 की नियंत्रण अवधि के लिए 5.75 से 6.25 प्रतिशत एईसी/एपीसी (%) के लिए प्रचालन मानदण्ड की रियायत दी जाए।

आयोग ने याचिका का निपटान किया और पाया कि प्रार्थना की गई सहायता प्रदान करने के लिए याचिककर्ता का निवेदन की कोई मैरिट नहीं है और वह 2014 टैरिफ विनियमों के विनियम 54 की संभावना से आगे है। उक्त विचारविमर्श के आधार पर याचिकाकर्ता का निवेदन रदद किय ाजाता है इसलिए याचिका को बनाए रखा नहीं जा सकता।

याचिका सं. 167/एमपी/2017: 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तलचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–1 (1000 मेगावाट) के एपीसी मानदण्डों की छूट के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनिमय 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1)(क) के अधीन याचिका।

याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई है, एनटीपीसी ने निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की है:

''उपरिलिखित परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन है कि याचिका दाखिल की

जाए और एनटीपीसी टीएसटीपीएस स्टेज–1 को ''शिथिल करने की शक्ति'' विनियम 54 के अधीन मानीय आयोग की शक्तियों का आहवान करते हुए 2014–19 अवधि के लिए 5.75 से 7.05 प्रतिशत एपीसी/एईसी के लिए शिथिल प्रचालन मानदण्ड की अनुमति दी जाए।''

आयोग ने 16.2.2018 के आदेश में निर्णय दिया कि 2014 टैरिफ विनियम के अधीन प्रचालनगत मानदण्डों को निनिर्दिष्ट करते समय 2008–09 से 2012–13 के अवधि के लिए अर्थात 2014–19 की अवधि से पूर्व उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रचालनगत और कार्यनि पादन डाटा पर विचार किया गया। इस प्रकार 2017–18 के दौरान विद्युत गहन प्रणालियों की अभिवृद्धि 2014–19 अवधि के लिए उत्पादन केन्द्र के लिए एपीसी मानदण्ड की रियायत के लिए घटक नहीं हो सकती। तदनुसार विनियम 36(ई) के अधीन विनिर्दिट एपीसी मानदण्ड की रियायत के लिए याचिकाकर्ता का निवेदन रखने योग्य नहीं है और इसलिए रदद किय जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 63 के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अधीन टैरिफ अवधारित किया गया।

याचिका सं. 163/एमपी/2017: देसी कोयले के लिए वृद्धि दरों की संगणना के लिए पद्धति में पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका। जैसा कि केस–1 बोली प्रक्रिया के अधीन पीपीए के संबंध में टैरिफ के भुगतान के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि मौजूदा याचिका केस–1 बोली प्रक्रिया के अधीन पीपीए के संबंध में टैरिफ के भुगतान के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा यथा प्रकाशित देसी कोयले के लिए वृद्धि दरों की संगणना के लिए पद्धति में पुनरीक्षण की मांग करते हुए दाखिल की गई है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मौजूदा याचिका की वापसी के लिए आयोग की अनुमति की मांग की है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का निवेदन को अनुमति दी गई। तदनुसार याचिका संख्या 163/एमपी/2017 वापसी के रूप में निपटाई गई।

याचिका संख्या 89/एमपी/2016: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका जिसमें याचिकाकर्ताओं के बीच अर्थात् प्रगति–3 समन्वित साइकल विद्युत परियोजना द्वारा उपलब्धता की घोषणा से संबंधित पीपीसीएल से बीएसईएस राजधानी पावर लि. और बीएसईएस यमुना पावर लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय की मांग की।

याचिकाकर्ता अर्थात बीएसईएस राजधानी पावर लि. और बीएसईएस यमुना पावर लि. दिल्ली एनसीटी में आपूर्ति की उनके संबंधित क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी हैं। मौजूदा याचिका प्रगति–3 गैसफायर समन्वित साइकल पावर स्टेशन (1371 मेगावाट) पीपीसीएल के (''इसके बाद पीपीसीएल–3 के रूप में उल्लिखित'') की उपलब्धता की घोषणा के जारी होने पर दिल्ली उत्पादन कंपनी प्रगति पावर कार्पोरेशन लि. (इसके बाद ''पीपीसीएल'' के रूप में उल्लिखित) के साथ विवाद के अधिनिर्णय के लिए दाखिल की गई।

आयोग ने पाया है कि प्रत्यर्थी को प्रतिदेय नियत लागत वास्तविक उत्पादन पर आधारित कम होनी चाहिए। नियत लागत यूनिट/स्टेशन की उपलब्धता के आधार पर प्रतिदेय है जो घोषित क्षमता पर आश्रित है और 2012–13 से 2014–15 के दौरान प्राप्त उपलब्धता 85 प्रतिशत की मानकीय उपलब्धता से अधिक है। इस प्रकार हम याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई मैरिट नहीं देखते और तदनुसार याचिकाकताओं की प्रार्थना रदद की जाती है।

याचिका संख्या 132/एमपी/2017: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 44 और 45 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका जिसमें एनटीपीसी लि. के साथ टाटा पावर दिल्ली वितरण

लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता टाटा पावर दिल्ली वितरण लि., नई दिल्ली में मौजूदा याचिका दाखिल की है जिसमें एनटीपीसी लि. (एक उत्पादन कंपनी/प्रत्यर्थी) की अवैध और यादृच्छिक कार्रवाई की वैधता को चुनौती दी गई है जैसा कि 31.5.2017 के 13वें चूक नोटिस में वर्णित है (डिफाल्ट नोटिस) जो एनटीपीसी द्वारा उनके 9.6.2017 के माध्यम जारी किया गया है जिसमें पीपीए में उचित रूप से शामिल किए जाने वाले 8.6. 2017 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत भुगतानों की देय तारीख के लिए प्रस्तावों को रदद किया गया है।

आयोग ने पाया कि मौजूदा विद्युत क्रय करार में ''भुगतान तंत्र'' से संबद्ध उपबंध टैरिफ विनियम 2014 के उपबंध 44 और 45 का उल्लंघन नहीं करते। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि प्रत्यर्थी की इनवाइस में उल्लिखित देय तारीख पार्टियों के समझ और विगत आचरण को ध्यान में रखते हुए संगत है। देश में अग्रणी उत्पादन कंपनी के रूप में प्रत्यर्थी को भुगतान की देय तारीख के संबंध में भविष्य में इनवाइस में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

याचिका संख्या 154/एमपी/2015: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व अदानी पावर लि. द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति के लिए भुगतान के संबंध में अदानी पावर लि. और गुजरात उर्जा विकास निगम लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय की मांग की गई।

याचिकाकर्ता अदानी पावर लि. ने मुद्रा पावर परियोजना के यूनिट 5 और 6 के स्कॉट से पूर्व आपूर्ति की गई विद्युत की भुगतान के संबंध में जीयूवीएनएल और एपीएल के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन मौजूदा याचिका दाखिल की गई। याचिका 2014 की निष्पादन याचिका सं. 1 में 12.03.2015 के आदेश में विद्युत या अपील न्यायधीकरण द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता के बाद याचिका दाखिल की गई।

आयोग ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और जीयूवीएनएल क्षतिपूर्ति करेगा और 15 दिन की अवधि के अंदर उक्त आदेश के अनुसार क्षतिपूर्ति और ब्याज रकम का कार्य करेगा और पूर्ण निपटान इस आदेश की तारीख से (देय तारीख) से एक महीने के अंदर किया जाए। यदि भुगतान देय तारीख से आगे देरी होती है तो जीयूवीएनएल देय तारीख के बाद समूचे बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा करने का दायी होगा।

याचिका संख्या 30/एमपी/2017: विधि घटना में परिवर्तन के रूप में 28.1.2016 की टैरिफ नीति 2016 में खण्ड 6.2(5) के उद्घोषणा/शुरूआत के बाद थर्मल विद्युत संयंत्रों में सीवेज वाटर के प्रयोग पर विचार करने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8(3)(II) और 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(ए) के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता एनटीपीसी ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 54 और 55 के अधीन ईंधन फायर गैस उत्पादन केन्द्रों के लिए कार्यपूंजी में तरल ईंधन स्टॉक की लागत की अनुमति देने वाली मौजूदा याचिका दाखिल की।

आयोग ने यह पाया कि याचिकाकर्ता कुछ विद्युत संयंत्रों में सीवेज, जल के प्रयोग के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहमत हुआ है कि पूंजी लागत के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए 2014 टैरिफ विनियम में कोई उपबंध नहीं हैं। तथापि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता अपने प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के लिए मामले करेगा जहां सीवेज, जल प्रयुक्त होने का प्रयास है और लागत एवं अन्य संगत ब्यौरों सहित आयोग से संपर्क करेगा और मौजूदा याचिका की वापसी के लिए अनुमति की मांग करेगा। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुरोध को देखते हुए याचिका को विधि के अनुसार अलग याचिकाओं के माध्यम से उचित राहत की मांग के लिए याचिकाकर्ता को

स्वतंत्रता सहित वापसी की अनुमति है।

याचिका संख्या 292/एमपी/2015: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका जिसमें फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए एनटीपीसी द्वारा रखे गए कोयले के स्टॉक की पर्याप्त कमी के बाद कार्य पूंजी पर ब्याज की तुलना में अधिक रकम की वसूली की मांग की गई।

यह याचिका विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 अधिनियम) की धारा 79(1)(एफ) के अधीन डब्ल्यूबीएसईडीसीएल याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई जिसमें निम्नलिखित राहतों की मांग की गई:

(क) 1.4.2009 से अब तक फरक्का एसटीपीएस में प्रत्यर्थी द्वारा रखे गए वास्तविक कोयला स्टॉक के संबंध में प्रत्यर्थी से आवश्यक रिकार्ड की मांग;

(ख) विभेदक (अधिक) रकम की संगणना की प्रत्यर्थी निवेदन (क) के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्रदत्त सूचना/दस्तावेजों के आधार पर 1.4. 2009 से आगे 1.5 महीनों के मानकीय कोयला स्टॉक के आधार कार्यपूंजी पर बयाज के लिए याचिकाकर्ता से एकत्र कर रहा है।

(ग) इस अधिक रकम की प्रत्यक्ष वापसी जैसा कि याचिकाकर्ता के लिए उक्त संगणित किया गया है और

(घ) इस प्रकार के या अन्य आदेश पारित करना जिसे मामले की परिस्थितियां और तथ्यों में आयोग द्वारा उचित समझा जाता है।

आयोग ने निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता तथा अन्य प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि एनटीपीसी कार्यपूंजी पर उपभोक्ता ब्याज अधिक प्रभावित कर रहा है जिससे एनटीपीसी द्वारा इसे ठीक नहीं माना गया। हमारे विचार से आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार एनटीपीसी मानकीय आधार पर कार्यपूंजी में कोयला स्टॉक की लागत की वसूली के लिए हकदार है। तदनुसार ईंधन इत्यादि की वास्तविक लागत पर आधारित कार्यपूंजी पर ब्याज की संगणना के लिए याचिकाकर्ता का निवेदन और विभेदक ब्याज की वापसी पर कोई विचार नहीं और इसलिए तदनुसार इसे रदद किया जाता है।

याचिका संख्या 130/एमपी/2017: यह याचिका बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–2 (660 मेगावाट) और परिणामी निर्देशों के यूनिट–4 के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के घोषणा से संबंधित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के उपबंधों के कार्यान्वयन/परिवर्तन के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2010 के विनियम 110 और 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(ए) और (एफ) के अधीन याचिका दाखिल की।

याचिकाकर्ता ग्रिडको लि. ने बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–2 (660 मेगावाट) के यूनिट–4 के वाणिज्यिक प्रचालन को शून्य घोषित करने के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की।

2.2.12.2 आयोग ने स्पष्ट किया कि 8.3.2016 से पूर्व यूनिट के संबंध में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अंतःक्षेपित पावर को इनफर्म पावर के रूप में माना जाएगा यद्यपि पावर को इस अवधि के दौरान हिताधिकारियों द्वारा अनुसूचित किया गया। 15.11.2014 से 7.3.2016 तक इनफर्म पावर बिक्री से उक्त ईंधन लागत और अर्जित राजस्व पूंजी लागत में समायोजित किया जाएगा।

याचिका संख्या 27/एमपी/2017: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित ईंधन गैस स्टेशन धारा 79(1)(सी) के लिए कार्यपूंजी में तरल ईंधन स्टॉक की लागत की अनुमति के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1991 के विनियम 111 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के अधीन याचिका।

याचिकाकर्ता एनटीपीसी ने केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के अधीन ईंधन फायर गैस उत्पादन केन्द्रों के लिए कार्यपूंजी में तरल ईंधन स्टॉक की लागत की

अनुमति के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की।

याचिकाकर्ता ने 30.6.2017 के माध्यम से निवेदन किया कि मौजूदा स्थिति में यह मौजूदा स्थिति के लिए अभिष्ट नहीं और भविष्य में आयोग से संपर्क के लिए स्वतंत्रता सहित मौजूदा याचिका की वापसी के लिए अनुमति मांगी। आयोग ने याचिकाकर्ता के निवेदन को मंजूरी दी। तदनुसार याचिका स. याचिका संख्या 27/एमपी/2017 को वापसी के रूप में निपटान किया।

याचिका संख्या 28/एमपी/2016: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के अधीन याचिका जिसमें मैथन पावर लि. जैसे अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के लिए उपलब्धता की संगणना की पद्धति पर स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसके लिए मेगावाट आधार में क्षमता को कड़ा किया गया।

यह याचिका निम्नलिखित निवेदनों के साथ यचिकाकर्ता मैथन पावर लि. द्वारा दाखिल की गई:

(क) परियोजना के लिए संयंत्र उपलब्धता की संगणना के लिए उपयुक्त पद्धति के संबंध में स्पष्टीकरण जिसके लिए हिताधिकारियों के लिए कांट्रेक्ट क्षमता का शेयर मेगावाट के अनुसार आधारित है और किसी पूर्व अवधारित प्रतिशतता आवंटन के अधीन नहीं।

(ख) संयंत्र उपलब्धता की संगणना में आबद्ध क्षमता के संव्यवहार के संबंध में स्पष्टीकरण

(ग) परियोजना की मासिक/वार्षिक संयंत्र उपलब्धता के प्रमाणन के लिए प्रत्यर्थी सं. 6, ईआरपीसी के लिए निर्देश देना; और

(घ) परियोजना से अनुसूचित पावर में प्रत्यर्थी सं. 7, ईआरएलडीसी को निर्देश देना।

आयोग ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

''तदनुसार अंतरिम उपाय के रूप में याचिकाकर्ता को इस आदेश के अनुबंध–1 के रूप में संलग्न फार्मेट के अनुसार (डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ईआरएलडीसी को 1.8.2017 से संभावित संयंत्र उपलब्धता औरी डीसी के प्रमाणन के लिए और उत्पादन केन्द्र से विद्युत अनुसूची के लिए निर्देश दिया गया। डीसी के प्रमाणन के संबंध में याचिका सं. 192/एमपी/2016 में लिया गया कोई अंतिम निर्णय याचिकाकर्ता के मामले में भी लागू होगा। पूर्व अवधि (2011–14 से 1.8.2017 तक) के लिए याचिकाकर्ता के उत्पादन केन्द्र की संयंत्र उपलब्धता और घोषणा के प्रमाणन के संबंध में और याचिकाकर्ता के प्रत्यर्थियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए मामला याचिका सं. 192/एमपी/2016 में आयोग के विचाराधीन है और उक्त याचिका में लिया गया निर्णय याचिकाकर्ता के मामले में लागू होगा।''

याचिका संख्या 62/एमपी/2013: याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच विवादों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका।

यचिककाकर्ता कांती बिजली उत्पादन निगम लि. जो मुजफ्फरनगर थर्मल पावर स्टेशन (2 x 110 MW) (उत्पादन केन्द्र) का स्वामी है, ने निम्नलिखित निवेदनों के साथ याचिका दाखिल की:

''(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका दाखिल करना।

(ख) विवादों और मतभेदों पर अधिनिर्णय जो याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 बीच उत्पन्न हुए।

(ग) 12.12.2010 से 9.3.2011 की अवधि के लिए, 20.3.2010 से 30.3.2011 की अवधि के लिए और लागू अधिभार सहित 4.11.2011 से 29.3.2012 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के बिलों के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष प्रत्यर्थी सं. 1।

(घ) याचिकाकर्ता को देय राशि रिलीज करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 को निर्देश देते हुए अंतरिम

आदेश पारित करना और

(ङ) एमटीपीएस के संबंध में एबीटी के कार्यान्वयन के लिए एसएलडीसी पटना (प्रत्यर्थी सं. 2) को निर्देश देना।

आयोग ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

''राज्य विद्युत अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और अदा किए गए और प्रतिदेय राशि में छोटे अंतराल के लिए चयन और केवल आकस्मिकता के बाद आरएण्डएम के समक्ष विशेष परिस्थितियों के अधीन किए जा रहे यूनिट–2 वाणिज्यिक प्रचालन को ध्यान में रखते हुए 15.10.2010 से मार्च, 2012 में आरएण्डएम के लिए इसके शटडाउन तक यूनिट–2 वाणिज्यिक प्रचालन के संबंध में प्रत्यर्थी सं. 1/याचिकाकर्ता द्वारा अदा किया जाना/दावा किया जाने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं है।''

याचिका सं. 130/एमपी/2017: पाठ भार प्रचालन और बहुविध स्टार्ट यूनिटों के स्टॉप के कारण द्वितीय ईंधन उपभोग और सहायक विद्युत उपभोग, हीट रेट के गिरावट के लिए क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र के कार्यान्वयन में सामना की गई कठिनाइयों के संबंध में केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के खण्ड 4 भाग 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका

याचिकाकर्ता एनटीपीसी ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं से इस याचिका को दाखिल किया:

(क) 6.4.2016 से उत्पादन केन्द्रों के आंशिक भार प्रचालन के लिए क्षतिपूर्ति के अनुमति देने अर्थात् 6.4.2016 से केविविआ (आईजीसी) (चौथा संशोधन) विनियम 2016 के तदनंतर 6.4.2016 से

(ख) इस प्रकार के अन्य राहतें पारित करना जिसे माननीय आयोग मौजूदा मामले की प्रकृति और प्रस्तुतियों में उचित समझता है।

2.2.16.2 आयोग ने यह पाया कि मौजूदा मामले में कठिनाई को दूर करने/छूट की शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना की अनुमति का कोई कारण नहीं है। तनदुनसार, याचिका को बनाए नहीं रखा जा सकता और इसे रदद किया जाता है।

इनफर्म पावर (विविध याचिकाएं)

केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(के) के अधीन याचिका जिसमें पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति की मांग की गई।

याचिका सं. 66/एमपी/2018: केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका जिसमें प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से अर्थात 8.3.2018 के आगे 6 महीने की अवधि के आगे लारा एसटीपीपी (2X800 MW)] के यूनिट–1 के ट्रायल प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की मांग की।

आयोग ने यूनिट–1 पूर्ण भार परीक्षण और 7.9.2018 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, की परीक्षण आरंभ करने के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में अनुमत समय को बढ़ाने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा में विलंब के लिए आईडीसी/आईईडीसी के लिए याचिकाकर्ता स्वतः पात्र होगा जिस पर यूनिट/उत्पादन केन्द्र के टैरिफ के निर्धारण के समय मैरिट पर विचार किया जाएगा।

याचिका सं. 247/एमपी/2016: एनटीपीसी के मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने याचिका दाखिल की जिसमें 27.4.2017 तक या 1320 मेगावाट (2X660

MW) के स्टेज–2 के यूनिट–1 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा तक या 27.04.2017 तक पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के दौरान ग्रिड में पावर के अंतःपरिवर्तन के लिए आयोग की अनुमति की मांग की।

आयोग ने 23.12.2016 के आदेश के माध्यम से याचिका का निपटान किया और 27.4.2017 तक यूनिट–1 पूर्ण भार परीक्षण सहित या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति दे दी।

याचिका सं. 51/एमपी/2018: प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन अर्थात 21.2.2018 की तारीख से आगे 6 महीने की अवधि के आगे कुडगी एसटीपीपी (3X800 MW) के यूनिट–3 के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।

आयोग ने 23.2.2018 के आदेश के माध्यम से 31.5.2018 तक यूनिट–3 के भार परीक्षण सहित या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति दी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में अनुमत समय बढ़ने से सीओडी की घोषणा में विलंब के लिए आईडीसी/आईएडीसी के लिए याचिकाकर्ता स्वतः पात्र नहीं होगा जिस पर यूनिट/उत्पादन केन्द्र के टैरिफ के अवधारण के समय टैरिफ पर विचार किया जाएगा।

याचिका सं. 265/एमपी/2017: 1.1.2018 से 31.3.2018 तक एसकेएस पावर उत्पादन (छत्तीसगढ़) लि. के बिंजकोट टीपीपी (4x300 MW) के दूसरे यूनिट (यूनिट सं. 1) (300 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आंरभ करने के लिए स्टार्टअप पावर के निकासी और इनफर्म पावर की अंतःक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार के लिए अनुमति की मांग करते हुए याचिका।

आयोग ने 2.1.2018 के आदेश के माध्यम से 31.3.2018 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, यूनिट–2 (यूनिट सं. 1) के

भार परीक्षण सहित आरंभ होने के परीक्षणों के लिए ग्रिड हेतु स्टार्टअप पावर की निकासी और ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय बढ़ाने की अनुमति और याचिका का निपटान किया।

2.3.5 याचिका सं. 260/एमपी/2017: 27.11.2017 से आगे कुडगी एसटीपीपी स्टेज –I (3X800 MW) के यूनिट–2 के लिए ग्रिड सहित इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।

आयोग ने 29.12.2017 के आदेश के माध्यम से 28.2.2018 तक वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो यूनिट–2 के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षणों के आरंभ करने के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति और याचिका का निपटान किया।

याचिका सं. 177/एमपी/2017: आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन 6 महीने से आगे बोंगेगांव टीपीपी (3X250 MW) के यूनिट–2 (250 मेगावाट) के निरीक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन के लिए अवधि बढ़ाने की मांग के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।

आयोग ने 25.8.2017 के आदेश के माध्यम से 30.11.2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, प्रोजेक्ट के यूनिट–2 के उत्पादन के अंतःक्षेपण के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण औ सिंक्रॉनाइजेशन के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी अर्थात् इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति दी और याचिका का निपटान किया।

2.3.7 याचिका सं. 172/एमपी/2017: आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन 6 महीने से आगे कुदगी एसटीपी स्टेज–1 (3X800 MW) के यूनिट–2 के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक

पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।

आयोग ने 18.8.2017 के आदेश के माध्यम से 27.11. 2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, प्रोजेक्ट के यूनिट–2 के पूर्ण भार परीक्षण आरंभ करने के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति और याचिका का निपटान किया।

याचिका सं. 147 / एमपी / 2017: 1.7.2017 से 31.12. 2017 तक एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. बिंजकोट टीपीपी के (4x300 MW) के दूसरे यूनिट (यूनिट–1) (300 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ करने के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि बढ़ाने की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(के) के अधीन याचिका।

आयोग ने 31.7.2017 के आदेश के माध्यम से 31.12. 2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, दूसरे यूनिट (यूनिट–1) पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण आरंभ करने के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति और याचिका का निपटान किया।

याचिका सं. 152 / एमपी / 2017: 31.7.2017 से 31. 07.2017 तक एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. बिंजकोट टीपीपी के (4x300 MW) के दूसरे यूनिट (यूनिट–1) (300 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ करने के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि बढ़ाने की अनुमति के लिए आयोग की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध

मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(के) के अधीन याचिका।

आयोग ने 31.7.2017 के आदेश के माध्यम से 31.10.2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, दूसरे यूनिट (यूनिट–2) पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण आरंभ करने के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति और याचिका का निपटान किया।

याचिका सं. 102/एमपी/2017: प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन 6 महीने की अवधि के आगे कुडगी एसटीपीपी **(3X800 MW)** के यूनिट–3 के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।

आयोग ने 30.8.2017 के आदेश के माध्यम से 27.11.2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, यूनिट–1 के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण आरंभ करने के लिए ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन की अनुमति करते हुए याचिका का निपटान किया।

याचिका सं. 64/एमपी/2017: आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन 6 महीने से आगे एमटीपीएस केबीयूएनएल के स्टेज–2 **(2X195 MW)** के यूनिट–2 के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण और स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए अवधि बढ़ाने की अनुमति की मांग करते हुए यथासंशोधित केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।

आयोग ने 11.4.2017 के आदेश के माध्यम से 30.06.2017 तक या वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख जो भी पहले हो, के यूनिट–2 तक के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण आरंभ करने के लिए स्टार्टअप

पावर की निकासी और ग्रिड में इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए समय बढ़ाने की अनुमति देते हुए याचिका का निपटान किया।

6.5 हाइड्रो उत्पादन

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने सीपीएसयू अर्थात एनएचपीसी, एनएचडीसी, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी और बीबीएमबी और एक मैसर्स हिमाचल बस्पा पावर कं. लि. द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के लिए टैरिफ को विनिर्मित किया जो उत्तरी पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षत्रे में स्थित है। हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के लिए 31.3.2018 को कुल संस्थापित क्षमता 17164.12 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान टीयूएल का तीस्ता–3 एचईपी 28 फरवरी, 2017 को 1200 मेगावाट क्षमता का आरंभ किया गया। 31.3.2018 को संस्थापित क्षमता और विभिन्न प्रकार के हाइड्रो उत्पादन केन्द्र प्रत्येक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-VII में दी गई है।

निम्नलिखित नई आरंभ की गई परियोजना की 2014–19 अवधि के लिए अनंतिम उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन के लिए याचिका का निपटान किया गया–

I टीयूएल के तिस्ता–3 हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6x2000)=1200 MW)

निम्नलिखित हाइड्रो विद्युत उर्जा संयंत्रों की विविध याचिकाओं का निपटान किया:

251/एमपी/2015: चमेरा–3 पावर स्टेशन के संबंध में वर्ष 2014–15 के दौरान उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण के आगे के कारणों के लिए उर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूली उर्जा प्रभारों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31(6) के अधीन याचिका।

139/एमपी/2016: 2012-13ए 2013-14 और 2014-15 की अवधि के दौरान उर्जा प्रभार कमी की वसूली की अनुमति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31(6)(बी) और अध्याय 7 तथा ईसीआर की संगणना के लिए 2014-15, 2015.16 और 2016.17 डिजाइन उर्जा के संशोधन जब तक पूर्ववर्ती वर्ष की उर्जा प्रभार कमी आरएचईपी के लिए की गई है, जहां वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा उत्पादित वार्षिक उर्जा नीपको उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए अनुमोदित डिजाइन उर्जा से कम है तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 22(6)(ii) (अध्याय–3) तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) के अधीन याचिका।

ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित विभिन्न याचिका का निपटान किया गया:

84/एमपी/2015: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 24 और 111 के साथ पठित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के विनियम 5.2(एफ)(जी)(एच)(आई) के गैर अनुपालन और उत्पादकों द्वारा मैन्युअल हस्तक्षेप सहित फ्री गवर्नर मोड ऑपरेशन के अपर्याप्त/गैर कार्यनि पादन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्युत ग्रिड के रक्षित ग्रिड प्रचालन।

निम्नलिखित हाइड्रो विद्युत उर्जा संयंत्र की पुनरीक्षण याचिका का निपटान किया गया:

57/आरपी/2016: याचिका सं.13/एमपी/2014 में 8.3.2016 के आदेश का पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका जिसमें पीसीआर की संगणना के लिए परवर्ती वर्षों के लिए उर्जा डिजाइन के संशोधन तथा 2009–14 अवधि के दौरान उर्जा प्रभार कमी की वसूली की मांग की गई जब तक पूर्ववर्ती वर्ष की उर्जा प्रभार कमी रंगनदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र के लिए की गई जहां वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा उत्पादित वास्तविक उर्जा उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए अनुमोदित डिजाइन उर्जा से कम है।

9/आरपी/2016: 1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए पूर्वोत्तर विद्युत उर्जा कार्पोरेशन लि. के कोपीली हाइड्रो विद्युत उर्जा संयंत्र (4 x 50 MW) के उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका सं. 46/जीटी/2015 में 13.1.2016 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका।

20/आरपी/2017: 1.4.2009 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए टिहरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टेज–1 (1000 MW) के अनुमोदन के संबंध में 20.3.2017 के आयोग के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका

नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने नवीकरणीय उर्जा स्रोत विनियम से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों को अधिसूचित किया जिसके माध्यम से आयोग ने विभिन्न नवीकरणीय उर्जा तकनीक पर आधारित ग्रिड पारस्परिक क्रिया विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधारण के लिए प्रचालनगत मानदण्ड और तकनीकी पैरामीटर, वित्तीय सिद्धांत, टैरिफ संरचना और डिजाइन को विनिर्दिष्ट किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पवन उर्जा, लघु हाइड्रो बायोमास (रेंकिन साइकल पर आधारित) सौर (पीवी व थर्मल) बायोमास, बायोगैस, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट/रिफ्यूजड डिराइवड ईंधन परियोजना रेंकिन साइकल तकनी पर आधारित) इत्यादि शामिल है।

आयोग ने नवीकरणीय या नवीकरणीय पारंपरिक स्रोतों को शामिल करते हुए अन्य हाइब्रिड परियोजना बायोगैस आधारित परियोजना (यदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा अपनाई गई है) बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजना (परियोजना विकासकर्ता द्वारा अपनाई गई है) रिफ्यूजड डिराइवड ईंधन आधारित परियोजनाएं तथा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, पवर उर्जा (ऑनश्योर और ऑफश्योर सहित) सौर पीवी एवं सौर थर्मल के संबंध में जेनरिक टैरिफ अवधारण से प्रस्थान किया जिसके लिए नवीकरणीय तकनीक एमएनआरई द्वारा अनुमोदित है। इन नवीकरणीय उर्जा तकनीक के संबंध में परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ अगली नियंत्रण अवधि के लिए (2017–20) के लिए अवधारित होगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ के ब्योरे जो आयोग द्वारा अवधारित है अनुबंध-IX में दिए गए है।

पारेषण

देश में पारेषण प्रणाली में तेज गति से विकास हो रहा है और आयोग टैरिफ के निर्धारण, ट्रूइंग अप याचिकाएं तथा संयोजकता से संबंद्ध विविध याचिकाएं, निर्बाध पहुंच, अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग तथा विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं ग्रिड संबद्ध मुद्दों से संबंधित वृहत कार्य का संचालन करता है।

पारेषण टैरिफ

आयोग ने टैरिफ अवधि 2014–19 के दौरान आरंभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई पारेषण आस्तियों के लिए अनंतिम आदेशों सहित अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध याचिकाओं में कई आदेश जारी किए। अधिकांश टैरिफ याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंग अप से संबद्ध पावर ग्रिड द्वारा दाखिल की गई और केविविआ के अधीन (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए दाखिल की गई और कई याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन 2017–18 के दौरान आंरभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई आस्तियों के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए थी।

आयोग ने 01.04.2014 से 31.03.2019 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 5 के अधीन फीस व प्रभारों की ट्रूइंग अप के संबंध में आदेश जारी किए।

ग्रिड अनुशासन की मॉनिटरिंग व प्रवर्तन

अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में यह व्यवस्था है कि एनएलडीसी राष्ट्रीय ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा और प्रचालन की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा और आरएलडीसी संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के समन्वित प्रचालन और प्रचालनों की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

एनएलडीसी और आरएलडीसी ने कंपनियों द्वारा ग्रिड कोड के उल्लंघनों के संबंध में कई याचिकाएं दाखिल

की। आयोग ने उल्लंघनों में अन्तर्ग्रस्त पार्टियों की सुनवाई के बाद कंपनियों द्वारा ग्रिड अनुशासन के प्रवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए कई आदेश जारी किए। आयोग के कुछ आदेश संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं।

याचिका संख्या 193/एमपी/2016 में 19.12.2017 का आदेशः केविविआ (कारोबार का संचालन) विनिमय 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (आईईजीसी) विनियम 2010 (ग्रिडकोड) के विनियम 6.5 (17) के अधीन याचिका के मामले में जिसमें ग्रिड व्यवधान की घोषणा के बाद परिणामी उपायों और ग्रिड कोड के अनुसरण में अधिनियम के प्रत्यर्थियों को निर्देश की मांग की गई।

याचिकाकर्ता टीपीसीआईएल ने याचिका दाखिल की जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 अर्थात् क्रमशः एसआरएलडीसी और एसआरपीसी को निर्देश की मांग की ''ग्रिड व्यवधान'' के प्रवेश पर कार्य किया जाए जो 30.12.2015 को घटित हुआ और विनियमों के अनुसार लेखों को संशोधित किया जाए तथा याचिकाकर्ता द्वारा अदा विचलन प्रभारों को वापस किया जाए। 19.12.2017 के आदेश के माध्यम से आयोग ने निम्नानुसार पायाः

(क) मौजूदा मामला आईईजीसी के विनियम 6.5.17 के अधीन कवर किया गया है चूंकि मामला ग्रिड व्यवधान का है और एसआरएलडीसी ने ग्रिड व्यवधान–1 के अधीन इस घटना को वर्गीकृत किया है।

(ख) एसआरएलडीसी को स्थिति के संचालन और अनुसूचियों के पुनरीक्षण में अधिक तत्पर होना चाहिए। प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अपने संबंधित क्षेत्र की विद्युत प्रणाली के समन्वित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक शीर्ष निकाय है और उन्हें उच्च स्तर के उत्तरदायितव सौंपे गए हैं जिन्हें कार्यनिष्पादन के उच्च मानकों से केवल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार एसएलआरडीसी भविष्य में ग्रिडकोड और अधिनियम विनियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है।

(ग) डीएसएम लेखा के व्यवस्थापन के लिए पद्धति ग्रिड कोड के विनियम 6.5.17 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अपनाई जाएगी। अनुसूची ग्रिड व्यवधान द्वारा प्रभावित अवधि के लिए दीर्घकालिक/मध्यकालिक के अधीन सप्लाई की गई विद्युत के लिए वास्तविक रूप में संशोधित की जानी चाहिए। जैसा कि पहले निर्देश दिया गया है कि ''ग्रिड व्यवधान द्वारा प्रभावित अवधि के प्रमाणन के बाद डीएसएम प्रभारों को एमपीओए के तदनुसार संशोधित किया जाए।

याचिका सं. 291/एमपी/2015 में 16.9.2016 के आदेशः केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के उपबंधों के अधीन आंध्रप्रदेश के सिमहादरी स्टेज–1 पावर के लिए एपीएसएलडीसी को हानियों की छूट के लिए आदेश जारी करने के लिए विविध याचिकाओं के मामले में।

विविध याचिका में सिमहादरी एसटीपीएस स्टेज–1 से पावर के संबंध में पीओसी प्रभारों और हानियों के भुगतान से छूट की मांग करते हुए आंध्रप्रदेश के डिस्कॉप द्वारा दाखिल की। 30.3.2017 के आदेश के माध्यम से आयोग ने निम्नानुसार कहाः

(क) सिमहादरी एसटीपीएस स्टेज–1 का अनुसूचीकरण एसआरएलडीसी द्वारा होगा।

(ख) चूंकि आंध्रप्रदेश के लिए विद्युत के निकासी के लिए अंतःक्षेपण प्वाइंट और निकासी प्वाइंट एकसमान है अतएव कोई हानि नहीं हो सकती और इस प्रकार सिमहादरी एसटीपीएस स्टेज–1 से आंध्रप्रदेश की निकासी अनुसूची की संगणना के लिए पीओसी अंतःक्षेपण हानियां और निकासी हानिया प्रयुक्त नहीं की जाएगी।

(ग) आईएसटीएस प्रभार सिमहादरी एसटीपीएस

स्टेज–1 से इसकी शेयर की निकासी के लिए आंध्रप्रदेश पर लेवी योग्य नहीं होंगे चूंकि आईएसटीएस पावर के पारेषण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है।

(घ) चूंकि तेलंगाना के लिए अंतःक्षेपण और निकासी प्वाइंट अलग हैं अतएव पीओसी पारेषण हानियों के भुगतान के लिए दायी नहीं होंगे।

2017–18 के दौरान ग्रिड अनुशासन के परिवर्तन और मॉनिटरिंग के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य याचिकाओं में याचिका सं. 15/एमपी/2016, 84/एमपी/2015, 59/एमपी, 2015 इत्यादि शामिल है।

निबार्ध पहुंच का प्रवर्तन

निर्बाध पहुंच विद्युत अधिनियम 2003 का एक महत्वपूर्ण घटक है। आयोग को अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणलियों के लिए निर्बाध पहुंच को सरल बनाने के कार्य का दायित्व सौंपा गया है। आयोग ने केविविआ (अन्तरराजियक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच तथा संयोजकता प्रदान करना व संबद्ध मामले) विनियम, 2009 और केविविआ (अन्तरराजियक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 जारी किया जिसमें अन्तरराज्यिक प्रणाली में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच एवं अल्पकालिक पहुंच, दीर्घकालिक पहुंच को सरल बनाया गया है। 2017–18 की अवधि के दौरान आयोग ने अन्तरराज्यिक प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए याचिकाओं का निपटान किया।

याचिका सं. 145/एमपी/2017 में 29.7.2017 का आदेशः पवन/सौर उर्जा परियोजनाओं को दी गई संयोजकता के लिए बेज के कम प्रयोग से बचने के लिए निर्देशों की मांग करते हुए केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम के विनियम 2(3) के साथ पठित, केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 (निहित शक्तियां) सहित विद्युत अधिनियम, 2003 और विनियम 33ख (कठिनाई दूर करने की शक्ति) के धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका के मामाले में।

याचिकाकर्ता पावर ग्रिड ने मौजूदा याचिका दाखिल की जिसमें पवन/सौर उत्पादन परियोजनाओं को दी गई संयोजकता के लिए बेज के कम प्रयोग की रोकथाम के लिए और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक हस्तक्षेपों की मांग की। 29.9.2017 के आदेश के माध्यम से आयोग के निम्नानुसार पायाः

(क) सीटीयू को उन विषयों का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए जो 2022 तक 60 जीडब्ल्यू की पवन उर्जा क्षमता प्राप्ति के लिए भारत सरकार के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पवन उर्जा उत्पादन की स्थापना के लिए आवेदकों को संयोजकता प्रदान करने से परिणामतः संभावित है।

(ख) सीटीयू एमएनआरई और एसईसीआई जैसे सभी स्टेकहोल्डर से परामर्श करते हुए स्थिति संचालित कर सकता है और पवन उर्जा विकासकर्ताओं को संयोजकता प्रदान करने से पूर्व आयोग से विनियामक निर्देश प्राप्त करना चाहिए।

(ग) प्रचलित संयोजकता विनियमों के अनुसार आवेदन करना और विस्तृत क्रियाविधि, संयोजकता के लिए आवेदकों को निहित अधिकार का सृजन नहीं करता।

(घ) चूंकि प्रदान की गई संयोजकता में बोली में सहभागिता नहीं की गई या बोली में चयन नहीं किया गया उसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता यदि पवन उर्जा उत्पादक संयोजकता अर्जित करता है और लंबी अवधि के लिए परियोजना विकास के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता तो प्रदान की गई संयोजकता जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(ङ) सीटीयू को स्टेकहोल्डर से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद विस्तृत क्रियाविधि में संशोधन के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्य मानदण्ड के लिए निर्देश किया गया है और

इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 माह की अवधि के अंदर आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश हैं।

(च) सफल बोलीकर्ताओं ने बोलियों को प्रस्तुत करते समय जोखिम लिए हैं और संयोजकता प्रदान करने के मामले में विशेष व्यवस्था प्रदान नहीं की जा सकती।

(छ) सीटीयू एमएनआरई से परामर्श करते हुए पवन स्रोतों की संभावनाओं पर विचार करते हुए प्रत्येक स्थान पर उपकेन्द्र की योजना करेगा।

(ज) संयोजकता के लिए लागू सभी आवेदनकर्ता को संयोजकता प्रदान की जाएगी इसमें आईएसटीएस उपकेन्द्र के आरंभ होने के लिए स्पष्ट समय सीमा देते हुए वैकल्पिक स्थान और आईएसटीएस उपकेन्द्र का सही स्थान दर्शाया जाएगा।

(झ) सभी आवेदनकर्ता जिन्हें संयोजकता प्रदान की गई है को बेज सहित भौतिक संयोजकता के लिए उनकी तैयारी पर आधारित उपकेन्द्र में भौतिक कनेक्शन की अनुमति होगी।

(ञ) पवन एवं सौर उर्जा उत्पादकों को निकासी प्रणाली और प्रणाली को सृदृढ़ करने की योजना के लिए सीटीयू के उद्देश्य से विस्तृत क्रियाविधि और संयोजकता विनियम के अनुसार संयोजकता प्रदान करने की उचित अवधि के अंदर दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन करना चाहिए।

(ट) सीटीयू संयुक्त समन्वय समिति बैठक में इस प्रकार के उत्पादकों की निश्चितता और प्रगति को मूल्यांकित करने के बाद और पवन उत्पादकों से परामर्श करने के बाद प्रणाली सुदृढ़ीकरण और उपकेन्द्र का कार्यान्वयन करेगा।

(ठ) सीटीयू प्रत्येक छः महीने पवन उर्जा उत्पादक/विकासकर्ता की प्रगति की समीक्षा करेगा और आवश्यक निर्देशों के लिए आयोग को रिपोर्ट करेगा।

(ड) पवन पार्क विकासकर्ता के अवधारणा को शुरू करने की आवश्यकता है। कब नए पवन विकासकर्ता आईएसटी के लिए से संबंद्ध हो रहे हैं।

(ढ) संयोजकता प्रदान करना और समीक्षा करने की प्रक्रिया में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के स्टाफ को उक्त पैरा में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों पर सीटीयू के साथ परामर्श में परीक्षण करने का निर्देश है और संयोजकता विनियम और विस्तृत क्रियाविधि में उपयुक्त संशोधन का सुझाव दें।

(ण) एसईसीआई बोली के मूल्यांकन के समय प्रत्येक आईएसटीएस उपकेन्द्र में उपलब्ध क्षमता पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह माना जाएगा कि एसईसीआई को सीटीयू से संगत सूचना की माग करनी चाहिए और आईएसटीएस उपकेन्द्र की उपलब्ध क्षमता पर आधारित बोलियों का मूल्यांकन करना चाहिए।

(त) 100 प्रतिशत अनुषंगी कंपनियों को पेरंट कंपनी के प्रदान की गई संयोजकता का उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। अनुषंगी कंपनी ने शेयर की कोई बिक्री एसईबी से विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत के 1 वर्ष के बाद अनुमति होगी। एक एसपीवी से अधिक की मामले में लॉकिंग अवधि अंतिम एसपीवी से विद्युत की आपूर्ति की शुरूआत से लागू होगी। इन मामलों में पेरंट कंपनी मूल उत्पादक के रूप में कार्य करेगी और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुपालन में नवीकरणीय उर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए सभी प्रचालनगत और वाणिज्यिक उत्तरदायित्वों का अनुपालन करेगी और ग्रिड सुरक्षा अनुसूचीकरण और प्रेषण पारेषण प्रभारों का समायोजन/भुगतान व वसूली विचलन प्रभार, संकुलता एवं अन्य प्रभार आदि जैसे

आयोग के सभी अन्य विनियमों का दायित्व लेगी। यदि पेरंट कंपनी बाहर जाना चाहती है और अपने एसपीवी को प्रदान संयोजकता/एलटीए को देना चाहती है तो एक एसपीवी को अग्रणी उत्पादक के रूप में अधिग्रहण करना होगा और उक्त सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा।

(1) 2016–17 के दौरान निर्बाध पहुंच के प्रवर्तन के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य याचिकाओं में याचिका सं. 174/एमपी/2017, 181/एमपी/2017, 61/एमपी/2017, 167/एमपी/2016, 198/एमपी/2016, 168/एमपी/2017, 258/एमपी/2017, 185/एमपी/2017, 186/एमपी/2017, 203/एमपी/2015, 173/एमपी/2017, 69/एमपी/2014 शामिल है।

आईएसटीएस पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग

(1) याचिका सं. 211/एमपी/2011 में 05.10.2017 का आदेशः केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के विनियम 20 और 21 के अधीन याचिका के मामले में और भिलाई स्टील प्लांट को एनएसपीसीएल के उत्पादन केन्द्र से विद्युत के अंतरण के लिए प्रयुक्त की जा रही 220 केवी लाइनों पर भार प्रेषण हानियों द्वारा डब्ल्यूआरएलडीसी की कथित या यादृच्छिक कार्रवाई के विरुद्ध।

याचिका सं. 211/एमपी, 2011 में 5.10.2007 के आदेश के माध्यम से आयोग ने निम्नानुसार पायाः

(क) एनएसपीसीएल और सेल बीएसपी के बीच समर्पित पारेषण लाइनें जिन्हें बाद के केप्टिव उपभोग के प्रयोजन के लिए सेल बीएसपी को एनएसपीसीएल से भिन्न नामित नहीं है उसे आईएसटीएस के लिए आकस्मिक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

(ख) आकस्मिक प्रवाह सेल बीएसपी और एनएसपीसीएल के बीच 220 केवी समर्थित पारेषण लाइनों को समर्पित नहीं किया जा सकता जो विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए आकस्मिक है।

(ग) एनएसपीसीएल के लिए अन्य संबद्ध पारेषण प्रणाली के सामान्य प्रयोग के लिए एनएसपीसीएल या सेल बीएसपी के लिए आवश्यक नहीं है अर्थात् सेल बीएसपी को की गई आपूर्ति और एनएसपीसीएल द्वारा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए सीएसपीटीएल के केदारमारा उपकेन्द्र के लिए अंतराराज्यिक पारेषण प्रणाली या पीजीसीआईएल के रायपुर उपकेन्द्र से संबद्ध 400 केवी पारेषण लाइन के लिए है।

(घ) केप्टिव उपभोग के लिए सेल बीएसपी को एनएसपीसीएल द्वारा की गई आपूर्ति के संबंध में अंतःक्षेपण और निकासी हानियों की संगणना के लिए शामिल नहीं किया जा सकता। चूंकि आईएसटीएस एनएसपीसीएल से सेल बीएसपी द्वारा विद्युत की निकासी के लिए उपयोग नहीं की जाती इसलिए कोई पारेषण हानियां सेल बीएसपी पर लेवी नहीं होगी।

(ङ) मौजूदा मामला की सेल बीएसपी और राज्यों जैसी एकसमान इकाइयां हैं जो आईएसटीएस के उपयोग के बिना एसटीयू की पारेषण प्रणाली के माध्यम से आईएसजीएस के बसबार से विद्युत की निकासी करती है। आयोग के स्टाफ को स्पष्ट करने के लिए विनियम की शेयरिंग में संशोधन के प्रस्ताव करने और विषयों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

(च) यदि सेल बीएसपी किसी अन्य कंपनी को एनएसपीसीएल से अनुसूचित कोई विद्युत बेचता तो पारेषा हानियां इस प्रकार की उर्जा पर लागू होंगी। इसके अलावा एनएसपीसीएल और सेल बीएसपी के बीच

सभी चार समर्थित लाइन के मामले में यदि यह प्रमाणित है कि सेल बीएसपी में खेदामरा (भिलाई) उपकेन्द्र से एनएसपीसीएल से विद्युत का शेयर वापस लिया है तो इस प्रकार के मामले में पीओसी हानियां प्रचलित विनियमों के अनुसार लागू होंगी।

याचिका सं. 85/एमपी/2014 में 18.12.2017 का आदेशः केविविआ (अन्तरराजियक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच तथा संयोजकता प्रदान करना व संबद्ध मामले) विनियम, 2009 केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के उचित उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) और (एफ) के अधीन याचिका के मामले में।

आयोग ने 18.12.2017 के आदेश के माध्यम से निम्नानुसार पायाः

(क) यद्यपि बीवीसी एनएचपीसी या एमटीपीसी से भिन्न केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र है अतएव डीवीसी की समूची क्षमता विद्युत मंत्रालय द्वारा आवंटित नहीं की गई है। डीवीसी ने 2500 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति के लिए डीटीएल के साथ 24.8.2006 के पीपीए में प्रवेश किया है। संयोजकता विनियमों के साथ डीवीसी के हिताधिकारी एलटीए के ग्राहक नहीं माने गए। चूंकि विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत आवंटित नहीं किया गया और इस प्रकार हिताधिकारियों से एलटीए आवेदनों पर आधारित एलटीए ग्राहकों के रूप में विचार किए जा रहे हैं। हिताधिकारियों को एलटीए प्रदान करना अपेक्षित है।

(ख) डीटीएल ने आरंभिक आवेदन किया और फिर उसे 230 मेगावाट का एलटीए प्रदान किया गया तदनतर एलटीए इन डिस्कॉम आवेदनों पर आधारित 70 मेगावाट के लिए एनडीपीएल, बीआरपीएल और बीवाईपीएल के पक्ष में प्रदान किया गया। दिल्ली डिस्कॉम ने आवेदन किया और इसे 70 मेगावाट का एलटीए प्रदान किया गया। बीवाईपीएल ने मेजिया टीपीएस से 119.19 मेगावाट का एलटीए का आवेदन किया लेकिन मेजिया यूनिट 7 और 8 से 238.38 मेगावाट का एलटीए प्रदान किया गया। यूनिट 8 से एलटीए के लिए बीवाईपीएल से आवेदन की अनुपस्थिति में बीवाईपीएल को तदनुरूपी क्षमता के लिए एलटीए की मंजूरी ठीक नहीं थी चूंकि टीवीसी के उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के आवंटन के संबंध में बैठकों के कार्यवृत्त या पीपीए कभी भी एलटीए प्रदान करने के आधार पर नहीं थे।

(ग) डीवीसी और दिल्ली के डिस्कॉक के बीच विद्युत के अभ्यर्पण के संबंध में विवाद पार्टियों के बीच थे और याचिकाकर्ता तदनुरूपी उर्जा के अभ्यर्पण के लिए एलटीए प्रभारों के भुगतान के लिए संबंधित डिस्कॉम की देयता का निर्णय नहीं कर सकता।

(घ) यदि विद्युत हिताधिकारियों द्वारा अभ्यर्पित है तो उत्पादक चुनिंदा हिताधिकारियों के बिना उत्पादन कंपनी के हित में माना जाएगा और शेयरिंग विनियम के विनियम 11(9) के अनुसार तदनुरूपी क्षमता के लिए प्रभार अदा करने का दायी होगा।

(ङ) याचिकाकर्ता को डीवीसी के उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के लिए निर्मित क्षमता, पारेषण क्षमता की जांच का निर्देश है और प्राप्त एलटीए की मात्रा और क्षमता की मात्रा जिसके लिए एलटीए का उपयोग नहीं किया गया और पारेषण प्रभारों के लिए उत्पादक की देयता का निर्णय किया गया है जिसके लिए एलटीए प्रदान/प्राप्त नहीं किया गया।

(च) डीवीसी को बिना विलंब भुगतान अधिभार इस आदेश की तारीख से 2 महीने की अवधि के अंदर और भविष्य में नियमित रूप से प्रभार अदा करने के लिए याचिककर्ता को पारेषण प्रभारों के बकाया का भुगतान करने

का निर्देश दिया गया।

(2) 2017–18 के दौरान निर्बाध पहुंच के प्रवर्तन के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई याचिकाओं में 166/एमपी/2015, 32/एमपी/2017, 20/एमपी/2017, 198/एमपी/2016, 229/आरसी/2015 आदि शामिल है।

पारेषण आस्ती के कार्यान्वयन के लिए विनियामक अनुमोदन

(1) भारत सरकार ने सौर विद्युत के उन्नयन के लिए सौर पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। एमएनआरई ने 12.12.2014 के पत्र के माध्यम से 2014–15 से 2018–19 पांच वर्षों तक की अवधि में सौर उर्जा की 20,000 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के लक्ष्य सहित देश के विभिन्न भागों में कम से कम 25 सौर पार्कों को स्थापित करने के लिए फ्रेमवर्क की व्यवस्था के लिए भारत सरकार की इच्छा को प्रेषित किया है।

(2) जहां तक पारेषण और निकासी सुविधा का संबंध है एनआरई ने बताया है कि एक या अधिक पूलिंग स्टेशन से विद्युत के लिए सौर पार्क के निकट उपकेन्द्र स्थापित करने का उत्तरदायित्व सीटीयू या एसटीयू के पास होगा। विभिन्न विनियमों में निर्धारित वाणिज्यिक क्रियाविधियों और आवश्यक तकनीक के अनुपालन के बाद केन्द्रीय/राज्य आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया। तदनुसार सीटीयू ने क्रमशः याचिका सं. 3/एमपी/2017 और 131/एमपी/2017 के माध्यम से फतेहगढ़ जिला जैसलमेर, राजस्थान और तुमकुर (पवगाड़ा) कर्नाटक (अतिरिक्त संभावना के लिए) में सौर पार्क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए आयोग से संपर्क किया।

(3) आयोग ने 7.9.2017 के आदेश के माध्यम से याचिका सं. 131/एमपी/2017 में आईए सं. 38/2017 सहित 2000 मेगावाट सौर पावर से संबद्ध पारेषण प्रणाली (अतिरिक्त क्षेत्र) के निष्पादन के लिए विनियामक आवेदन विनियम के विनियम 3 के अधीन विनियामक निवेदन प्रदान किया। इसके अलावा, दिनांक 17.10.2017 के माध्यम से याचिका सं. 3/एमपी/2017 में 1500 मेगावाट सौर पार्क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) सौर पार्क में उत्पादन परियोजना से मिलान करते हुए पारेषण प्रणाली के विकास के संबंध में, आयोग ने एसपीपीडी से समन्वय के लिए सीटीयू को निर्देश दिया कि आंतरिक पारेषण प्रणाली के विकास के लिए कौन उत्तरदायी है। सीटीयू को उक्त आदेश के अनुबंध के अनुसार तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(5) सौर उत्पादन के आरंभ होने में विलंब के कारण पारेषण प्रभारों की वसूली के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि सौर विद्युत उत्पादकों के आरंभ करने में विलंब के लिए पारेषण प्रभार केविविआ (अन्तरराजियक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच तथा संयोजकता प्रदान करना व संबद्ध मामले) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015 और केविविआ (केन्द्रीय पारेषण कंपनी के लिए अंतरराज्यिक पारेषण योजन के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015 में कारणाों के विवरण के अनुसार इस प्रकार सौर उत्पादकों/एसपीडी द्वारा अदा किया जाएगा।

पारेषण अनुज्ञप्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग धारा 15 के अधीन इस किए

गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है (क) पारेषण अनुज्ञप्ति के रूप में विद्युत के पारेषण के लिए या (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के संवितरण के लिए या (ग) विद्युत व्यापार के रूप में विद्युत में व्यापार के लिए। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए धारा 15 के अधीन किए गए आवेदन पर समुचित आयोग व्यवस्था कर सकता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने कई आदेशों के माध्यम से कई कंपनियों को पारेषण अनुज्ञप्तियां प्रदान की जो अधिनियम के धारा 63 के अधीन ''पारेषण सेवा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली और पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतियोगिता के प्रोत्साहन के लिए मार्ग निर्देश'' तथा ''पोरषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा मार्ग निर्देश'' के अनुसार पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनआरई–2 ट्रांसमिशन लि. (80/टीएल/2017), कोहिमा मरियानी ट्रांसमिशन लि. (89/टीएल/2017) मेदीनीपुर जीरत ट्रांसमीशन लि. (83/टीएल/2017), जैसी कई कंपनियों को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की।

पारेषण टैरिफ का अंगीकार

अधिनियम, 2003 की धारा 63 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ को अपनाएगा यदि इस प्रकार का टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

आयोग ने 2016–17 के दौरान कई आदेशों के माध्यम से एनआरई–2 ट्रांसमिशन लि. (81/टीएल/2017), मेदीनीपुर जीरत ट्रांसमीशन लि. (84/टीएल/2017), कोहिमा मरियानी ट्रांसमिशन लि. (90/टीएल/2017) के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निर्धारित पोरषण टैरिफ अपनाया गया।

स्वप्रेरणा याचिका:

(1) याचिका संख्या 009/एसएम/2015 में 31.5.2016 का आदेश : केन्द्रीय परामर्शदाता समिति ने 12.5.2014 को आयोजित बैठक में पारेषण में संकुलता से संबद्ध विषयों की जांच के लिए सीएसी के सदस्यों में उपसमिति के गठन का निर्णय किया। 11.7.2014 के पत्र के माध्यम से केविविआ द्वारा गठित पारेषण में संकुलता पर उपसमिति में 8.6.2015 को पारेषण में संकुलता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपसमिति ने पारेषण में संकुलता कम करने के उपाय किए जिसके लिए सीईए, एनआरसीई, सीटीयू, पोसोको, पावर ग्रिड, आरपीसी और एफओआर द्वारा कार्रवाई की आवश्कता है। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया। इसके बाद याचिका सं. 09/एसएम/2015 में 5.8.2015 के माध्यम से आयोग ने 5.8.2015 के आदेश में उसके अधीन दर्शाये गए प्वाइंट पर समयबद्ध ढंग से आवश्यक अनुमति कार्रवाई के लिए उक्त (पैरा 2) के रूप में सभी संस्थाओं/कंपनियों को निर्देश दिया और रिपोर्ट से संबंधित तिमाही के अंत से 15 दिन के अंदर आयोग को तिमाही ''की गई कार्रवाई रिपोर्ट'' प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

26.3.2018 के आदेश के माध्यम से आयोग ने सीईए, एनआरसीई, सीटीयू, पोसोको, पावर ग्रिड, आरपीसी द्वारा की गई निम्नलिखित कार्य प्वाइंट को सूचीबद्ध करते हुए इस याचिका में अंतिम आदेश जारी किया:

(क) सीईए को अनुरोध किया गया कि केविविआ (विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम 2017 के अनुसार ''संचार प्रणाली'' के लिए तकनीकी मानदण्ड तैयार करें।

(ख) एनपीसी को भारतीय विद्युत प्रणाली के लिए संरक्षण प्रणाली के लिए मानकों को तैयार करने का निर्देश दिया।

(ग) सीटीयू को संबद्ध अंतःराज्यिक प्रणाली और आईएसटीएस दोनों के कार्यान्वयन के लिए

समन्वित कार्रवाई सुनिचित करने के लिए सीईए से समन्वय में पारेषण योजना की स्थायी समिति में राज्य प्रणालियों के साथ आईएसटीएस का मिलाने करते हुए विषयों पर कार्रवाई का निर्देश।

(घ) राज्य स्तर पर मिलान प्रणाली का महत्व विनियामक फोरम पर उठाया जाए ताकि उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(ङ) सीटीयू को निर्देश दिया गया कि राज्य क्षेत्र और इसके प्रस्तावित निधि तंत्र सहित एसवीसी, स्टेटकॉम इत्यादि सहित एसपीएस एवं गतिशीला नियंत्रण तंत्र की अपेक्षाओं के निर्धारण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन करे और सीईए और आयोग को इस आदेश के जारी करने के छः महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(च) सीटीयू को निर्देश दिया गया कि अगली स्थायी समिति में लिए जाने वाले मौजूदा प्रणालियों (केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र) में पारेषण क्षमता वृद्धि की सूची ली जाए और इस आदेश के जारी करने के छः महीने के अदर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा उन्नयन का विषय प्रत्येक स्थायी समिति में उठाया जाएगा और इस आशय की रिपोर्ट स्थायी समिति की बैठक एक माह क`अंदर सीटीयू द्वारा एनआरसी में दाखिल की जाए। सीटीयू को इस आदेश के जारी होने के तीन माह के अंदर सीईए और केविविआ से परामर्श करते हुए नई तकनीक के शुरूआत, मौजूदा प्रणाली के उन्नयन की पद्धति के संबंध में अध्ययन का निर्देश दिया गया।

(छ) एनआसीई को इस आदेश के तीन माह के अंदर परामर्श की सिफारिशों पर आधारित एटीसी/टीटीसी की संगणना की पद्धति में अपेक्षित परिवर्तनों पर सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। एनआरसीई को आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय लूपफ्लो और काउंटरफ्लो के पहलू पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

(ज) सीटीयू को नियमित अंतराल पर राज्यों के लिए टीटीस/एटीसी पर कार्यशाला आयोजित करने का और इस संबंध में एनआरसीई को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। एनआरईसी को आयोग को वार्षिक आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(झ) सीटीयू को स्टेकहोल्डरों के लिए उनकी वेबसाइट को एटीसी/टीटीसी की संगणना करते हुए किए गए दीर्घकालिक अध्ययन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है।

(ञ) सीटीयू को इस आदेश के जारी होने के छः महीने के अंदर ग्रिड में नवीकरणीय उर्जा के समेकन के लिए पारेषा प्रणाली के उपयोग की पद्धति के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

(ट) सीटीयू को इस आदेश के जारी होने के तीन माह के अंदर पीएसटी के साइटिंग, आकार और कार्यान्वयन प्राथमिकता के लिए एनएलडीसी और सीईए के साथ संयुक्त रूप से संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करना होगा।

(ठ) सीटीयू को इस आदेश के जारी होने की तारीख से 6 महीने के अंदर भारतीय संदर्भ में प्रयुक्त की जाने वाले नेटवर्क योजना के लिए अधिकतम उपकरण पर सुझाव उपलब्ध करवाते हुए आरपीसी ने निष्कर्षों को दाखिल करने के लिए आरपीसी और सीटीयू में पोसोको, एसटीयू और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ नेटवर्क योजना के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी अन्य औपचारिक अधिकतम पद्धति या एमआईएलपी आधारित पारेषयण योजना के विषय पर सीईए के साथ विमर्श करना।

(ड) भारतीय संदर्भ में संभावना आधारित भार पूर्वानुमान के उपयोग के लिए और इस आदेश के जारी होने के 6 महीने के अंदर

रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एनपीसी को निर्देश देना।

(ढ) डाटा की उपलब्धता के संबंध में सुधार और एनआरसी में विमर्श के लिए फार्मेट और इस संबंध में रिपोर्ट इस आदेश के जारी होने के 6 महीने के अंदर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(ण) एटीसी/टीटीसी के घोषणा के लिए कार्यान्वयन फ्रेमवर्क पर विचारविमर्श का निर्देश और आयोग को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है।

(त) एनआरसीई को इस आदेश के जारी होने के तारीख के 6 महीने के अंदर गतिशील श्रेणी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए और उसके बाद 15 दिन के अंदर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए।

(थ) पोसोको को इस आदेश के जारी होने 15 दिन के अंदर वास्तविक समय में अंतरण क्षमता के तेज पुनरीक्षण के लिए वास्तविक समय में ग्रिड में आकस्मिक स्थितियों के प्रबंध के लिए अंतरण क्षमता पर रेडीरेकनर उल्लिखित करते हुए दाखिल करने का निर्देश देना।

(द) एसपीएस योजना की विश्वसनीय प्रतिशतता पर विचार किया जाए और टीटीसी की संगणना के समय आरपीसी फोरम पर चर्चा की जाए। प्रभावी उपाय विश्वसीनय प्रणाली प्रचालन और सुरक्षा के लिए एसपीएस पर निर्भरता कम करते हुए संबद्ध अंतःराज्यिक पारेषा प्रणाली और आईएसटीएस को शीघ्रता के लिए कार्य करना चाहिए।

(ध) आरपीसी को परामर्शदाता की शिकायतों पर स्टेकहोल्डरों के साथ विचारविमर्श करने के बाद चुनिंदा योजनाओं के कार्यान्वयन और पुनः निर्धारण को सुनिश्चित करना चाहिए।

(म) आरपीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि रिले/संरक्षण प्रणाली की आवधिक ऑडिट किया जा रहा है और आयोग को रिपोर्ट छः महीने में दाखिल की जाए। आरपीसी को मौजूदा संरक्षण प्रणाली की दुरुस्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकोल का निर्देश दिया गया है और इस कार्य को पूरा करने का तथा इस आदेश के जारी होने के तीन महीने के अंदर इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश है। आरपीसी को राज्यों के अंदर पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली में रिले सेटिंग और संरक्षण ऑडिट के विषय को उठाना है। यह विषय विनियामक फोरम में उठाया जाना चाहिए ताकि उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आरपीसी को आरपीसी फोरम में स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करते हुए मौजूदा एसपीएस को पुनः निर्धारित करना चाहिए।

याचिका सं. 16/एसएम/2015 में दिनांक 17.10.2017 का आदेशः आयोग ने याचिका सं. 310/एमपी/2014 में 5.10.2015 के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ गैर अधिग्रहण अधिशेष पावर की अनुसूचीकरण के विषय का निर्णय किया और याचिका सं. 310/एमपी/2014 में 5.10.2015 के आदेश में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में अनुभव की गई किसी कठिनाई को आयोग के ध्यान में लाने के लिए एनएलडीसी/आरएलडीसी/आईएसजीसी/हिताधिकारियों को निर्देश दिया। तदनुसार 3.12.2015 के पत्र में दक्षिण प्रादेशिक विद्युत समिति 5.10.2015 के उक्त आदेश के पैरा 32 (ई) के अनुसार निर्देशों के कार्यान्यवन में सामान की गई कुछेक कठिनाईयां आयोग के नोटिस में लाई गई। आयोग ने 18.12.2015 के आदेश के माध्यम से स्वप्रेरणा कार्रवाईयां आरंभ की और एसआरपीसी द्वारा रेखांकित विषयों पर शपथपत्र पर उनके विचारों को दाखिल करने के लिए सभी संबंधित को निर्देश दिया। पार्टियों की सुनवाई के बाद आयोग ने 17.10.2017 के आदेश के माध्यम से निम्नानुसार निर्देश दियाः

(क) जहां उत्पादन केन्द्र और इसके हिताधिकारी (अब अभ्यर्पण करने वाले और अनुरोध करने वाले हिताधिकारी) इस आशय का आरएलडीसी को लिखित में स्थायी सहमति देते हैं कि संबंधित आरएलडीसी का निर्णय यूआरएस पावर के प्रेषण और अनुसूचीकरण के संबंध में उन पर बाध्यकारी होगा तो संबंधित आरएलडीसी उनके द्वारा अनुरोध की गई मात्रा के लिए संबंधित अनुपात में हिताधिकारियों को अनुरोध करते हुए यूआएस पावर जैसे अनुसूची करेगा।

(ख) ऐसे मामले हो सकते हैं जहां उत्पादक किसी विशेष हिताधिकारी को यूआरएस पावर बचेना चाहता है या कुछेक हिताधिकारियों को यूआरएस पावर नहीं बेचना चाहता जिससे इसका भुगतान विवाद है। इस प्रकार के मामले में यूआरएस पावर पीपीए के उपबंधों के अनुसार उत्पादक द्वारा बेची जा सकती है। चूंकि इस प्रकार के मामले में स्थीय परामर्श आरएलडीसी के पास उपलब्ध नहीं होगा तो यह उत्पादक द्वारा अनुरोध के अनुसार यूआरएस पावर की पुनः अनुसूची बनाएगा।

(ग) याचिका सं. 310/एमपी/2014 में 5.10.2015 के आदेश में निर्देश और इस आदेश में निर्देश और ग्रिडकोड के विनियम 6.5.(ए)(सी) और विनियम 6.4(ए) से (ई) के उपबंध आईएसजीएस के यूआरएस पावर के लेखांकन और सुचारू अनुसूचीकरण के लिए निर्मित होना चाहिए।

(घ) जहां उत्पादक ने भुगतान में चूक के लिए या केविविआ (विद्युत आपूर्ति का विनियम) विनियम 2010 केउपबंधों के अनुसार साखपत्र के न खोलने के लिए या भुगतान में चूक के लिए हिताधिकारी की शक्ति को विनियमित किया है और अन्य हिताधिकारियों या थर्ड पार्टी को विनियमित उर्जा बेचना चाहता है इस प्रकार के मामलों में यदि उत्पादक पावर एक्सचेंज सहित बाजार में या यूआरएस विद्युत के रूप में विनियमित उर्जा को बेचना चाहता है तो हिताधिकारी की सहमति जिसे पावर का शेयर विनियमित किया गया है उसकी अपेक्षा नहीं होगी।

(ङ) आईएसजीएस और हिताधिकारियों के बीच किसी वाणिज्यिक विवाद में आरएलडीसी को लेने के उद्देश्य से आयोग ने आईएसजीएस तथा हिताधिकारियों (अभ्यर्पण और अनुरोध करने वाले हिताधिकारी) दोनों की स्थायी सहमति अर्थात् को निर्धारित किया है ताकि यूआरएस पावर की अनुसूची के लिए आरएलडीसी को सक्षमत बनाया जा सके। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि आरएलडीसी 5.10.2015 के आदेश, इस आदेश और ग्रिडकोड के छठे संशोधन के अनुसार यूआरएस पावर की अनुसूचीकरण से उद्भूत किसी पार्टी द्वारा उठाई गई हानि या क्षति के लिए सभी परिणामों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जाएगी।

याचिका सं. 12/एसएम/2017 में 19.7.2017 का आदेशः केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनिमय 2010 के विनियम 8(5) के अनुसार एलटीटीसी के एलटीए के प्रचालनकरण के मामले में।

समय–समय से यथासंशोधित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के विनियम 8(5) में यह व्यवस्था है कि जहां एलटीए का प्रचालनीकरण कुछ पारेषण लाइनों या घण्टों के आरंभ होने तक आकस्मिक है और केवल कुछ पारेषण लाइनों या घटकों को वाणिज्यिक घोषित किया गया है वहां उत्पादक को आरंभ की गई पारेषण प्रणाली के तनदुरूपी प्रचानीकृत एलटीए के लिए पारेषण प्रभारों को भुगतान अपेक्षित है।

याचिका सं. 229/आरसी/2015 में 15.10.2015 की सुनवाई के लिए कार्यवाहियों के रिकॉर्ड के माध्यम से

आयोग ने शेयरिंग विनियमों के विनियम 8(5) के अनुसार पूर्ण या आंशिक एलटीटीसी के एलटीए के प्रचालन के लिए सीटीयू को निर्देश दिए। इसके अलावा याचिका सं. 30/एमपी/2014 में 28.9.2016 के आदेश के माध्यम से आंशिक एलटीए और उत्पादकों पर पारेषण प्रभारों के लिए बिलों सहित एलटीए के प्रचालनीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने और मामलों की समीक्षा के लिए सीटीयू को निर्देश दिया।

याचिका सं. 12/एसएम/2017 में 19.07.2017 के आदेश के माध्यम से आयोग ने नोट किया कि सीटीयू में उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया और सीओयू को 4.8.2017 तक कारण बताने के लिए निर्देश दिया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन दिनांक 15.10.2015 और 28.9.2016 और शेयरिंग विनियम के विनियम 8(5) के उपबंधों के आदेश के निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। सीटीयू को उन उत्पादन केन्द्रों के ब्योरे 25.7.2017 तक रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया गया। जहां एलटीए कुछ पारेषण प्रणालियों के आरंभ होने के अध्याधीन सीटीयू द्वारा एलटीए प्रदान किया गया और केवल कुछ पारेषण प्रणालियों को आरंभ किया गया। तथापि आरंभ की गई पारेषण प्रणाली के तदनुरूपी एलटीए सीटयू द्वारा प्रचालनीकृत नहीं किया गया। आयोग इस याचिका में अंतिम आदेश जानी करने की प्रक्रिया में है।

याचिका सं. 10/एसएम/2016 में 22.6.2017 का आदेशः केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 के उपबंधों के गैर अनुपालन के मामले में।

आयोग ने 22.6.2017 के आदेश के माध्यम से यह पाया कि तीस्ता वैली पावर ट्रासमिशन के क्षेत्र के अधीन पारेषण प्रणाली जिसके लिए याचिका सं. 116/8 में 14.5.2009 के आदेश के माध्यम से केविविआ लाइसेंस प्रदान किया गया। उसे पारेषण लाइसेंस के प्रदान करने के 8 वर्षों के दौरान भी पूर्णतया आरंभ किया गया। आयोग ने 14.7.2017 तक निर्धारित समय के अंदर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे उपचारी उपाय और विलंब के कारणों को स्पष्ट करने के लिए टीपीटीएल को निर्देश दिया। टीपीटीएल को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि लाइसेंस तीस्ता–3 उत्पादन परियोजना द्वारा हुई हानि और पावर की निकासी के लिए पारेषण की गैरउपलब्धता के कारण क्षेत्र में उत्पादन परियोजना के लिए उसे उत्तरदायी क्यों नहीं ठहराना चाहिए।

2017–18 के दौरान आयोग द्वारा निपटाई गई अन्य स्वप्रेरणा याचिकाओं में 03/एसएम/2017, 04/एसएम /2017, 07/एसएम /2017 शामिल हैं।

2017–18 के दौरान अन्य गतिविधियां

राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन

2017–18 के दौरान केविविआ राजभाषा के कार्यान्वयन, उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया।

इसके अलावा हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठके क्रमशः आयोजित की गई जिसमें वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की गई और विचारविमर्श किया गया तथा शासकीय व्यवहारों में हिंदी के प्रयोग की योजनाओं को तैयार किया गया।

आंतरिक हिंदी पत्रिका ''सौदामनी''

आयोग आंतरिक पत्रिका सौदामनी हिंदी में प्रकाशित करता है। इस पत्रिका में अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिर्पोट प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा आयोग में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों (अर्थात निबंध, लेख, कविताएं इत्यादि) को प्रकाशित किया जाता है। इस मैगजीन में मुख्य रूप से आयोग में आयोजित राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले सभी कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान

''स्वच्छ भारत अभियान'' के संबंध में विभिन्न गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोजित की गई। अनुच्छेद लेखन, सलोगन लेखन इत्यादि सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों/स्टाफ ने भाग लिया और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कृत सलोगनों को केविविआ की पत्रिका सौदामनी में प्रकाशित किया गया। केविविआ परिसर में स्वच्छता अभियान कार्यान्वित किया गया जिसका लक्ष्य रिकार्ड का बेहतर प्रबंधन, कार्यस्थल व वातावरण इत्यादि को ठीक करना रहा।

सूचना का अधिकार

केन्द्रीय आयोग सभी आवेदकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने का प्रयास करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त 142 आवेदनों में से 141 आवेदनों का निपटान किया गया। इसी वर्ष के दौरान प्राप्त 17 अपीलों में 16 अपीलों का निपटान किया गया।

ऑडिट पैरा

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान केविविआ से संबंधित कोई भी पैरा भारत की सीएजी की रिपोर्ट में शामिल नहीं है।

सतर्कता मामले

कोई भी सतर्कता मामला आयोग में लंबित नहीं है।

वार्षिक दिवस व्याख्यान

आयोग केविविआ का वार्षिक दिवस मनाने के लिए ''वार्षिक दिवस व्याख्यान माला का आयोजन करता है जिसमें प्रत्येक वर्ष वार्षिक दिवस व्याख्यान के लिए प्रतिष्ठित वक्ता को आमंत्रित किया जाते हैं ताकि केविविआ के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ वक्ता के विचारों और अनुभव के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा सके जिसे उसके बाद में प्रकाशित किया जाएगा। आयोग ने 24.07.2017 को अपना 19वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर माननीय न्याधीश श्री मदन भीमराव लोकुर, न्यायधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं के तत्काल निपटान में तकनीक की विवेचनीय भूमिका पर अपना वार्षिक दिवस व्याख्यान दिया।

सीसीएमएएस (ई–कोर्ट) की स्थापना के लिए पहल

प्रणाली को सूचना की पहुंच के लिए कुशल, मितव्ययी और प्रभावी ढंग सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय उपाय के रूप में आयोग ने ''कोर्ट केस मैनेजमेन्ट ऑटामेशन सिस्टम'' सीसीएमएएस को आरंभ किया। इस प्रणाली में परंपरागत ई–फाइलिंग और ई–हियरिंग साफ्टवेयर के नियोजन को शामिल किया गया। नई प्रणाली का उद्देश्य डिजिटलीकृत याचिकाओं/उत्तरों/प्रत्युत्तरों/टिप्पणियों/आपत्तियों आदि की फाइलिंग को प्रोत्साहित करना है ताकि स्टेकहोल्डरों इत्यादि को संगत मामलों के अद्यतन स्थिति प्रदान करने के लिए एसएमएस/ईमेल सेवाओं का प्रयोग करते हुए परंपरागत रिर्पोटों के उत्पादन, डिजिटलीकृत याचिकाओं, आरओपी की पहुंच की व्यवस्था की जा सके। इस प्रणाली से समन्वित लोचशील, गतिशील डाटाबेस विकसित करने के लिए आयोग को समर्थ करने की आशा है जो विभिन्न डाटा विभलेषण उपकरणों का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने के लिए आयोग को समर्थ बनाएगा। इस प्रणाली के भाग के रूप में ई–रजिस्ट्रेशन, ई–फाइलिंग और ई–प्लीडिंग मॉडयूल आरंभ किए गए हैं।

विनियामक फोरम (FOR), भारतीय विनियामक फोरम (FOIR) और दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम (SAFIR) की गतिविधियां

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ, एससीआरसी और जेईआरसी द्वारा विद्युत क्षेत्र में विनियामकों के एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। विनियामक फोरम ने विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तृत जांच के बाद विभिन्न विषयों पर सरकार को सिफारिशें उपलब्ध करवाई जाती है। केविविआ एफओआर को सचिवीय सेवा प्रदान करता है।

विनिमामक फोरम की 4 बैठकें 2017–18 के दौरान आयोजित की गई जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया गया और सिफारिशें की गई।

1. 21.4.2017 को गुवाहाटी में आयोजित विनियामक फोरम की 59वीं बैठक।
2. 23.6.2017 को नई दिल्ली में आयोजित

विनियामक फोरम की 60वीं बैठक।

3. 22.9.2017 को चैन्नई में आयोजित विनियामक फोरम की 61वीं बैठक।

4. 15.12.2017 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 62वीं बैठक।

विनियामक फोरम ने 2017–18 में निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए:

(क) ग्रिड पर विद्युत वाहनों का प्रभाव

(ख) लागत जमा टैरिफ की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ – विवेचनीय विश्लेषण

(ग) मांग पक्ष प्रबंधन पर रिपोर्ट

निम्नलिखित सतत अध्ययन किए गए:

(क) निर्बाध पहुंच पर रिपोर्ट

(ख) बिजली वितरण में बिजली की गुणवत्ता

''एफओआर'' विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

1. नवंबर 17–19, 2017 के दौरान आयोजित उत्तरपूर्वी क्षेत्र के एसईआरसी/जेईआरसी के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

2. आईआईटी, कानुपर, नोएडा कैम्पस (देसी संघटक) और सिंगापुर (अंतरराष्ट्रीक संघटक) में 9–15, 2017 के दौरान आयोजित एसईआरसी के अधिकारियों के लिए 11वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम

3. एनपीटीआई, फरीदाबाद में 22–23 मार्च, 2018 के दौरान सीजीआरएफ एवं ओमडसमैन के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

एफओआर की तकनीकी समिति को केविविआ के सदस्य श्री ए.एस. बक्शी की अध्यक्षता में गठित किया गया जिसमें नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के राज्यों के राज्य आयोगों के तकनीकी सदस्यों को शामिल किया गया ताकि नवीकरणीय उर्जा समृद्ध राज्यों में पवन एवं सौर उत्पादकों के पूर्वानुमान अनूसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन्न पर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। चूंकि इसके आरंभ से समिति ने नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के सुरक्षित व प्रभावी समेकन तथा विश्वसीनय भारतीय ग्रिड के मूल्यांकन के लिए विनियामक आधार निर्धारित करने के लिए विवेचनीय कदम उठाए हैं।

समिति राज्य स्तरीय हाइड्रो संयंत्रों के लिए अनुसूचीकरण, लेखांकन, नवीकरणीय स्रोतों के लिए विद्युत फ्रेमवर्क में संव्यवहारों के व्यवस्थापन्न उत्पादन स्रोतों के उत्पादन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रादेशिक सहयोग पर रिपोर्ट। राज्यों के लिए मॉडल डीएसएम विनियमा, 5 मिनट टाईम ब्लॉक की शुरूआत स्मार्ट मीटर आरपीओ वेबटूल और मॉडल विनियम को प्रकाशित किया। समिति प्रादेशिक सहयोग, 5 मिनट अनुसूचीकरण सहायक सेवाएं, रिवर्ज इत्यादि से संबंधित विषयों पर कार्य कर रही हैं।

समिति ने दो खण्डों यह कार्य प्रकाशित किया है जिसमें रिपोर्टों, मॉडल विनियमों सिफारिशों इत्यादि को कवर किया है।

केविविआ एफओआईआर को सचिविय सेवाएं प्रदान करता है जिसे भारत में विभिन्न बुनियादी क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुभवों के शेयरिंग के लिए प्लेटफार्म के रूप में लिया गया है। एफओआईआर में विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य और अन्य विनियामकों जैसे एईआरए, सीसीआई, आईबीबीआई, पीएनजीआरबी, टीएएमपी, टीआरएआई आदि अन्य विनियामक प्राधिकरणों के सदस्य भी शामिल हैं।

केविविआ साफिर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है जो क्षेत्र के बुनियादी विनियामकों के नेटवर्क के रूप में वर्ष 1999 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है (जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान

और श्रीलंका शामिल हैं) और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तथा इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति शामिल है। सदस्यों की 4 श्रेणियां है अर्थात शैक्षणिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकाय/एनजीओ, कॉरपोरेट/कंपनियां और विनियामक निकाय हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित डाटा बैंक उपलब्ध करवाना, जानकारी और विशेषज्ञता का लाभप्रद विनिमय करना तथा विश्व सर्वोत्तम पद्धतियों का तत्परता से कार्यान्वयन करना है।

मौजूदा स्थिति में श्री सालिया मैथ्यू, श्रीलंका पब्लिक यूटीलिटी आयोग के अध्यक्ष साफिर के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2017–18 में साफिर ने 16 कोर पाठ्यक्रम आयोजित किए। यह कोर्स 24–28, अप्रैल 2017 के दौरान कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर भारत द्वारा आयोजित किया गया।

साफिर ने नई दिल्ली में 12.5.2017 को 23वीं स्थायी समिति की बैठक और 13वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जबकि 14वीं कार्यकारी समिति की बैठक बेलीगामा, श्रीलंका में 25.11.2017 को आयोजित की गई।

सेमीनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/विनिमय कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और स्टाफ की सेमीनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/संयंत्र दौरा/विनिमय कार्यक्रमों में उपस्थिति के ब्योरे अनुबंध–X और अनुबंध–XI में दिए गए हैं।

7

उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

7. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

क. उपभोक्ताओं के लाभ

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता तथा प्रदायकर्त्ता शामिल है जो सभी स्टेक होल्डरों के प्रति उचित और पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए केविविआ द्वारा शुरू की गई पहल निम्नानुसार हैरू

1. ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा

क. ग्रिड नियंत्रण के लिए सतत प्रयासों से बेहतर ग्रिड फ्रिक्वेंसी और ग्रिड प्रचालन हुआ। इसमें उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

2. बाजार मॉनिटरिंग

क. अल्पकालिक बाजार कीमते स्थिर रही। अल्पकालिक संव्यवहारों में 127.62 बिलियन यूनिट को स्पर्श किया जिससे पिछले वर्ष से 8.39 बिलियन यूनिट की वृद्धि हुई। पावर एक्सचेंजों पर औसत आगामी दिवस कीमत प्रति यूनिट 3.45 रुपये पर स्थिर रहा।

3. हरित ऊर्जा का उन्नयन

क. ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सहित परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन के लिए प्रभावी विनियामक फ्रेमवर्क।

ख. उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करना।

ख. क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैः–

1. नवीकरणीय ऊर्जा पर बल

क. पवन एवं सौर तकनीक के लिए पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण तथा विचलन के लिए फ्रेमवर्क का लक्ष्य परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बनाए रखना है।

2. ग्रिड अनुशासन

क. फ्रिक्वेंसी बैण्ड को कड़ा करने और ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के सतत प्रयास।

ख. पहल से ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा आसान बनाया गया जो उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं सहित सभी स्टेकहोल्डरों के हित में है।

3. बाजार विकास

क सहायक सेवा प्रचालन के माध्यम से आयोग ने ग्रिड सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परवर्ती एवं भार संचालन के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र को सरल किया।

ख. आयोग ने पावर एक्सचेंजों पर बाजर सत्र के विस्तार को अनुमति दी जिससे बाजार की आकस्मिक आवश्यकताओं का प्रबंधन किया गया और उनकी बेहतर प्रणालियों के संतुलन की अनुमति दी गई।

8

वर्ष 2017–18 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

8. वर्ष 2017–18 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	राजपत्र तारीख	विनियम
1.	46	10.4.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदातओं की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017
2.	148	12.4.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017
3.	147	17.4.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय उर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2017
4.	218	15.5.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017
5.	246	14.6.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017
6.	12	14.12.2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017

9

वर्ष 2018–19 के लिए कार्यसूची

9. वर्ष 2018–19 के लिए कार्यसूची

क. संयोजकता विनियमों की समीक्षा।

ख. निर्बाध पहुंच विनियमों की समीक्षा

ग. विचलन व्यवस्थापन्न तंत्र की समीक्षा

घ. अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की समीक्षा

ङ. सहायक सेवा तंत्र की पुनर्डिजाइनिंग और समीक्षा

च. वास्तविक समय विद्युत बाजार की पुनर्डिजाइनिंग

छ. भुगतान के लिए वृद्धि दरों के लागू करने के लिए संशोधित पद्धति

10

लेखों का वार्षिक विवरण

10. लेखों का वार्षिक विवरण

वर्ष 2017–18 के दौरान ₹42.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹44.72 करोड़) विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ निधि से (भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रखे गए) जारी किए गए। वर्ष 2016–17 (पिछले वर्ष ₹10.78 करोड़) के दौरान ₹14.85 का अव्ययित शेष वर्ष 2017–18 में अग्रेषित किया गया और यह वर्ष 2017–18 (पिछले वर्ष ₹55.00 करोड़) के लिए ₹57.00 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि हो गया। इसमें से वर्ष के दौरान ₹41.42 करोड (पिछले वर्ष ₹40.65 करोड़) की रकम प्रयोग की गई और ₹15.58 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹14.85 करोड़) का शेष 2018–19 में आगे ले जाया गया।

इसके अलावा, वर्ष 2017–18 में अर्जित 0.49 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹0.71 करोड़) का ब्याज को वर्ष 2017–18 में विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किए गए। इसके अलावा फीस के कारण प्राप्त 128.78 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 124.57 करोड़ रुपये) की रकम भारत के लोक लेखा के अधीन केविविआ निधि खाते में उसे रखने के लिए विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किया गया। इसके ब्यौरे अनुबंध-XII में दिए गए हैं।

11

आयोग का मानव संसाधन

11. आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अंत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषाज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध XIII** में दिए गए हैं। इसके अलावा, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाये है।

क्रम.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	0
2.	प्रमुख	4	4	0
3.	संयुक्त प्रमुख	5	4	1
4.	उप प्रमुख	13	12	1
5.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	सहायक प्रमुख	16	12	4
7.	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	0
8.	सहायक सचिव	2	2	0
9.	वेतन एवं लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	2	0
10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
11.	प्रधान निजी सचिव	3	3	0
12.	निजी सचिव	5	5	0
13.	सहायक अनुभाग अधिकारी	6	6	0
14.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	0	1
15.	वैयक्तिक सहायक	7	0	7
16.	आशुलिपिक	3	1	2
17.	हिंदी टंकक (अ.श्रे.लि.)	1	0	1
18.	स्वागती एवं टेलिफोन ऑपरेटर	1	1	0
19.	ड्राईवर	4	4	0
20.	एमटीएस	4	4	0
	कुल	82	65	17

केविविआ में, वर्ष 2017–18 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी		
क्र.स.	**पद का नाम**	**भरे गए पदो की संख्या**
1.	संयुक्त प्रमुख (इंजी.)	1
2.	उप प्रमुख (इंजी.)	2
3.	सहायक प्रमुख (वित्त)	1
	कुल	4

अनुबंध

01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए निपटाई गई याचिकाओं की सूची							
पिछले वर्ष 2016–17 से लाई गई		वर्ष 2017-18 रजिस्टर्ड की गई याचिकाओं की संख्या		कुल	निपटाई गई	31.3.2018 को लंबित	
307		356		663	305	358	
क्र.सं	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय		निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
1.	104/एमपी/2017	30 मई, 2017	अदानी पावर लिमिटेड	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. एवं अदानी पावर लि. के बीच नि पादित 7.8. 2008 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ पठित (विधि में परिवर्तन) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका		28-3-2018	विविध याचिका
2.	252/एमपी/2017	6 दिसंबर, 2017	ग्रीनको बुद्धिल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादक के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका		28-3-2018	विविध याचिका
3.	85/एमपी/2018	26 मार्च, 2018	एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड	31.3.2018 से 30.4.2018 तक यथासंशोधित केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(के) अधीन याचिका जिसमें एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. के (4 गुणा 300 मेगावाट) बिंजकोट टीपीपी के दूसरे यूनिट (यूनिट नं. 1) (300 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभ होने के लिए इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अवधि के विस्तार के लिए अनुमति की मांग की गई।		28-3-2018	विविध याचिका
4.	याचिका सं. 7/ जीटी/2016 में 25/आरपी/2017	2 जून, 2017	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 7/जीटी/2016 में 24.3.2017 के पुनरीक्षण के लिए याचिका		28-3-2018	पुनरीक्षण याचिका
5.	62/एमपी/2017	29 मार्च, 2017	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावरग्रिड एनएन पारेषण लि. (पूर्व नागापटनम मधुगिरी पारेषण कं. लि.) द्वारा स्थापित पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका		26-3-2018	विविध याचिका
6.	9/एस एम/2015	30 जुलाई, 2015	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	पारेषण में संकुलता पर सीएसी उपसमिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई		26-3-2018	स्वप्रेरणा याचिका
7.	245/एमपी/2016	6 दिसंबर, 2016	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	17.3.2010 के पीपीए के अनुसार जीएमआर वरौरा एनर्जी लि. से 200एमवी पावर के वाहन के लिए 400केवी भदरावती उपकेन्द्र की पीजीसीआईएल अंतरराज्यिक पारेषण सुविधा के प्रस्तावित उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों पर अधिनिर्णय और निर्धारण की मांग करते हुए याचिका		27-3-2018	विविध याचिका

8.	याचिका सं. 225/टीटी/2015 में 37/आरपी/2017	15 सितंबर, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 225/टीटी/2015 में 29.2.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	27-3-2018	पुनरीक्षण याचिका
9.	13/एस एम/2017	17 अगस्त, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति कर के शुरूआत और क्लीन ऊर्जा उपकर के उन्मूलन के लिए याचिका	14-3-2018	स्वप्रेरणा याचिका
10.	63/एमपी/2017	5 अप्रैल, 2017	पावर निर्माता एसोसिएशन	इस प्रकार के सभी विद्युत उत्पादकों के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग द्वारा हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका जिन्होंने कोयला लागतों के कारण ऊर्जा प्रभार की कम वसूली से प्रतिस्पर्धात्मक बोली केस 1 पीपीए में प्रवेश किया है जिसे उन्होंने विगत में उठाया है लेकिन अलग थोक मूल्य सूची प्रकाशन में विलंब के कारण पासथ्रू नहीं किया है।	22-3-2018	विविध याचिका
11.	6/एस एम/2017	8 मई, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	पावर एक्सचेंज इण्डिया लि. के कारोबार प्रचालन का स्वैच्छिक रूप से बंद होना	21-3-2018	स्वप्रेरणा याचिका
12.	याचिका सं. 15/टीटी/2015 में 34/आरपी/2017	6 सितंबर, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 15/टीटी/2015 में 18.3.2016 के आदेश पुनरीक्षण के लिए याचिका	19-3-2018	पुनरीक्षण याचिका
13.	याचिका सं. 5/टीटी/2015 में 33/आरपी/2017	5 सितंबर, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 5/टीटी/2015 में 29.3.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20-3-2018	पुनरीक्षण याचिका
14.	याचिका सं. 68/टीटी/2016 में 5/आरपी/2017	23 फरवरी, 2017	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	याचिका सं. 68/टीटी/2016 में 30.7.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	20-3-2018	पुनरीक्षण याचिका
15.	105/एमपी/2017	30 मई, 2017	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड	ईंधन लागत के लिए अदत्त देयताओं की वसूली के लिए पीपीए दिनांक 7.8.2008 के अनुच्छेद 11.6 और 17 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (ख)(एफ) के अधीन याचिका	20-3-2018	विविध याचिका
16.	166/टीडी/2017	10 अगस्त, 2017	एलिसन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	आलीशान एनर्जी प्रा. लि. को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	20-3-2018	व्यापार
17.	192/एमपी/2016	10 अक्टूबर, 2016	जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड	मध्यप्रदेश राज्य निगराई जिला संगरौली में याचिकाकर्ता 1320 मेगावाट (2X660 मेगावाट) कोयला आधारित विद्युत परियोजना के संबंध में डब्ल्यूआरएलडीसी / डब्लयूआरपीसी की घोषित क्षमता और प्रमाणन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 31(3) के अधीन और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	20-3-2018	विविध याचिका

18.	181/एमपी/2017	23 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	शॉगटॉग करचम एचईपी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के नि पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने और दीर्घकालिक निर्बाध करार के हस्ताक्षर के लिए याचिका	19-3-2018	विविध याचिका
19.	1/एमपी/2017	2 जनवरी, 2017	जीएमआर वारारा एनर्जी लिमिटेड	प्रचालन अवधि के दौरान विधि घटनाओं में परिवर्तन के वित्तीय/वाणिज्यिक प्रभाव की प्रतिपूर्ति/उचित समायोजन प्रदान करने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए एमको एनर्जी लि. के माध्यम से तमिलनाडु उत्पादन और वितरण कार्पोरेशन लि. तथा जीएमआर एनर्जी ट्रेडिंग लि. के बीच 27.11.2013 के पीपीए अनुच्छेद 10 (सी) और एमको एनर्जी लि. तथा नागर हवेली और दादरा के संघशासित प्रदेशों के विद्युत विभाग के बीच 21.3.2013 के पीपीए एमको एनर्जी लि. (बी) अनुच्छेद 10 और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. के बीच 17.3.2010 (ए) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत के सांविधिम फ्रेमवर्क अधिशासित प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	16-3-2018	विविध याचिका
20.	175/एमपी/2016	20 सितंबर, 2016	सासन पावर लिमिटेड	प्रचालन अवधि के दौरान लागत और राजस्व को प्रभावित करते हुए विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तियों और सासन पावर लि. के बीच नि पादित 7.8.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 13.2 (ख) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासित प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	13-3-2018	विविध याचिका
21.	150/टीटी/2017	20 जुलाई, 2017	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2014 के अनुसार केविविआ के आदेश दिनांक 12.5.2017 की याचिका सं. 7/एसएम/2017 को पीओसी प्रभारों में शामिल करने के अनुसार (1) कनियामेपटा–कोडाकोला 220 केवी एससी लाइन (2) मूजीयार–थेनी 220 केवी एससी लाइन (3) इडुक्की–उदुमलपेट 220 केवी एससी लाइन केरल को अन्य राज्यों से जोड़ने वाली केएसईबीएल स्वामित्व वाली 220 केवी अंतरराज्यिक पारेषण लाइन केरल के भाग के संबंध में पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	14-3-2018	पारेषण टैरिफ

22.	130/एमपी/2017	28 जून, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	भार प्रचालन और बहु स्टार्ट/यूनिट के आंशिक भार के कारण द्वितीयक ईंधन उपभोग और सहायक विद्युत उपभोग, हीट दर के अवनयन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र के कार्यान्वयन में सामना की गई कठिनाईयों के संबंध में केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के भाग 7 खंड 4 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अंतर्गत याचिका	13-3-2018	विविध याचिका
23.	20/एमपी/2017	10 फरवरी, 2017	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 तथा केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1सी के अधीन याचिका	9-3-2018	विविध याचिका
24.	229/आर सी/2015	8 अक्टूबर, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	चुनिंदा पारेषण नेटवर्क के आरंभ होने के बाद एलटीए के प्रचालनीकरण के लिए एलटीए करार की शर्तों के अधीन सहमत केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के अधीन बिलिंग वसूली और वितरण क्रियाविधि के अधीन उपलब्ध भुगतान सुरक्षा तंत्र की स्थापना में उनकी चूक के लिए एचसीपीटीसी कॉरिडोर 1 और 4 के स्वतंत्र विद्युत उत्पादक एवं दीर्घकालिक ग्राहकों को दिए गए दीर्घकालिक पहुंच रदद करने की मांग करते हुए आवेदन	8-3-2018	विनियामक अनुपालन
25.	111/टीटी/2017	2 जून, 2017	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अनुसार 18.3.2015 के आयोग के आदेश द्वारा यथानिर्धारित विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण के लिए आकस्मिक पारेषण लाइनों के हस्तक्षेप और अन्य राज्यों से संबद्ध आरवीपीएनएल स्वामित्व पारेषण लाइनों/प्रणाली के संबंध में वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	9-3-2018	पारेषण टैरिफ
26.	266/एमपी/2017	27 दिसंबर, 2017	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनआरएसएस XXXVI पारेषण लि. द्वारा सुरक्षा हित के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3)17(4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका	8-3-2018	विविध याचिका

27.	66/एमपी/2018	5 मार्च, 2018	एनटीपीसी लिमिटेड	प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन अर्थात 8.3.2018 के बाद की तारीख से 6 महीने की अवधि के आगे लारा एसटीपीपी (2X800 मेगावाट) के यूनिट एक के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की अनुमति के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	8-3-2018	विविध याचिका
28.	174/एमपी/2017	17 अगस्त, 2017	सुजलॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1बी और 79 1एफ के अधीन याचिका	8-3-2018	विविध याचिका
29.	268/एमपी/2017	29 दिसंबर, 2017	वेस्टर्न ट्रांसमिशन (गुजरात) लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1बी और 79 1एफ के अधीन याचिका	8-3-2018	विविध याचिका
30.	120/एमपी/2017	14 जून, 2017	इंडियन विंड पावर एसोसिएशन – महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल	वित्तीय वर्ष 2016–17 और भविष्य के लिए सदस्यों को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने पर प्रत्यर्थी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के विरूद्ध निर्देशों की मांग करते हुए और केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 में रियायत की मांग करते हुए याचिका	1-3-2018	विविध याचिका
31.	246/एमपी/2017	28 नवंबर, 2017	कुड्गी ट्रांसमिशन लिमिटेड	मोर्टगेज के माध्यम से डिवेंचर ट्रस्टी के पक्ष में याचिकाकर्ता के सभी चल और अचल आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 (3) और (4) के अनुमोदन के लिए याचिका	5-3-2018	विविध याचिका
32.	याचिका संख्या 111/टीटी/2015 और 173/टीटी/2013 में 33/आरपी/2016	4 अगस्त, 2016	एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 173/टीटी/2013 और 111/टीटी/2015 में 15.6.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	28-2-2018	पुनरीक्षण याचिका
33.	256/एमपी/2017	7 दिसंबर, 2017	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड और दूसरा	याचिकाकर्ता की सभी चल और अचल आस्तियों सहित सभी आस्तियों पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 (3) और (4) के अनुमोदन के लिए याचिका	27-2-2018	विविध याचिका

34.	226/एमपी/2017	7 नवंबर, 2017	भोपाल धुले ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 (3) और (4) के अनुमोदन के लिए याचिका	27-2-2018	विविध याचिका
35.	167/एमपी/2016	2 सितंबर, 2016	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विनियम 18 के अधीन 24.2.2010 के बल्क विद्युत पारेषण करार के अधीन दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के अधित्याग के लिए याचिका	27-2-2018	विविध याचिका
36.	61/एमपी/2017	29 मार्च, 2017	वीजा पावर लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 18 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	27-2-2018	विविध याचिका
37.	184/एमपी/2017	25 अगस्त, 2017	एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 (3) और (4) के अनुमोदन के लिए याचिका	27-2-2018	विविध याचिका
38.	257/एमपी/2017	7 दिसंबर, 2017	सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड लिमिटेड	श्रेणी–2 से श्रेणी–1 विद्युत में अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए याचिका	27-2-2018	विविध याचिका
39.	26/एमपी/2018	7 फरवरी, 2018	एस्सार पावर एमपी लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2017 के अनुसार महान उत्पादन केन्द्र की यूनिट 2 के पूर्णभार ट्रायल प्रचालन और परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतःपरिवर्तन के लिए समय विस्तार के लिए निवेदन करते हुए याचिका	27-2-2018	विविध याचिका
40.	13/टीटी/2017	3 फरवरी, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति1 800केवी चंपा पूलिंग स्टेशन कुरूक्षेत्र एचवीडीसी पारेषण लाइन सहित कुरूक्षेत्र एचवीडीसी टर्मिनल और 3000 मेगावाट चंपा पूलिंग स्टेशन और 800 केवी आस्ति:2 कुरूक्षेत्र में 400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन पर संबद्ध बेज सहित 2 नंबर 400/220केवी, 500एमवीए आईसीटी आस्ति3 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र में ''पश्चिमी क्षेत्र–उत्तरी क्षेत्र एचवीडीसी छत्तीसगढ़ आईपीपी परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र एचवीडीसी इंटरकनेक्टर'' के अधीन कुरुक्षेत्र में 400/220 केवी जीआईएस उपकेन्द्र में 8 नंबर 220 केवी लाइन बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22-2-2018	पारेषण टैरिफ

41.	121/एमपी/2017	14 जून, 2017	तटीय गुजरात पावर लिमिटेड	''विधि में परिवर्तन'' घटनाओं की आवृत्ति के कारण सीजीपीएल की लागत/राजस्व में वृद्धि/कमी के लिए टैरिफ के समायोजन की मांग करते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के खंड 4.7 और 22.4.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) के अधीन याचिका	21-2-2018	विविध याचिका
42.	51/एमपी/2018	21 फरवरी, 2018	एनटीपीसी लिमिटेड	प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन अर्थात 21.2.2018 के बाद की तारीख से 6 महीने की अवधि के आगे लारा एसटीपीपी (2ग800 मेगावाट) के यूनिट एक के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की अनुमति के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	23-2-2018	विविध याचिका
43.	73/एमपी/2017	13 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24/आरपी/2015 में आयोग के 16.2.2017 के आदेश में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वनय के लिए अनुमति की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1सी 79 1डी के अधीन याचिका	21-2-2018	विविध याचिका
44.	131/एमपी/2016	8 अगस्त, 2016	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड	विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा वितरण कंपनियों और पीटीसी इण्डिया लि. के बीच आगे पीछे पीपीए सहित जीएमआर एनर्जी लि. और पीटीसी इण्डिया लि. के बीच 12.3.2009 के पीपीए के अनुच्छे 13 और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और जीएमआर कमलंग एनर्जी लि. के बीच नि पादित 9.11.11 के पीपीए के अनुच्छेद 10 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासित प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	21-2-2018	विविध याचिका
45.	21/एमपी/2018	29 जनवरी, 2018	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	भारत सरकार की शक्ति योजना के अधीन कोयला लिंकेज के आवंटन के कारण पीपीए और टैरिफ के संशोधन के अनुमोदन के लिए धारा 79 (1)(ख) के अधीन याचिका	21-2-2018	विविध याचिका
46.	41/एमपी/2018	13 फरवरी, 2018	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड	(क) जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि. और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच 9.11.2011 का पीपीए तथा (ख) भारत में कोयले पारदर्शिता के आवंटन और दोहन के लिए योजना के उपबंधों के साथ अनुपालन में उक्त पीपीए के संशोधन के अनुमोदन के लिए जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि. और ग्रिडको लि. के बीच 28.9.2006 (4.1.2001 को संशोधित) पीपीए तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की सांविधिक फ्रेमवर्क अधिशासित प्राप्ति के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) याचिका	21-2-2018	विविध याचिका

47.	167/एमपी/2017	10 अगस्त, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–1 (1000 मेगावाट) की एपीसी मानदण्ड की रियायत के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अधीन याचिका	16-2-2018	विविध याचिका
48.	179/एमपी/2017	23 अगस्त, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए विंध्याचल सुपन थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–2 (1000 मेगावाट) की मानदण्ड की रियायत के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के अध्याय 5 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 79 (1) (क) के अधीन याचिका	16-2-2018	विविध याचिका
49.	याचिका सं. 87/टीटी/2015 में 59/आरपी/2016	1 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका संख्या 87/टीटी/2015 में 18.4.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	13-2-2018	पुनरीक्षण याचिका
50.	198/एमपी/2016	18 अक्टूबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	संगरौली स्मॉल हाइड्रो (8 मेगावाट के लिए) केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के उपबंधों एवं केविविआ केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 की मांग करते हुए याचिका	12-2-2018	विविध याचिका
51.	75/एमपी/2017	17 अप्रैल, 2017	जेएसडब्ल्यू पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य	जीएसडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी लि. के लिए जेएसडबलयू पावर ट्रेडिंग कं. लि. द्वारा धारित व्यापार अनुज्ञप्ति के अंतरण के अनुमोदन के लिए याचिका	1-2-2018	विविध याचिका
52.	168/एमपी/2017	10 अगस्त, 2017	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 और 79 (1)(सी) के साथ पठित धारा 79 (1) (एफ) के अधीन याचिका	29-1-2018	विविध याचिका

53.	याचिका संख्या 173/टीटी/2013 और 111/टीटी/2015 में 55/आरपी/2016	4 अक्टूबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 173/टीटी/173 और 111/टीटी/2015 में 15.6.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	30-1-2018	पुनरीक्षण याचिका
54.	163/एमपी/2017	2 अगस्त, 2017	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	केस–1 बोली प्रक्रिया के अधीन पीपीए के संबंध में टैरिफ के भुगतान के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित देसी कोयले के लिए वृद्धि दरों की संगणना के लिए पद्धति में पुनरीक्षण की मांग करते हुए याचिका	19-1-2018	विविध याचिका
55.	10/एमपी/2018	2 जनवरी, 2018	एस्सार पावर एमपी सीमित	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1सी और सीएफ के अधीन याचिका	19-1-2018	विविध याचिका
56.	265/एमपी/2017	27 दिसंबर, 2017	एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड	1.1.2018 से 31.3.2018 तक एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ) लि. के (4x300 मेगावाट) बिंजकोट एसकेएस पावर जनरेशन के टीपीपी के दूसरे यूनिट (यूनिट 1) (300 मेगावाट) के पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण और आरंभ करने के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार के लिए अनुमति की मांग करते हुए याचिका	2-1-2018	विविध याचिका
57.	258/एमपी/2017	8 दिसंबर, 2017	श्रीजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1 एफ की अधीन याचिका	3-1-2018	विविध याचिका
58.	260/एमपी/2017	18 दिसंबर, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	27.11.2017 के आगे कुदगी एसटीपीपी स्टेज 71 (3X800 मेगावाट) के यूनिट 2 के लिए ग्रिड सहित इनफर्म पावर के अंतःक्षेपण की अनुमति के लिए मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	29-12-2017	विविध याचिका
59.	152/जीटी/2015	8 जून, 2015	मैथॉन पावर लिमिटेड	मैथन पावर लि. के 1050 मेगावाट यूनिट के संबंध में 2014–19 अवधि के लिए टैरिफ के अवधारण और 2011–14 अवधि के लिए टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	26-12-2017	उत्पादन टैरिफ
60.	229/एमपी/2016	18 नवंबर, 2016	डीबी पावर लिमिटेड	याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच प्रविष्ट 19.8. 2013 के विद्युत क्रय करार से संबंधित ''विधि में परिवर्तन' और ''अप्रत्याशित घटना'' की आवृत्ति के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (एफ) के साथ पठित धारा 79 1ख के अधीन याचिका	19-12-2017	विविध याचिका

61.	101/एमपी/2017	16 मई, 2017	डीबी पावर लिमिटेड	याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच प्रविष्ट 1.11.2013 के विद्युत क्रय करार से संबंधित ''विधि में परिवर्तन' और ''अप्रत्याशित घटना'' की आवृत्ति के कारण क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1एफ के साथ पठित धारा 79 (1)(ख) के अधीन याचिका	19-12-2017	विविध याचिका
62.	याचिका सं. एसएम/10/2014 में 60/आरपी/2016	4 नवंबर, 2016	कर्नाटक लिमिटेड की पावर कंपनी	याचिका स. 10/एसएम/2014 में 30.6.2016 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	19-12-2017	पुनरीक्षण याचिका
63.	193/एमपी/2016	10 अक्टूबर, 2016	थर्मल पावरटेक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	ग्रिड व्यवधान की परिणामी घोषणा को पूरा करने और ग्रिड कोड में अधिनियम के प्रत्यर्थियों के निर्देश देने की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 (ग्रिड कोड) के विनियम 6.5 (17) के अधीन याचिका	20-12-2017	विविध याचिका
64.	168/टीटी/2016	8 सितंबर, 2016	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र में यूपीपीटीसीएल से संबंधित उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों से संबद्ध (प्राकृतिक अंतरराज्यिक पारेषण लाइनें) के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	19-12-2017	पारेषण टैरिफ
65.	173/टीटी/2016	8 सितंबर, 2016	महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	क्रमशः टैरिफ ब्लॉक 2014–19 और 2009–14 के लिए अन्य राज्यों को विद्युत प्रेषित करने के लिए एमएसईटीसीएल पारेषण लाइन/प्रणाली के संबंध में 2012–13 के लिए ट्रूअप टैरिफ और 2014–15 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	19-12-2017	पारेषण टैरिफ
66.	88/टीटी/2017	25 अप्रैल, 2017	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2014 टैरिफ विनियम और (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के अनुसार प्वाइंट आफ कनेक्शन प्रभारों की संगणना में शामिल करने के लिए आईएसटीएस लाइनों के रूप में विद्युत प्रेषित करते हुए एमपीपीटीसीएल से संबंधित 11 पारेषण लाइनों के 2014–15 से 2018–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	19-12-2017	पारेषण टैरिफ

67.	214/टीटी/2016	28 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु भाग ए 1 के नागापटनम / कुडालोर में आईएसजीएस परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य पारेषण योजना के अधीन सलेम न्यू (धर्मपुरी) 765 केवी डीसी लाइन (400केवी पर आंरभिक रूप से प्रभारित) नागापटनम पूलिंग स्टेशन के सर्किटों के लिए प्रत्येक और सलेम न्यू (धर्मपुरी) नागापटनम पूलिंग स्टेशन में टैरिफ आधारित बोली और 1 नंबर 63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के अधीन कार्यान्वित की जा रही नागापटनम पूलिंग स्टेशन–सलेम न्यू (धर्मपुरी) 765 केवी डीसी लाइन (400केवी पर आंरभिक रूप से प्रभारित) में प्रत्येक 2 नंबर 400 केवी बेज के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	19-12-2017	पारेषण टैरिफ
68.	85/सांसद/2014	12 मई, 2014	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 और केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के उचित प्रावधान के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (सी) और (1) (एफ) के अधीन याचिका	18-12-2017	विविध याचिका
69.	184/टीटी/2016	27 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उत्तरी पूर्वी उत्तर/पश्चिम अंतरकनेक्टर 1 परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन प्रत्याशित वाणिजियक प्रचालन की तारीख 1. 9.2016 से 31.3.2019 तक आगरा और विभवनाथ चरयाली दोनों के लिए पृथ्वी इलेक्ट्रोड केन्द्र और पृथ्वी इलेक्ट्रोड लाइन सहित (विभनाथ चरयाली और आगरा में 500 मेगावाट एचवीडीसी टर्मिनल) 800केवी विभनाथ चरयाली और आगरा एचवीडीसी पोल 2 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	15-12-2017	पारेषण टैरिफ

70.	144/टीटी/2016	26 अगस्त, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र (एनआरयूएलडीसी फेज 2) के एसएलडीसी में मौजूदा स्काडा/ईएमएस प्रणाली की प्रतिस्थापन्न और विस्तार के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	15-12-2017	पारेषण टैरिफ
71.	17/टीटी/2015	15 जनवरी, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एकीकृत भार प्रेषण और संचार योजना (पावरग्रिड भाग) के फीस और प्रभार की टूइंगअप के लिए याचिका अर्थात केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए प्रभारों के अवधारण के अधीन वास्तविक ओएण्डएम व्यय पर आधारित 2014–19 ब्लॉक के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पोसोको के गठन के बाद याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई एसएलडीसी प्रणाली और संचार प्रणाली भाग	15-12-2017	पारेषण टैरिफ
72.	313/टीटी/2014	20 सितंबर, 2014	जिंदल पावर लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए टैरिफ के अवधारण ओर केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के अधीन तमनार उपकेन्द्र में 220 केवी बेज के 2 नंबर और 400 केवी बेज के 4 नंबर सहित 315 एमवीए 400/220 केवी ट्रांसफार्मर तथा 400 केवी जेपीएल तमनार पीजीसीआई रायपुर डीसी लाइन 268.40 किलोमीटर और 2 नंबर 315 एमवीए की 2011–14 अवधि के लिए टैरिफ के टूइंगअप के लिए याचिका	15-12-2017	पारेषण टैरिफ
73.	141/टीटी/2015	2 जून, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पश्चिम क्षेत्र में एमवी पावर (एमपी) लि. की संयोजकता के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन एमबीपीपीएस (अनूप पुर) जबलपुर पूलिंग स्टेशन 400 केवी डीसी (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन के पारेषा टैरिफ के लिए याचिका	15-12-2017	पारेषण टैरिफ
74.	याचिका सं. जीटी/322/2014 में 28/आरपी/2017	20 जुलाई, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 322/जीटी/2014 में 21.3.2017 के आदेश के पुनरीक्षा के लिए याचिका	15-12-2017	पुनरीक्षण याचिका
75.	189/एमपी/2016	4 अक्टूबर, 2016	जिंदल पावर लिमिटेड	विधि घटनाओं में विभिन्न परिवर्तन की आवृत्ति के कारण किए गए अतिरिक्त खर्च की वसूली के लिए 29.6.2012 और 23.8.2013 के पीपी के अनुच्छेद 10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) (बी) और एफ के अधीन याचिका	13-12-2017	विविध याचिका

76.	232/टीटी/2016	18 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी के स्काडा / ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन के अधीन मुख्य स्काडा ईएमएस प्रणाली परियोजना के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	14-12-2017	पारेषण टैरिफ
77.	39/टीटी/2015	29 जनवरी, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन पूर्वी क्षेत्र अवधि में पोसोको के गठन के बाद याचिककर्ता द्वारा रखी गई एसएलडीसी प्रणाली और संचार प्रणाली भाग अर्थात एकीकृत भार प्रेषण और संचार योजना (पावरग्रिड) की 2014–19 अवधि के लिए फीस व प्रभार के अवधारण और 2009–14 अवधि के लिए प्रभारों के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	13-12-2017	पारेषण टैरिफ
78.	140/एमपी/2017	14 जुलाई, 2017	पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	केविविआ (पावर मार्केट) विनिमय 2010 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 की 24, 112 और 113 और 115 के विनियम 19(2) 63 और 64 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (79) (1) के अधीन याचिका	1-12-2017	विविध याचिका
79.	41/एमपी/2016	14 मार्च, 2016	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38 और 79 1सी के साथ पठित 5.1.2013 और 27.8.2013 को पूर्वी क्षेत्र में आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त में विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए 800 मेगावाट से 647 मेगावाट तक 24.2.2010 के बल्क विद्युत पारेषण करार के अधीन प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा में संशोधन की मांग करते हुए याचिका	8-12-2017	विविध याचिका
80.	203/एमपी/2015	21 अगस्त, 2015	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड	याचिकाकर्ता को प्रदान की गई दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के संबंध में प्रस्तुत बैंक गारंटी की नकदीकरण के अवैध धमकी के संबंध में भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन लि. और जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	8-12-2017	विविध याचिका

81.	57/टीटी/2017	28 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1 400/220 केवी सोनीपत उपकेन्द्र विस्तार में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–2 400/220 केवी जयपुर (दक्षिण) उपकेन्द्र विस्तार में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–3 400/220 केवी बस्सी उपकेन्द्र विस्तार में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–4 400/220 केवी मनेसर उपकेन्द्र विस्तार में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–5 400क/220 केवी पंचकूला उपकेन्द्र विसतार में 125 एमवीए बस रिएक्टर आस्ति–6 400/220 केवी कैथल उपकेन्द्र विस्तार में 125 एमवीएआर बस रिएक्अर आस्ति–4 केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के 86 के उत्तरी क्षेत्र में बस रिएक्टर योजना के अधीन 400/220 केवी कानपुर उपकेन्द्र विस्तार में 125 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3. 2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	8-12-2017	पारेषण टैरिफ
82.	185/टीटी/2016	27 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र वाया एनईआर/एसआर/डब्लयूआर से और ईआर से डबलयूआर द्वारा आयात एवं डब्ल्यूआर के लिए नेटवर्क के लिए सामान्य योजना और ईआर से एनआर द्वारा आयात, एनआर से नेटवर्क और 765 केवी पूलिंग स्टेशन के लिए सामान्य योजना के अधीन आस्तियों के संयुक्त 21 नंबर के लिए 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 टैरिफ के पारेषण टैरिफ की ट्रूइंगअप के लिए याचिका	6-12-2017	पारेषण टैरिफ
83.	79/आर सी/2017	21 अप्रैल, 2017	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आटोमेटिक उत्पादन नियंत्रण पायलट परियोजना के कार्यानवयन के लिए याचिका	6-12-2017	विनियामक अनुपालन
84.	188/एमपी/2016	4 अक्टूबर, 2016	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड	पावर ग्रिड, भरारी उपकेन्द्र, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 765/400 केवी स्विचयार्ड में 2 टाई बेज सहित 400 केवी लाइन बेज का याचिकाकर्ता के नंबर 2 के प्रचालन और रखरखाव के लिए भुगतान/क्षतिपूर्ति की शर्तों के संबंध में विवाद के अधिनिर्णय की मांग करते हुए, अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 60 और धारा 79 (1)(बी) और 79(1)(सी) के साथ पठित धारा 79(1)(एफ) के अधीन याचिका	5-12-2017	विविध याचिका

85.	69/टीटी/2017	10 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में ''मुन्दरा यूएनपीपी और सासन के लिए उत्तरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण योजना'' के अधीन संबद्ध बेज सहित 400 केवी डी/सी सीकर–जयपुर लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	6-12-2017	पारेषण टैरिफ
86.	याचिका सं. जीटी/299/2014 में 23/आरपी/2017	23 मई, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 299/जीटी/2014 में दिनांक 24.3.2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	5-12-2017	पुनरीक्षण याचिका
87.	याचिका सं. 172/जीटी/2015 में 20/आरपी/2017	16 मई, 2017	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 172/जीटी/2015 में दिनांक 20.3.2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	5-12-2017	पुनरीक्षण याचिका
88.	14/एमपी/2016	2 फरवरी, 2016	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(सी) के अधीन आवश्यक निर्देशों की मांग करते हुए अनुचित और अनुपयुक्त क्षेत्रिय पारेषण लेखा एलटीए को संशोधित करने के लिए गैर विधिक मनाही के लिए याचिका	29-11-2017	विविध याचिका
89.	231/सांसद/2015	6 अक्टूबर, 2015	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	29-11-2017	विविध याचिका
90.	55/टीटी/2017	28 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: समन्वित आस्तियों (क) 400 केवी डीसी देहरादून एक सर्किट– दोनों अंत में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी देहरादून बागपत, देहरादून बागपत 400 केवी एससी रूड़की के रूप में बागपत टीएल के दूसरे सर्किट के भाग–400 केवी डीसी रूड़की के एक सर्किट के भाग का प्रयोग करते हुए – देहरादून, बागपत और अंत में संबद्ध बेज सहित अंतःखंड प्वाइंट में 400 केवी डीसी रूड़की – सहारनपुर लाइन (एनआर एसएस–XXI) के अधीन एक सर्किट के लिए प्रयोक्ता 400 केवी एससी सहारनपुर बागपत के रूप में देहरादूर अंत और आंशिक रूप से देहरादून लाइन (ख) एक नंबर 200 केवी लाइन बेज सहित संबद्ध बेज एवं देहरादूर में 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी–1 (ग) एक नंबर 220 केवी लाइन बेज सहित संबद्ध बेज और देहरादूर में 400/220 केवी 315 एमवीए आईसीटी 2 (घ) देहरादून और संबद्ध बेज में 80 एमवीआर बस रिएक्टर आस्ति–2: उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस–XVII योजना के अधीन देहरादून एसएस में 220 केवी बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन याचिका	30-11-2017	पारेषण टैरिफ

91.	60/टीटी/2017	28 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: अमृतसर 400/220 केवी उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.12.2016) और आस्ति–2: ''उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – XXXI-B के अधीन मलेरकोटला जीआईएस 400/220 केवी उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1. 12.2016) में 4 नंबर 220 केवी लाइन बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3. 2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन याचिका	30-11-2017	पारेषण टैरिफ
92.	113/टीटी/2016	15 जुलाई, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक ''उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी के स्काडा / ईएमएस प्रणाली के विस्तार / उन्नयन परियोजना के अधीन असम–त्रिपुरा–मेघालय के मुख्य स्काडा ईएमएस प्रणाली के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	29-11-2017	पारेषण टैरिफ
93.	39/टीटी/2017	10 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	(i) वर्धा निजामाबाद 765 केवी डीसी लाइन सहित संबद्ध बेज (ii) संबद्ध बेज सहित निजामाबाद डिचपल्ली 400 डीसी लाइन (iii) 2x15 एमवीए ट्रांसफार्मर 1x240 एमवीएआर ट्रांसफार्मर 1x240 एमवीएआर बस रिएक्टर, 2x240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर (iv) संबद्ध बेज सहित 2x240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 400केवी वर्धा का विस्तार (v) केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन दक्षिण क्षेत्र में वर्धा हैदराबाद 765 केवी लिंक के अधीन ट्रांसको के बिचपल्ली 400 केवी उपकेन्द्र का विस्तार के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	29-11-2017	पारेषण टैरिफ

94.	याचिका सं. 13/एमपी/2014 में 57/आरपी/2016	18 अक्टूबर, 2016	असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 13/एमपी/2014 में दिनांक 8.3.2016 के आदेश की पुनरीक्षण की मांग के लिए याचिका	29-11-2017	पुनरीक्षण याचिका
95.	132/एमपी/2017	28 जून, 2017	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	एनटीपीसी लि. के साथ टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय की मांग करते हुए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 44 एवं 45 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	27-11-2017	विविध याचिका
96.	37/टीटी/2017	10 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में ''पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए रिएक्टरों एवं स्पेयर आईटीसी के प्रावधान'' के अंतर्गत के अधीन स्पेयर आईसीटी और रिएक्टर के 6 नंबर के लिए 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	17-10-2017	पारेषण टैरिफ
97.	208/टीटी/2016	19 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: बिना में संबद्ध बेज सहित 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–2: 400/220 केवी राजगढ़ उपकेन्द्र में 400 केवी डीसी राजगढ सरदार सरोवर पारेषण लाइन सीकेटी 1 और सीकेटी 2 के लिए संबद्ध बेज सहित 400 केवी, 63 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर आस्ति–3: दमोह उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित और 2 नंबर 220 केवी लाइन बेज 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी आस्ति–4: रायपुर पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित और 765/400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी–4 रायगढ़ (तमनार) पूलिंग स्टेशन संबद्ध बेज सहित 765/400 केवी, 1500 एमवीए, आईसीटी–2 आस्ति–5: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पश्चिमी क्षेत्र में ''पश्चिमी क्षेत्र में आईसीटी और बस रिएक्टर का स्थापन्न'' के अधीन वडोदरा जीआईएस में संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी, 500 एमवीए, 2 नंबर आईसीटी, के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	22-11-2017	पारेषण टैरिफ

98.	70/टीटी/2017	10 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पूर्वी क्षेत्र में दरलीपल्ली टीपीसी से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन झारसुगड़ा (सुन्दरगढ़) पीएस में 765 केवी डी/सी दरलीपल्ली टीपीएस (एनटीपीसी) –झारसुगडा (सुन्दरगढ़) पूलिंग स्टेशन पारेषण लाइन 765 केवी लाइन बेज का 2 नंबर के पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	21-11-2017	पारेषण टैरिफ
99.	71/टीटी/2017	10 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2014–19 टैरिफ अवधि के लिए ''दक्षिणी क्षेत्र में तूतीकोरिन एरिया–पार्ट–बी में कोस्टल एनरजन प्रा. लि. एवं इण्ड–भारत पावर (मद्रास) लि. एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सलेम 400/220 केवी मौजूदा में बे का विस्तार और सलेम (धरमपुरी) में 765/400 केवी पूलिंग स्टेशन सहित सलेम 400केवी डी/सी क्वेद लाइन –400 केवी सलेम पूलिंग स्टेशन (धरमपुरी)'' के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	21-11-2017	पारेषण टैरिफ
100.	154/एमपी/2016	30 अगस्त, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन – I – II (1600 MW) और स्टेज–III (500 MW) को प्रभावित करने वाले अप्रत्याशित घटनाओं के कारण राहत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(क) के अधीन याचिका	17-11-2017	विविध याचिका
101.	185/एमपी/2017	29 अगस्त, 2017	उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड–यूनिट 2	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 के विनियम 8 और 26 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	15-11-2017	विविध याचिका
102.	186/एमपी/2017	29 अगस्त, 2017	उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड–यूनिट 2	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2008 विनियम 8 और 26 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	15-11-2017	विविध याचिका

103.	48/टीटी/2017	27 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: ''उनचार टीपीएस के अधीन एटीएस के लिए फतेहपुर में 400 केवी बेज का प्रावधान'' के अधीन (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख : 2.10.2016) फतेहपुर 400/220 केवी उपकेन्द्र में 2 नंबर 400 केवी लाइन बेज के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन याचिका	15-11-2017	पारेषण टैरिफ
104.	183/टीटी/2016	27 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: रंगपो और न्यू मेली 1 नंबर 220 केवी बस कपलर बे प्रत्येक रंगपो और न्यू मेली में 220 केवी डीसी रंगपो न्यूमेली आस्ति–2: न्यू मेल और संबद्ध बेज में 1 नंबर 31.5 एमवीएआर बस रिएक्टर (प्रथम) आस्ति–3: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम उत्पादन परियोजना भाग ख के अधीन संबद्ध बेज और न्यू मेली में 1 नंबर 31.5 एमवीएआर बस रिएक्टर (द्वितीय), पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	14-11-2017	पारेषण टैरिफ
105.	204/टीटी/2016	19 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में विंध्याचल–IV (1000 MW) - रिहंद-III (1000 MW) उत्पादन परियोजना के अधीन 765/400 केवी जयपुर (फगी–आरवीपीएनएल) में डी/सी (क्वेद) बस्सी–जयपुर (फगी–आरवीपीएनएल) लाइन के लिए 400 केवी लाइन बेज I और II (400 और 405) के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	14-11-2017	पारेषण टैरिफ
106.	114/एमपी/2013	22 मई, 2013	एनटीपीसी लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 21(4) की प्रयोजिता पर डब्ल्यूआरएलडीसी के निर्देशों की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 और 29 के अधीन याचिका	2-11-2017	विविध याचिका

107.	292/एमपी/2015	17 नवंबर, 2015	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए एनटीपीसी द्वारा बनाए गए कोयले के स्टॉक की कमी पर विचार करने के बाद कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की तुलना में अतिरिक्त राशि की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	10-11-2017	विविध याचिका
108.	141/एमपी/2017	17 जुलाई, 2017	रायबाहदुर सेठ शरेराम नारसिंगदास प्राइवेट लिमिटेड	21.3.2016 और 8.11.2016 के बीच एनर्जी के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के क्रेडिट की मांग के लिए केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 14 और 15 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	9-11-2017	विविध याचिका
109.	87/टीटी/2017	25 अप्रैल, 2017	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 अर्थात्, 400 केवी सियोनी (एमपी)–सरनी (एमपी) लाइन और 400 केवी सियोनी (एमपी)–भिलाई (छत्तीसगढ़) लाइन के अनुसार पारेषण प्रभारों, प्वाइंट ऑफ कनेक्शन की संगणना में 2 नंबर 400 केवी लाइन को शामिल करने के लिए याचिका सं. 217/टीटी/2013 के अधीन केविविआ का दिनांक 15.10.2015 का आदेश के अनुसरण में, डीम्ड आईएसटीएस लाइनों के रूप में विद्युत प्रेषित करते हुए याचिकाकर्ता (एमपीपीटीसीएल) से संबंधित पारेषण लाइनों के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	3-11-2017	पारेषण टैरिफ
110.	146/टीटी/2016	29 अगस्त, 2016	अदानी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड	आस्ति–1: संबद्ध 400 केवी लाइन और इलेक्ट्रोड लाइन, बेज, उपकेन्द्र से संबद्ध +/- 500 kV D/C मुन्द्रा मोहिन्द्रगढ़ एचवीडीसी बाई–पोल पारेषण लाइन (डीम्ड वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख : 1.10.2013) आस्ति–2: केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 6, केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन प्रणाली से संबद्ध 400 केवी डीसी मुन्द्रा–देहगाम पारेषण लाइन (डीम्ड वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख : 1.10.2013) के लिए 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	3-11-2017	पारेषण टैरिफ

111.	84/एमपी/2016	31 मई, 2016	छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्य लागू उपबंधों और 24.2.2010 के बल्क विद्युत पारेषण करार की समाप्ति के लिए तैयार विनियम और 7.12. 2010 के पारेषण सेवा करार और अन्य प्रयोजनों के लिए आवंटित दीर्घकालिक पारेषण क्षमता के प्रयोग के लागू अन्य उपबंधों और धारा 79(1)(सी), धारा 38(2) के अधीन याचिका	2-11-2017	विविध याचिका
112.	89/एमपी/2016	13 जून, 2016	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	प्रगति 3 समन्वित साइकिल विद्युत परियोजना द्वारा उपलब्धता के घोषणा से संबंधित बीआरपीएल और बीएसईएस यमुना पावर लि. पीपीसीएल से संबद्ध अर्थात् याचिकाकर्ताओं के बीच विवाद के अधिनिर्णय की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	2-11-2017	विविध याचिका
113.	47/टीटी/2017	27 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: बीना एस/एस में 400 केवी 315 एमवीए ट्रांसफार्मर आस्ति–खः आस्ति–1: देहगाम एस/एस और 400/220 केवी पिराना एसएस (न्यू) और पिराना में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी पिराना देहगाम आस्ति–2: संबद्ध बेज सहित पिराना एसएस में आईसीटी–1 (1X315MVA) 400x220 केवी आस्ती–3: संबद्ध बेज सहित और पिराना एसएस में आईसीटी–2 (1X315MVA) 400x220 आस्ति–4: संबद्ध 400केवी और 220 केवी बेज सहित 1X315ICT बिना बे एक्टसटेंशन आस्ति–5: संबद्ध 400x220 केवी बेज से संबद्ध (1X315MVA) आईसीटी सहित 400/220 केवी ग्वालियर (एक्सटेंशन) एसएस आस्ति–गः आस्ति–1: संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी पुणे एस/एस आईसीटी–3 और आईसीटी–2 संबद्ध बेज सहित वर्धा एसएस में आईसीटी–3 और आस्ति–घः डब्ल्यूआरएसएस 6 से संबद्ध एक्सटेंशन बे सहित रायपुर में आईसीटी–3 के लिए टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ और और टैरिफ ब्लॉक 2009–14 टैरिफ के ट्रूइंगअप के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	2-11-2017	पारेषण टैरिफ

114.	240/एमपी/2016	24 नवंबर, 2016	थर्मल पावरटेक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	पीजीसीआईएल द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदान की गई 6.10.2015 की मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की समाप्ति के लिए कोई अधित्याग प्रभार प्रतिदेय नहीं है। इसकी घोषणा करते हुए याचिका	31-10-2017	विविध याचिका
115.	69/एमपी/2014	15 अप्रैल, 2014	आर्यन एमपी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विनियम 18 के अधीन 29.7.2009 के बल्क पावर पारेषण करार के अधीन दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के अधित्याग के लिए याचिका	31-10-2017	विविध याचिका
116.	173/एमपी/2017	16 अगस्त, 2017	आईएनओएक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 111 और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 33 ए और 33 बी के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	31-10-2017	विविध याचिका
117.	200/टीटी/2016	18 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: संबद्ध बेज और 400 केवी 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित कैथल में 400 केवी एससी दादरी मलेरकोटला का लीलो आस्ति–2: मंदौला उपकेन्द्र में 400/220 केवी 500 एमवी आईसीटी–1 आस्ति–3: मदौला उपकेन्द्र में 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी–3 आस्ति–4: मदौला उपकेन्द्र में 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी–4 आस्ति–3: बल्लभगढ़ उपकेन्द्र में 400/220 केवी 500 एमवी आईसीटी–1 आस्ति–6: चित्तोड़गढ़ (आरआरवीपीएनएल) उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी आरएपीपी कंकरौली का एक सर्किट का लीलो आस्ति–7: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक (उत्तरी क्षेत्र) में एनआरएसएस–32 के अधीन बल्लभगढ़ उपकेन्द्र में 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी–2 के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	31-10-2017	पारेषण टैरिफ

118.	याचिका सं. 157/एमपी/2015 में 22/आरपी/2017	22 मई, 2017	गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड	याचिका सं. 157 / एमपी / 2015 में 17.3.2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका	31-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
119.	43/टीटी/2017	10 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ''उत्तर पूर्व, उत्तर / पश्चिम इंटरकनेक्टर–1'' के अधीन बलीपर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी कामेंग बलि पर पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	31-10-2017	पारेषण टैरिफ
120.	91/टीटी/2017	27 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में बड़ उत्पादन परियोजना (3x660 MW) से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन बलिया उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित बड़ बलिया 400 केवी डीसी क्वेद पारेषण लाइन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	31-10-2017	पारेषण टैरिफ
121.	187/सांसद/2015	13 अगस्त, 2015	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड	बचाउ उपकेन्द्र के विस्तार और एसआ गुजरात पीपीएस बचाउ 400केवी डीसी (ट्रिप्पल) लाइन के संबंध में संयोजकता के स्थगन और भारतीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन और एसआर पावर गुजरात लि. के बीच 3.1. 2011 के पारेषण करार के अधीन उदभूत अन्तर और विवाद के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ)(के) के अधीन याचिका	11-10-2017	विविध याचिका
122.	याचिका सं. 236/एमपी/2015 में 44/आरपी/2016	9 सितंबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 236 / एमपी / 2015 में 27.6.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	17-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
123.	26/टीटी/2017	1 मार्च 2017	राजस्थान राज्य विद्यातप्रसन निगम लिमिटेड	पीओसी प्रभारों में शामिल करने के लिए याचिका सं. 15 / स्वप्रेरणा / 2012 के लिए 14. 3.2012 के केविविआ के आदेश के अनुसार विद्युत के अंतरराजियक पारेषण में आकस्मिक पारेषण लाइनों की हस्तक्षेप और अन्य राज्यों के साथ आरवीपीएन स्वमित्व की पारेषण लाइनों / प्रणाली के संबंध में टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	18-10-2017	पारेषण टैरिफ

124.	234/टीटी/2016	19 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: कोटा उपकेन्द्र में (मैरथा से स्थानांतरित 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर) 50 एमवीएआर बस रिएक्टर–2 सहित 400केवी मेन बे आस्ति–2: 400/220 केवी कोटेश्वर उपकेन्द्र (टीएचडीसी) में संबद्ध बेज सहित 125 एमवीएआर 400केवी बस रिएक्टर आस्ति–3: देहर में 2x63 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–4: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक उत्तरी क्षेत्र ''उत्तरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण योजना'' के अधीन देहर में 4x105 एमवीए सहित 250 एमवीए आईसीटी की स्थापना के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	17-10-2017	पारेषण टैरिफ
125.	याचिका सं. 33/टीटी/2013 में 38/आरपी/2016	29 अगस्त, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 33/टीटी/2013 में 15.12.2015 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	17-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
126.	याचिका सं. 236/एमपी/2015 में 42/आरपी/2016	8 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 236/एमपी/2015 में 27.6.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	17-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
127.	16/एस एम/2015	18 दिसंबर, 2015	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्रों से अननुसूचित अधिशेष के अनुसूचीकरण के संबंध में याचिका सं. 310/एमपी/2014 में 5.10.2015 के आयोग के आदेश के कार्यान्वयन में सामना की गई कठिनाई।	17-10-2017	स्वप्रेरणा याचिका
128.	153/एमपी/2016	29 अगस्त, 2016	जीएमआर वारारा एनर्जी लिमिटेड	यह घोषणा की मांग करते हुए याचिका कि कोई अधित्याग प्रभार पीजीसीआईएल द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदान की गई 22.7.2015 के एमटीओए को अभ्यर्पण के लिए प्रतिदेय नहीं है।	17-10-2017	विविध याचिका
129.	139/एमपी/2016	18 अगस्त, 2016	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012–13, 2013–14 और 2014–15 के दौरान ऊर्जा प्रभार कमी की वसूली की अनुमति के लिए तथा 2014–15, 2015–16 के लिए और 2016–17 के लिए ईसीआर की संगणना के लिए ऊर्जा डिजाइन के संशोधन के लिए जब तक पूर्ववर्ती वर्षों के ऊर्जा प्रभार कमी रंगनदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए की गई है जहां वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा उत्पादन कंपनी (नीपको) की नियंत्रण से आगे के कारणों के लिए अनुमोदित डिजाइन ऊर्जा से कम है वहां ऊर्जा की वसूली की अनुमति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31(6)(बी) अध्याय(7) और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 और विनियम 22(6)(प्प) (अध्याय–3) के अध्याय 4 के संबद्ध उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) के अधीन याचिका	17-10-2017	विविध याचिका

130.	याचिका सं. जीटी/306/2014 में 3/आरपी/2017	1 फरवरी, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 306 / जीटी / 2014 में 5.12.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	17-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
131.	3/एमपी/2017	10 जनवरी, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	(i) केविविआ (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी को अन्तरराज्यिक पारेषण योजना के नि पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम 2010 (ii) केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और 114 और (iii) फतेहगढ़ जिला जेसलमेर राजस्थान में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के नि पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए याचिका केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 सहित अधिनियम की धारा 79(1)(के) और धारा 79(1)(सी) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2) के अधीन याचिका	17-10-2017	विविध याचिका
132.	221/टीटी/2016	8 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: संबद्ध बेज सहित बागपत जीआईएस उपकेन्द्र में 500 एमवीए 400 / 220 केवी आईसीटी–2 आस्ति–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक उत्तरी क्षेत्र में ''उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना.ग्प'' के अधीन बागपत जीआईएस से संबद्ध 2 नंबर 220 केवी लाइन बेज के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	13-10-2017	पारेषण टैरिफ

133.	याचिका सं. 146/एमपी/2014 में 15/आरपी/2015	14 जुलाई, 2015	वेस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन (महाराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड	याचिका सं. 146 / एमपी / 2014 में 28.5.2015 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	12-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
134.	128/एमपी/2016	1 अगस्त, 2016	एमपी. पावर प्रबंधन कं लिमिटेड	1.4.2008 से रिहन्द हाइडल पावर स्टेशन और मटाटिला हाइडल पावर स्टेशन के संबंध में ओ एण्ड एम प्रभारों के अवधारण के लिए याचिका और एआरआर दाखिल करने के लिए यू.पी. जलविद्युत निगम लि. को निर्देश की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	12-10-2017	विविध याचिका
135.	42/सांसद/2014	27 फरवरी, 2014	कॉर्पोरेट इस्पात मिश्र धातु लिमिटेड	उत्पादन टैरिफ और अन्य संबंधित राहतों के समायोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(बी) के अधीन याचिका	11-10-2017	विविध याचिका
136.	16/एमपी/2014	4 फरवरी, 2014	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	उत्पादन टैरिफ और अन्य संबंधित राहतों के समायोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(बी) के अधीन याचिका	11-10-2017	विविध याचिका
137.	313/एमपी/2013	3 दिसंबर, 2013	राजस्थान सन तकनीक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	डीएनआई के कारण क्षतिपूर्ति टैरिफ के मामले में और राजस्थान सन टेक्निक प्रा. लि. और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. के बीच प्रविष्ट विद्युत क्रय करार के मामले में याचिका	11-10-2017	विविध याचिका
138.	312/एमपी/2013	3 दिसंबर, 2013	राजस्थान सन तकनीक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	रूपये में अवक्षयण के कारण क्षतिपूर्ति टैरिफ के मामले में और राजस्थान सन टेक्निक प्रा. लि. और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. के बीच प्रविष्ट विद्युत क्रय करार के मामले में याचिका	11-10-2017	विविध याचिका
139.	304/एमपी/2013	21 नवंबर, 2013	गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	उत्पादन टैरिफ और अन्य संबंधित राहतों के समायोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79(1)(बी) के अधीन याचिका	11-10-2017	विविध याचिका
140.	याचिका सं. 326/जीटी/2014 में 24/आरपी/2017	23 मई, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 326 / जीटी / 2014 में 30.3.2017 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	10-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
141.	386/टीटी/2014	9 अक्टूबर, 2014	दामोदर घाटी निगम	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए डीवीसी नेटवर्क की वितरण प्रणाली गतिविधियों और पारेषण के टैरिफ के लिए याचिका	10-10-2017	पारेषण टैरिफ
142.	211/एमपी/2011	22 नवंबर, 2011	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	भिलाई स्टील प्लांट को एनएसपीसीएल के उत्पादन केन्द्र से विद्युत के अंतरण के लिए प्रयुक्त की जा रही 220 केवी लाइन पर भार प्रेषण हानियों द्वारा पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के कथित मध्यस्थ कार्यवाही के विरुद्ध और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के विनियम 20 और 21 के अधीन याचिका	5-10-2017	विविध याचिका

143.	याचिका सं. 46/टीटी/2014 में 2/आरपी/2017	23 जनवरी, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 46/टीटी/2014 में 29.7.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	5-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
144.	236/टीटी/2016	19 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: पंचकूला उपकेन्द्र में 1 X 500 MVA, 400/220 kV ट्रांसफार्मर आस्ति–2: जालंधर उपकेन्द्र में 1 X 500 MVA, 400/220 kV ट्रांसफार्मर आस्ति'3: सांभा उपेकन्द्र में 1 X 500 MVA, 400/220 kV ट्रांसफार्मर आस्ति–4: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षे भाग ख में ट्रांसफार्मर की वृद्धि'' के अधीन गुड़गांव उपकेन्द्र में 1 X 500 MVA, 400/220 kV ट्रांसफार्मर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक प्रत्याशित/वास्तविक से पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	6-10-2017	पारेषण टैरिफ
145.	203/टीटी/2016	19 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में ''मेजा टीपीएस से संबद्ध पारेषण प्रणाली'' के अधीन इलाहाबाद संबद्ध बेज सहित इलाहाबाद पारेषण लाइन 400केवी डीसी मेजा के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	5-10-2017	पारेषण टैरिफ
146.	547/टीटी/2014	29 दिसंबर, 2014	दामोदर घाटी निगम	याचिका सं. 270/टीटी/2012 में 27.9.2013 के आदेश द्वारा निर्धारत डीवीसी नेटवर्क के वितरण प्रणाली गतिविधियों और पारेषण की 2009–14 अवधि के टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	5-10-2017	पारेषण टैरिफ
147.	याचिका सं. 327/जीटी/2014 में 11/आरपी/2017	31 मार्च, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 327/जीटी/2014 में 6.2.2017 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	3-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
148.	याचिका सं. 342/जीटी/2014 में 17/आरपी/2017	2 मई, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 342/जीटी/2014 में 24.2.2017 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	3-10-2017	पुनरीक्षण याचिका
149.	145/एमपी/2017	18 जुलाई, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पवन/सौर उत्पादन परियोजनाओं को प्रदान की गई संयोजकताा के लिए बेस के कम प्रयोग की रोकथाम के लिए निर्देशों की मांग करते हुए केविविआ (फ़ीस का भुगतान) विनियम के विनियम 2(3) के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 विनियम 111 सहित विद्युत अधिनियम, 2003 और विनियम 33 ख (कठिनाई को दूर करने की शक्ति) की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	29-9-2017	विविध याचिका

150.	195/टीटी/2016	17 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: बलिया–1 और 2 बलिया सोहवाल लाइन 400 केवी डीसी के सोवाल उपकेन्द्र आस्ति–2: 400/220 केवी जयपुर दक्षिण उपकेन्द्र में (फीडर एससीजेड और फीडर दूनी) 220 केवी लाइन के बेज के 2 नंबर आस्ति–3: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए उत्तरी क्षेत्र में में ''उत्तरी क्षेत्र पारेषण सुदृढ़ीकरण योजना'' के अधीन पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	28-9-2017	पारेषण टैरिफ
151.	206/टीटी/2016	19 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: 400 केवी सुभाषग्राम उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन बेज के 2 नंबर और संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी सुभाषग्राम उपकेन्द्र में 1 नंबर 1x500 MVA ICT आस्ति–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पूर्वी क्षेत्र में ''पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना -VIII** के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन 400 केवी पटना डीसी के बलिया में 400 केवी खलगांव/बड़ पटना डीसी लाइन के पटना से 2x50 MVAR लाइन रिएक्टर के स्थानांतरण के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	29-9-2017	पारेषण टैरिफ
152.	224/जीटी/2015	5 अक्टूबर, 2015	दामोदर घाटी निगम	31.3.2016 से 31.3.2019 तक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, फेज–1, यूनिट–1 और 2 (1200 मेगावाट) के लिए टैरिफ के लिए याचिका	28-9-2017	उत्पादन टैरिफ
153.	31/आरपी/2017 3 याचिका सं. 13/टीटी/2015 में	28 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 313/टीटी/2015 में 23.5.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	28-9-2017	पुनरीक्षण याचिका
154.	याचिका सं. 562/टीटी/2014 में 30/आरपी/2017	28 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 562/टीटी/2014 में 15.3.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	28-9-2017	पुनरीक्षण याचिका

155.	याचिका सं. 346/जीटी/2014 में 21/आरपी/2017	16 मई, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 346/जीटी/2014 में 15.3.2017 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	29-9-2017	पुनरीक्षण याचिका
156.	186/एमपी/2016	28 सितंबर, 2016	नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	यूआई प्रभारों के भुगतान के लिए और विनिर्दिष्ट समय के अन्दर सामूहिक संव्यवहारों के लिए कम निकासी के लिए यूआई खाते की तैयारी के लिए निर्देशों की मांग करते हुए राज्य ग्रिड कोड के विनियम 4.2 और आरईआरसी (अंतःराज्यिक एबीटी) विनियम 2006 के विनियम 4 के साथ पठित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के विनियम 20 और 26 के साथ पठित धारा 79 (1)(एच) और (1)(सी) के अधीन याचिका	29-9-2017	विविध याचिका
157.	15/एमपी/2016	1 फरवरी, 2016	राजस्थान स्टील चौंबर	यूआई प्रभारों के भुगतान के लिए और विनिर्दिष्ट समय के अन्दर सामूहिक संव्यवहारों के लिए कम निकासी के लिए यूआई खाते की तैयारी के लिए निर्देशों की मांग करते हुए राज्य ग्रिड कोड के विनियम 4.2 और आरईआरसी (अंतःराज्यिक एबीटी) विनियम 2006 के विनियम 4 के साथ पठित केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के विनियम 20 और 26 के साथ पठित धारा 79 (1)(एच) और (1)(सी) के अधीन याचिका	29-9-2017	विविध याचिका
158.	28/एमपी/2017	1 मार्च, 2017	मारुति क्लीन कोल एंड पावर लिमिटेड	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम 2012 के विनियम 2(एल)(i) के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और 115 के साथ केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 18 और 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79 (1)(के) और (1)(सी) के अधीन याचिका	29-9-2017	विविध याचिका
159.	14/एस एम/2017	28 सितंबर, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	अक्टूबर 2017 और मार्च 2018 के बीच समाप्ति के कारण नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की वैधता का विस्तार	29-9-2017	स्वप्रेरणा याचिका
160.	259/2010	16 सितंबर, 2010	एवरेस्ट पावर प्राइवेट लिमिटेड	प्रत्यर्थी को उपयुक्त/आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 60 के अधीन याचिका	29-9-2017	विविध याचिका
161.	188/एमपी/2015	23 जुलाई, 2015	सरडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड	पार्टियों के बीच नि पादित 14.3.2012 के प्रणाली सुदृढ़ीकरण (करार) सहित दीर्घकालिक पहुंच के लिए करार के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्यर्थी की भूलचूक और यादृच्छिक कार्य के विरुद्ध केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले)	29-9-2017	विविध याचिका

				विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा के अन्य लागू उपबंधों और धारा 79 (1)(एफ) और (1)(सी) के अधीन याचिका		
162.	याचिका सं. 283/जीटी/2014 में 13/आरपी/2017	17 अप्रैल, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 283/जीटी/2014 में 21.1.2017 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	26-9-2017	पुनरीक्षण याचिका
163.	32/एमपी/2017	2 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 और केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) और (1)(सी) के अधीन याचिका	26-9-2017	विविध याचिका
164.	154/टीडी/2017	26 जुलाई, 2017	जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड	जिन्दल पॉली फिल्मस लि. को अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए याचिका	20-9-2017	व्यापार अनुज्ञप्ति
165.	125/टीटी/2016	1 अगस्त, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: केन्द्रीय सेक्टर भाग (2186.339 km) और आस्ति–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संप्रेषण प्रणाली की स्थापना के लिए बीबीएमबी (208.438 km) के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22-9-2017	पारेषण टैरिफ
166.	130/एमपी/2015	7 मई, 2015	ग्रिडको लिमिटेड	बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–II (660 MW) और परिणामी निर्देशों के लिए यूनिट–4 के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के उपबंधों के कार्यान्वयन/प्रवर्तन के लिए याचिका	20-9-2017	विविध याचिका
167.	55/एमपी/2015	2 फरवरी, 2015	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड	केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विनियम 18 के अधीन 13.5.2010 के बल्क विद्युत पारेषण करार के अधीन दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के अधित्याग के लिए याचिका	20-9-2017	विविध याचिका

168.	227/टीटी/2014	24 अगस्त, 2014	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: 765 केवी जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र (765 केवी एससी जबलपुर–भोपाललाइन के लिए) में 765 केवी लाइन बेज और 3'80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर, आस्ति–2: 765 केवी इंदौर एसएस (765 केवी एससी भोपाल–इंदौर लाइन के लिए) में 765 केवी लाइन बेज और 3*80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और आस्ति–3: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए ''पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबद्ध पावरग्रिड उपकेन्द्र में रिएक्टर उपबंध और लाइन बेज'' के अधीन 765 केवी एससी लाइन बे के लिए 765 केवी ओरंगाबाद उपकेन्द्र के विस्तार के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	20-9-2017	पारेषण टैरिफ
169.	278/टीटी/2015	5 नवंबर, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, के विनियम 86 के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पूर्वी क्षेत्र में ''पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना-III'' के अधीन आस्ति (11 नंबर) के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	20-9-2017	पारेषण टैरिफ
170.	272/टीटी/2015	3 नवंबर, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	(क) सहारनपुर उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन बेज 3 नंबर और सबद्ध बेज और 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी–I (ख) सहारनपुर उपकेन्द्र में 220 केवी लाइन बेज 3 नंबर और सबद्ध बेज और 315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी–II (ग) सहारनपुर उपकेन्द्र में 50 एमवीए 400 केवी बस रिएक्टर–I और (घ) केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए उत्तरी क्षेत्र में ''उत्तरी क्षेत्र पारेषण सुदृढ़ीकरण योजना'' के अधीन सहारनपुर उपकेन्द्र में 50 एमवीए, 400 केवी बस रिएक्टर. II के लिए लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	20-9-2017	पारेषण टैरिफ

171.	235/टीटी/2016	19 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक दक्षिण क्षेत्र में ''तूतीकोरिन एरिया–पार्ट–बी में कोस्टल एनरजन प्रा. लि. एवं इण्ड–भारत पावर (मद्रास) लि. एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध सामान्य प्रणाली से संबद्ध पारेषण प्रणाली'' के अधीन सलेम पूलिंग स्टेशन 765 केवी डीसी लाइन (400 केवी पर प्रारंभिक प्रभार) (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीखः 13.11.2016)– तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन के दोनों सर्किट के प्रत्येक अंत में और 80 एमवीएआर लाइन रिएक्टर और सलेम पीएस में वे विस्तार के साथ (400 केवी पर प्रारंभिक प्रभार) सलेम पूलिंग स्टेशन 765 केवी डीसी लाइन –तूतीकोरिन पूलिंग स्टेशन के पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	19-9-2017	पारेषण टैरिफ
172.	233/टीटी/2016	18 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1ः जीरत में मौजूदा बस रिएक्टर के समानांतर में बस रिएक्अर के रूप में (वर्तमान में जीरत में 400 केवी ब्रहमपुर–जीरत टीएल की स्थापना) 50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर का रूपांतरण आस्ति–2ः जीआईएस बेज के साथ मैथॉन उपकेन्द्र में 01 नंबर 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की स्थापना आस्ति–3ः किशनगंज उपकेन्द्र में 4 नंबर 220 केवी जीआईएस लाइन बेज और आस्ति–4: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक पूर्वी क्षेत्र में ERSS XII परियोजना के अधीन जीआईएस बेज के साथ 220/132 केवी सिलिगुड़ी उपकेन्द्र में 132 केवी बस के प्रबंध में बदलाव और संबद्ध बेज के साथ फरक्का में इसकी स्थापना और पुसोली से 1X315 एमवीए आईसी का स्थानांतरण, 220/132 केवी पुर्निया उपकेन्द्र में जीआईएस बेज के साथ 132 केवी बस के प्रबंध में बदलाव(संबद्ध बेज सहित 3तक ICT के रूप में 400/220 केवी जमशेदपुर उपकेन्द्र में इसकी स्थापना और पटना (1X500 MVA ICT के स्थानांतरण के बाद) से 1X315 MVA, 400/220 kV ICT के स्थानांतरण के पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	19-9-2017	पारेषण टैरिफ

173.	12/आरपी/2017 याचिका संख्या एमपी/449/2014, 167/एमपी/2015 में	10 अप्रैल, 2017	मालाना पावर कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 449/एमपी/2014 और 167/एमपी/2015 में 10.3.2017 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	18-9-2017	पुनरीक्षण याचिका
174.	218/टीटी/2016	3 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन छत्तीसगढ़ (IPP-F) में आईपीपी परियोजना के लिए रायपुर–वर्धा कॉरिडोर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन 765 केवी रायपुर पूलिंग स्टेशन और वर्धा उपकेन्द्र में रायपुर पूलिंग स्टेशन–वर्धा 765 केवी डीसी द्वितीय लाइन के बे का विस्तार और उपकरण के लिए पारेषण टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	18-9-2017	पारेषण टैरिफ
175.	62/सांसद/2013	3 अप्रैल, 2013	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	प्रत्यर्थी नंबर 1 और याचिकाकर्ता के बीच विवाद के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	15-9-2017	विविध याचिका
176.	223/टीटी/2016	8 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक ''उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना. XXV'' के अधीन जयपुर (आरवीपीएलएल) के अंत में और 240 एमवीएआर (नॉल–स्विचेबल) लाइन रिएक्टर और भिवानी के अंत में संबद्ध बेज और 240 एमवीएआर (नॉल–स्विचेबल) लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी एस जयपुर–भिवानी पारेषण लाइन दूसरा सर्किट के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	7-9-2017	पारेषण टैरिफ
177.	174/एमपी/2016	12 सितंबर, 2016	ईस्ट नॉर्थ इंटरकनेक्शन कंपनी लिमिटेड	अप्रत्याशित घटनाओं और कानून में बदलाव के पारेषा प्रभारों में वृद्धि की मात्रा के अनुमोदन के लिए पारेषण सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित टैरिफ के लिए सांविधिक ढांचे के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 और 79 के अधीन याचिका	13-9-2017	विविध याचिका
178.	9/एमपी/2017	1 फरवरी, 2017	सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ऊर्जा के 21 मेगावाट स्व–उपभोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र के अनुसार याचिकर्ता को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को निर्देशों की मांग करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (एल)(के) और 66 के साथ पठित केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 14 के अधीन याचिका	13-9-2017	विविध याचिका

179.	180/एमपी/2016	20 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 3.3.2016 के आदेश और पार्टियों के बीच 15.3.2002 को हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति समझौते के स्थान पर बड़ उत्पादन से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए आईईडीसी प्रभारों को अदा/वहन करने के लिए एनटीपीसी लि. के विरुद्ध केविविआ से निर्देशों की मांग करते हुए याचिका	13-9-2017	विविध याचिका
180.	96/टीटी/2017	8 मई, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: रायगढ़ पीएस (नजदीक कोटरा) रायगढ़ पीएस (नजदीक तमनार) 765 केवी डबल सर्किट पारेषण लाइन संबद्ध बेज सहित आस्ति–2 क: संबद्ध बेज सहित 765/400केवी 1500 एमवीए आईटी–1 आस्ति –2 (ख) याचिका सं. 307 / टीटी / 2013 के अधीन आस्तियों के एवं बेज सहित रायगढ़ (नजदीक तमनार) में 765 केवी 240 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–1 एवं 2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सेट बी में आईपीपी उत्पादन परियोजना के लिए संबद्ध बेज सहित रायगढ़ पीएस नजदीक तमनार में 765 400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी–3 केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	11-9-2017	पारेषण टैरिफ
181.	86/टीटी/2017	25 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र (न्यू) और आस्ति–2: याचिका सं. 303/टीटी/2013 में 29.1.2016 के आदेश में कवर संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी (क्वेद) जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र (न्यू) जबलपुर (मौजूदा) उपकेन्द्र पारेषण लाइन आस्ति–3: जबलपुर 765/400 केवी पीएस में संबद्ध बेज सहित 400 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर–1 आस्ति–4 केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन पश्चिमी क्षेत्र में ''उड़ीसा भाग ख में फेज 1 उत्पादन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली'' के अधीन याचिका सं. 48/टीटी/2014 में 18.3.2016 के आदेश में कवर जबलपुर में संबद्ध बेज 765/400 केवी पूलिंग उपकेन्द्र से संबद्ध 765 केवी 3गुणा80 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	7-9-2017	पारेषण टैरिफ

182.	131/एमपी/2017	28 जून, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	(i) केविविआ (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी के लिए अन्तरराज्यिक पारेषण योजना के कार्यनि पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2010 (पप) केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 और 114 (iii) तुमकुर (पवगाडा) कर्नाटक में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (अतिरिक्त स्कोप) के लिए पारेषण प्रणाली के नि पादन के लिए विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के साथ धारा 79(1)(सी) और धारा 79(1)(के) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2) के अधीन याचिका	7-9-2017	विविध याचिका
183.	213/टीटी/2016	28 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक ''उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना. XXV'' के अधीन जयपुर (आरवीपीएनएल) में संबद्ध बेज और 240 एमवीएआर (गैर स्विचेबल) लाइन रिएक्टर और भिवानी में संबद्ध बेज और 240 एमवीएआर (गैर स्विचेबल) लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी एससी जयपुर (आरवीपीएन) भिवानी पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	7-9-2017	पारेषण टैरिफ
184.	40/टीटी/2017	10 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित सिपत सियोनी सीकेटी–2 के लीलो सहित 765/400 केवी बिलासपुर पूलिंग स्टेशन (नजदीक सिपत) का विस्तार आस्ति–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन, पश्चिमी क्षेत्र में डब्ल्यूआरएसएस XI योजना के अधीन बिलासपुर पूलिंग स्टेशन में 765/400 kV, 1500MVA ICT-3 की स्थापना के लिए 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	7-9-2017	पारेषण टैरिफ

185.	207/टीटी/2016	19 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–एः रायगढ़ उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 1.8.2014) में 420 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर आस्ति–खः शोलापुर उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 26.11.2014) में 420 केवी 80 एमवीएआर स्विचेबल बस लाइन रिएक्टर आस्ति–गः केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पश्चिमी क्षेत्र में ''पश्चिमी क्षेत्र में रिएक्टर के स्थापन्न'' के अधीन ओरंगाबाद उपकेन्द्र (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 30.4.2014) में 420 केवी 125 एमवीएआर बस रिएक्टर के पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	6-9-2017	पारेषण टैरिफ
186.	11/एस एम/2017	14 जुलाई, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	राष्ट्रीय स्तर पर औसत विद्युत क्रय लागत की गणना	31-8-2017	स्वप्रेरणा याचिका
187.	209/टीटी/2016	19 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–6 के अधीन मुजफ्फरपुर (पीजी) दरभंगा टीबीसीबी 400 केवी डीसी (ट्रिपल स्नोबर्ड) लाइन के समाप्ति के लिए मुजफ्फरपुर उपकेन्द्र में 2 नंबर 400 केवी लाइन बेज की पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	1-9-2017	पारेषण टैरिफ
188.	याचिका सं. 293/जीटी/2014 में 14/आरपी/2017	17 अप्रैल, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 293/जीटी/2014 में 16.2.2017 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	31-8-2017	पुनरीक्षण याचिका
189.	28/एमपी/2016	19 फरवरी, 2016	मैथन पावर लिमिटेड	मैथॉन पावर लि. जैसे अंतरराज्यिक उत्पादन केन्द्र के लिए उपलब्धता की संगणना की पद्धति पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए जिसके लिए क्षमता मेगावाट आधार पर की गई उसके लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के अधीन याचिका	31-8-2017	विविध याचिका

190.	141/एमपी/2016	23 अगस्त, 2016	तटीय गुजरात पावर लिमिटेड	निर्माध अवधि के दौरान विधि घटनाओं में परिवर्तन के कारण मुन्दा यूएमपीपी पूंजी लागत में वृद्धि के परिणामतः टैरिफ में वृद्धि की मांग करते हुए दिनांक 22.4.2007 के पीपीए के अनुच्छेद 13 और 17 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	31-8-2017	विविध याचिका
191.	67/टीटी/2015	9 फरवरी, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1:एचवीडीसी भाग और समन्वित और आस्ति–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए उत्तर पूर्व, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में ''उत्तर पूर्व–उत्तरी / पश्चिमी इन्टरकनेक्टर – 1 प्रोजेक्ट'' के अधीन एसी भाग के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	31-8-2017	पारेषण टैरिफ
192.	41/टीटी/2017	10 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–20 के अधीन हमीरपुर जीआईएसएस उपकेन्द्र में संबद्ध बेज और लाइन रिएक्टर के साथ हमीरपुर में 400 केवी डीसी पारबती–अमृतसर टीएल के 1 सर्किट के लीलो और जीआईएस हमीरपुर उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी 80 एमवीएआर बस रिएक्टर एवं हमीरपुर जीआईएस उपकेन्द्र में 400/220 केवी 315 एमवीएआर आईसीटी–1 समन्वित आस्तियों के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 टैरिफ अवधि के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	30-8-2017	पारेषण टैरिफ

193.	42/टीटी/2017	10 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1 (क): 1x80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ बिहारशरीफ उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज (400 केवी डीसी पुरनिया बिहारशरीफ पारेषण लाइन) आस्ति–1 (ख): 1x80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन (बिहारशरीफ उपकेन्द्र में) आस्ति–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र द्वारा एनईआर/ईआर अधिशेष विद्युत के आयात के लिए पारेषण योजनाओं (पूर्वी क्षेत्र में) के अधीन पुरनिया उपकेन्द्र में 400 केवी लाइन बेज (400 केवी डीसी पुरनिया बिहारशरीफ पारेषण लाइन के लिए) के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अधीन 2014–19 टैरिफ अवधि के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका 2014–19 टैरिफ अवधि के अवधारण और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 के विनियम 6 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	29-8-2017	पारेषण टैरिफ
194.	205/टीटी/2016	19 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.3.2019 तक ''झारखण्ड और पश्चिम बंगाल पार्ट–बी में फेज–1 उत्पादन परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली'' के अधीन वाराणसी जीआईएस उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400 केवी डीसी (क्वेद) सारनाथ–वाराणसी पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के लिए याचिका	30-8-2017	पारेषण टैरिफ
195.	याचिका सं. 59/एमपी/2015 में 21/आरपी/2016	4 मई, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 59/एमपी/2015 में 15.2.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	29-8-2017	पुनरीक्षण याचिका
196.	177/एमपी/2017	21 अगस्त, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	आंरभिक सिंक्रॉनाइजेशन से 6 महीने के आगे टीपीपी (3X250 MW) बोंगेगावं के यूनिट 2 के निरीक्षण के लिए विद्युत के अंतः परिवर्तन की अवधि के विस्तार की मांग करते हुए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	25-8-2017	विविध याचिका

197.	242/एमपी/2016	28 नवंबर, 2016	उडुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पीजीसीआईएल द्वारा अक्टूबर, 2016 माह के लिए दिनांक 8.11.2016 के पीओसी प्रभारों के लिए गलत और अनुचित को चुनौति देते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(एफ) क अधीन याचिका	23-8-2017	विविध याचिका
198.	46/टीटी/2017	10 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन ''पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच अंतःपरिवर्तन के लिए रायचूर–शोलापुर पारेषण लाइन के लिए पावरग्रिड उपकेन्द्र में लाइन बेज और रिएक्टर'' के अधीन रायचूर और शोलापुर उपकेन्द्र में 765 केवी लाइन बेज और 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	22-8-2017	पारेषण टैरिफ
199.	172/एमपी/2017	16 अगस्त, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से छः माह से आगे कुडगी एसटीपीपी स्टेज–1 (3X800 MW) के यूनिट–2 के ट्रायल रन प्रचालन और पूर्ण भार परीक्षण सहित फुल लोड परीक्षण के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	18-8-2017	विविध याचिका
200.	151/एमपी/2017	22 जुलाई, 2017	एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	(i)जालंधर सांभा 400 केवी डीसी लाइन, (ii)अमरगढ़ में उरी–वगरूआ 400 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का लीलो (मल्टी–सर्किट टावर पर) (iii) अखनूर–राजौरी के माध्यम से सांभा–अमरगढ़ 400 केवी डी/सी रुटिड (iv)अमरगढ़ में 400/220 केवी जीआईएस उपकेन्द्र सहित, 7x105 MVA (1 ph units) के उपकेन्द्र की स्थापना, अर्थात् पारेषण लाइनों के लिए परियोजना आस्तियों तथा बंधक संपत्तियों के विनिर्देशन/बंधक/दृष्टिबंधक के जरिए भावी पुनरवृत्त संव्यवहारों के लिए अन्य प्रतिभूति सृजनकारी दस्तावेजों/वित्तीय करारों के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनकी ओर से परियोजना के लिए किसी पुनरवृत्त ऋणदाता के परवर्ती अंतरितियों के लिए प्रतिभूति निकासी/ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अनुमोदन के लिए याचिका	16-8-2017	विविध याचिका

201.	178/एमपी/2016	20 सितंबर, 2016	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच प्रविष्ट 26.2.2014 के विद्युत क्रय करार के अधीन उदभुत विवादों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 1एफ के साथ पठित धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	9-8-2017	विविध याचिका
202.	138/एमपी/2017	4 जुलाई, 2017	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	आरएपीपी सुजालपुर 400 केवी डीसी लाइन अर्थात् पारेषण लाइन के लिए परियोजना आस्तियों तथा बंधक संपत्तियों के विनिर्देशन/बंधक/दृष्टिबंधक के जरिए भावी पुनरवृत्त संव्यवहारों के लिए अन्य प्रतिभूति सृजनकारी दस्तावेजों/वित्तीय करारों के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनकी ओर से परियोजना के लिए किसी पुनरवृत्त ऋणदाता के परवर्ती अंतरितियों के लिए प्रतिभूति निकासी/ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अनुमोदन के लिए याचिका	9-8-2017	विविध याचिका
203.	31/एमपी/2017	1 मार्च, 2017	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्स	क्रमशः याचिकाकर्ता के पक्ष में पश्चिमी क्षेत्र पारेषण (गुजरात) प्रा. लि. के नाम में अनुज्ञप्ति संख्या 7/पारेषण/केविविआ और पश्चिमी क्षेत्र पारेषण (महाराष्ट्र) प्रा. लि. के नाम में अनुज्ञप्ति संख्या 6/पारेषण/केविविआ के अधीन पूर्व याचिका स. 1/रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि. और याचिकाकर्ता नं. 3 पश्चिमी ट्रांसमिशन (गुजरात) लि. के पारेषण कारोबार/आस्तियों को शामिल करते हुए अनुज्ञप्ति के समानुदेश और कंपनी के अंतरण के लिए अनुमति हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) के अधीन याचिका	7-8-2017	विविध याचिका

204.	10/एमपी/2017	1 फरवरी, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 83/टीटी/2012 में दिनांक 21.6.2013 के आदेश के अनुपालन के निर्देश के लिए और आयोग के आदेश का उल्लंघन प्रत्यर्थियों ने किया है। इसके अनुपालन के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 24 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 में धारा 79 (1) (बी), (सी), (एफ) और (के) के अधीन याचिका	3-8-2017	विविध याचिका
205.	2/एमपी/2017	10 जनवरी, 2017	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2010 के विनियम 15 के अधीन याचिका	2-8-2017	विविध याचिका
206.	52/एमपी/2017	28 मार्च, 2017	उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 तक के लिए एनआरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015.16 के लिए एनआरएलडीसी के लिए कार्यनि पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 (4) के अधीन याचिका	27-7-2017	विविध याचिका
207.	याचिका सं. 534/टीटी/2014 में 37/आरपी/2016	19 अगस्त, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 534/टीटी/2014 में 12.5.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	31-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
208.	50/एमपी/2017	27 मार्च, 2017	नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (पीओएसओसीओ)	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 तक के लिए एनएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015.16 के लिए एनएलडीसी के लिए कार्यनि पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 (4) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
209.	54/एमपी/2017	28 मार्च, 2017	दक्षिणी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 तक के लिए एसआरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एसआरएलडीसी के लिए कार्यनि पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 (4) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका

210.	65/एमपी/2017	7 अप्रैल, 2017	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 तक के लिए एनईआरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए एनईआरएलडीसी के लिए कार्यनि पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 (4) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
211.	84/एमपी/2015	4 मार्च, 2015	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 24 और 111 के साथ भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के विनियम 5.2 (f), (g), (h), (i) के गैर–अनुपालन और उत्पादकों द्वारा मैन्युअल हस्तक्षेप के साथ निःशुल्क गवर्नर मोड प्रचालन के अपर्याप्त/गैर अनुपालन द्वारा ऑल इण्डिया इलेक्ट्रिक ग्रिड के सुरक्षित ग्रिड प्रचालन के लिए याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
212.	187/एमपी/2016	30 सितंबर, 2016	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	भारतीय ऊर्जा विनिमय लि. में ग्रीन पावर (नवीकरणीय ऊर्जा) अनुबंध की शुरूआत के अनुमोदन के लिए केविविआ (पावर मार्केट) विनियम 2010 के विनियम 7 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
213.	228/एमपी/2016	18 नवंबर, 2016	ओसीएल इंडिया लिमिटेड	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) 2008 के विनियम 8 और 26 के साथ पठित धारा 79(1)(सी) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
214.	152/एमपी/2017	25 जुलाई, 2017	एसकेएस बिजली उत्पादन (छत्तीसगढ़) सीमित है	31.1.2017 से 31.7.2017 तक 6 महीने से आगे बिंजकोटे टीपीपी एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़ लि. के) (4X300MW) के प्रथम यूनिट (Unit #2 (300 MW) के पूर्ण भार परिक्षण सहित आरंभ व परिक्षण के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार के लिए अनुमति की मांग करते हुए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पाहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका

215.	154/एमपी/2015	4 जून, 2015	अदानी पावर लिमिटेड	अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व अदानी पावर लि. द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत के भुगतान के संबंध में अदानी पावर लि. और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. के बीच विवादों के अधिनिर्णय की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
216.	147/एमपी/2017	20 जुलाई, 2017	एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड	31.7.2017 से 31.12.2017 तक 6 महीने से आगे बिंजकोटे टीपीपी एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़ लि. के) (4 X 300MW) के द्वितीय यूनिट (Unit 1) (300 MW) के पूर्ण भार परीक्षण सहित आरंभ व परीक्षण के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार के लिए अनुमति मांगते करते हुए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
217.	याचिका सं. 201/टीटी/2015 में 51/आरपी/2016	21 सितंबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 201/टीटी/2015 में 29.7.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	31-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
218.	याचिका सं. 134/टीटी/2015 में 56/आरपी/2016	17 अक्टूबर, 2016	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	याचिका सं. 134/टीटी/2015 में 19.9.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	31-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
219.	53/एमपी/2017	28 मार्च, 2017	पूर्वी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए आरएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आरएलडीसी के लिए कार्यनि पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28(4) के अधीन याचिका	31-7-2017	विविध याचिका
220.	51/एमपी/2017	27 मार्च, 2017	पश्चिमी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र	नियंत्रण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2019 के लिए एनएलडीसी प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2015.16 के लिए डब्ल्यूआरएलडीसी के लिए कार्यनि पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केविविआ (आरएलडीसी की फीस व प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2015 के विनियम 6 और विनियम 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन याचिका	26-7-2017	विविध याचिका

221.	10/आरपी/2016	29 फरवरी, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 381/एमपी/2014 में 9.2.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	25-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
222.	73/एमपी/2016	4 मई, 2016	मिलेनियम सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) 2008 के विनियम 8 और 26 के साथ पठित धारा 79(1)(सी) के अधीन याचिका	24-7-2017	विविध याचिका
223.	146/जीटी/2015	28 मई, 2015	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वाणिज्यिक प्रचालन की नियत तारीख से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए एनएलसी थर्मल पावर स्टेशन–2 में यूनिटों I & II (2 x 250 MW) के विस्तार पर आधारित	24-7-2017	उत्पादन टैरिफ
224.	210/टीटी/2016	19 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: चैबासा उपकेन्द्र में 1 x 63 MVAR (फिक्सड) लाइन रिएक्टर सहित 2 नंबर 400 केवी लाइन बेज सहित आस्ति–2: चैबासा उपकेन्द्र में 1 x 63 MVAR (फिक्सड) लाइन रिएक्टर आस्ति–3: रांची 765/400 केवी उपकेन्द्र में 2 x 50 MVAR (फिक्सड) लाइन रिएक्टर सहित 2 नंबर 400 केवी लाइन बेज सहित आस्ति–4: खड़गपुर उपकेन्द्र में 2 नंबर 400 केवी बेज और आस्ति–5: 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सृदृढ़ीकरण योजना टप् के अधीन पुरूलिया उपकेन्द्र में 2 नंबर 400 केवी बेज के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पूर्वी क्षेत्र के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	24-7-2017	पारेषण टैरिफ
225.	याचिका सं. 164/टीटी/2015 में 64/आरपी/2016	30 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 164/टीटी/2015 में 29.4.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	21-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
226.	348/जीटी/2014	28 सितंबर, 2014	दामोदर घाटी निगम	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट 3 और 4 (350 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	20-7-2017	उत्पादन टैरिफ
227.	याचिका सं. 334/जीटी/2014 में 62/आरपी/2016	26 नवंबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 334/जीटी/2014 में 26.9.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	20-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
228.	याचिका सं. 104/टीटी/2013 में 63/आरपी/2016	30 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 104/टीटी/2013 में 12.4.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	20-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
229.	293/एमपी/2015	16 नवंबर, 2015	जयप्रकाश पावर उद्यम सीमित है	जेपी नाइगिरी सुपर थर्मल पावर प्लांट को 775.5 मेगावाट दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच अस्थगित करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 18 और 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	19-7-2017	विविध याचिका

230.	याचिका सं. 416/टीटी/2014 में 1/आरपी/2017	23 जनवरी, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 416/टीटी/2014 में 22.8.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	18-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
231.	याचिका सं. 403/टीटी/2014 में 54/आरपी/2016	4 अक्टूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 403/टीटी/2014 में 19.7.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	18-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
232.	106/एमपी/2017	30 मई, 2017	खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड	(i) खरगौन टीपीपी में खण्डवा–राजगढ़ 400 केवी डीसी लाइन के सर्किट का लीलो, (ii) खरगौन टीपीपी स्विचयोर्ड–खण्डवा पूल 400 केवी डीसी (क्वेद) लाइन (iii) खण्डवा पूलइंदौर 765 केवी डीसी लाइन (iv) खण्डवा पूल–धुले 765 केवी डीसी लाइन (v) खण्डवा में 2x1500 MVA पूलिंग स्टेशन, 765/400 केवी की स्थापना (vi) मैसर्स भोपाल धुले पारेषण कंपनी लि. के धुले 765/400 केवी उपकेन्द्र में खण्डवा पूल–धुले 765 केवी डीसी के लिए 800 एनजीआर और इसकी सहायक 7 X 80 MVAR स्विचेबल लाइन रिएक्टर (अतिरिक्त के रूप में एक यूनिट) और 2 नंबर का 765 केवी लाइन बेज अर्थात् पारेषण लाइनों के लिए परियोजना आस्तियों तथा बंधक संपत्तियों के विनिर्देशन / बंधक/ दृष्टिबंधक के जरिए भावी पुनर्वित्त संव्यवहारों के लिए अन्य प्रतिभूति सृजनकारी दस्तावेजों / वित्तीय करारों के अनुसरण में ऋणदाताओं के लाभ के लिए और उनकी ओर से परियोजना के लिए किसी पुनर्वित्त ऋणदाता के परवर्ती अंतरितियों के लिए प्रतिभूति निकासी/ऋणदाता के पक्ष में प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और 17(4) के अनुमोदन के लिए याचिका	13-7-2017	विविध याचिका
233.	27/एमपी/2017	1 मार्च, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79 (1)(सी) दोहरा ईंधन गैस स्टेशन के लिए कार्यशील पूंजी में तरल ईंधन भंडारण की लागत की अनुमति के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के अधीन याचिका	13-7-2017	विविध याचिका
234.	2/एस एम/2017	1 मार्च, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	01 अप्रैल 2017 से लागू आरईसी ढांचे के लिए फोरबियरेन्स और फ्लोर प्राइस के अवधारण के लिए याचिका	14-7-2017	स्वप्रेरणा याचिका

235.	94/जीटी/2016	16 जून, 2016	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए उत्तर पूर्व इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. के अगरतला कंबाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट (135 MW) के टैरिफ के लिए याचिका	14-7-2017	उत्पादन टैरिफ
236.	277/जीटी/2014	10 सितंबर, 2014	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	2014–19 अवधि के लिए एनटीईसीएल – वैल्लूर थर्मल पावर परियोजना (3X500 MW) के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	11-7-2017	उत्पादन टैरिफ
237.	135/जीटी/2015	12 मई, 2015	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31.3.2019 तक यूनिट–1 और यूनिट–2 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की तारीख की अवधि के लिए एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. टीपीएस (1000 MW) आधारित कोयले के टैरिफ के लिए याचिका	11-7-2017	उत्पादन टैरिफ
238.	89/टी एल/2017	26 अप्रैल, 2017	कोहिमा–मारियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	कोहिमा–मरियानी पारेषा लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अधीन याचिका	10-7-2017	पारेषण अनुज्ञप्ति
239.	181/टीटी/2016	20 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र बस रिएक्टर (ग्रुप–II) से संबद्ध पारेषण प्रणाली की समन्वित आस्ति के लिए, 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 अवधि के लिए और 2009–14 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	11-7-2017	पारेषण टैरिफ
240.	याचिका सं. 305/टीटी/2013 में 40/आरपी/2016	29 अगस्त, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 305/टीटी/2013 में 17.3.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	11-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
241.	182/टीटी/2016	23 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–1: 765/400 केवी नेल्लोर पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित 240 एमवीएआर रिएक्टर और 1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसी 2 नंबर और आस्ति–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन दक्षिणी क्षेत्र में ''आंध्रप्रदेश के कृष्णापटनम क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजना से संबद्ध सामान्य प्रणाली'' के अधीन 765/400 केवी नेल्लोर पूलिंग स्टेशन में संबद्ध बेज सहित 240 एमवीएआर रिएक्टर और 1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसी 3 नंबर के लिए 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	10-7-2017	पारेषण टैरिफ

242.	165/टीटी/2016	1 सितंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन पूर्वी क्षेत्र में ''सिक्किम से एनआर/डब्ल्यूआर में उत्पादन परियोजना में पावर का ट्रांसफर'' के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन पटना उपकेन्द्र में संबद्ध बेज सहित 400/220 केवी 125 एमवीएआर, बस रिएक्टर के लिए 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 अवधि के लिए और 2009–14 अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	10-7-2017	पारेषण टैरिफ
243.	याचिका संख्या 207/जीटी/2013 और 260/जीटी/2014 में 20/आरपी/2016	28 अप्रैल, 2016	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	याचिका सं. 207/जीटी/2013 और 260/जीटी/2014 में 9.2.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	7-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
244.	103/एमपी/2017	25 मई, 2017	सिमपुरी एनर्जी लिमिटेड	दिनांक 24.2.2010 बल्क पावर पारेषण करार के अधीन 400 मेगावाट (दक्षिणी क्षेत्र) दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के कुल एलटीए मात्रा का 546 मेगावाट प्रदान करने के लिए पीओसी प्रभारों के भाग के आवंटन के भुगतान को निलंबित करने की मांग करते हुए केविविआ केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के अधीन विनियम 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) के साथ पठित धारा 79 (1)(के) और (1)(सी) के अधीन याचिका	6-7-2017	विविध याचिका
245.	90/एटी/2017	26 अप्रैल, 2017	कोहिमा–मारियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकार के लिए धारा 63 के अधीन याचिका	6-7-2017	टैरिफ अंगीकार
246.	याचिका सं. 46/जीटी/2015 में 9/आरपी/2016	25 फरवरी, 2016	उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	याचिका सं. 46/जीटी/2015 में 13.1.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	5-7-2017	पुनरीक्षण याचिका
247.	याचिका सं. 280/टीटी/2015 में 6/आरपी/2017	1 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 280/टीटी/2015 में 31.3.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	5-7-2017	पुनरीक्षण याचिका

248.	याचिका सं. 315/जीटी/2014 में 23/आरपी/2016	20 जून, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 315/जीटी/2014 में 21.12.2015 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	30-6-2017	पुनरीक्षण याचिका
249.	127/एमपी/2017	21 जून, 2017	एस्सार पावर एमपी सीमित	2 x 600 MW महान थर्मल पावर प्लांट ईपीएमपीएल विद्युत की निकासी के अनुसरण के लिए 400 केवी डीसी महान सिपत पारेषण लाइन के जुलाई 2017 से पूरा होने तक लीलो प्रबंध के इस्तेमाल/उपयोगिता को ईएमपीएल के समर्थन के अवधारण के लिए याचिका	30-6-2017	विविध याचिका
250.	5/एस एम/2017	17 अप्रैल, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ के अवधारण की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2017 विनियम 8 के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए स्तरीकृत सामान्य टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	1-6-2017	स्वप्रेरणा याचिका
251.	याचिका सं. 271/जीटी/2014 में 45/आरपी/2016	16 सितंबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 271/जीटी/2014 में 27.7.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	21-2-2016	पुनरीक्षण याचिका
252.	317/एमपी/2013	7 दिसंबर, 2013	नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड	बैंक गारंटी की वापसी और दिनांक 7.6.2010 बल्क पावर पारेषण करार के अधीन दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के अधित्याग के लिए याचिका	12-4-2017	विविध याचिका
253.	78/एमपी/2017	20 अप्रैल, 2017	वारंगल–कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	(i) परियोजना के गठन को याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित की जाने वाली सभी चल आस्तियों अचल आस्तियों की उपयोगिता सहित (ii) 06 जनवरी, 2016 को याचिकाकर्ता द्वारा नि पादित पारेषण सेवा करार ;पपपद्धदिनांक 29 सितंबर, 2016 ''वरौरा–वारंगल और चिलकालूरिपेता–हैदराबाद–कुरनुल 765 केवी लिंक'' अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र में आयात के लिए अतिरिक्त अंतःक्षेत्रीय एसी के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति (iv) वित्तिय दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार येस बैंक लि. के लाभ के लिए सुरक्षा प्रतिभूति के रूप में कार्य कर रहे आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिसेज लि. के पक्ष में अन्यों को शामिल करते हुए ''वरौरा–वारंगल और चिलकालूरिपेता–हैदराबाद–कुरनुल 765 केवी लिंक'' अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र में आयात के लिए अतिरिक्त अंतःप्रादेशिक एसी लिंक के संबंध में मौजूदा परियोजना दस्तावेज के अनुपूरक किसी संशोधन तक सीमित नहीं सहित सभी परियोजना दस्तावेज, नगदी फ्लो, प्राप्य, बैंक खाते, क्लियरेंस, अधिसूचनाएं, सरकारी अनुमोदन, आदेश (उनकी संबंधित उत्तराधिकारी, अंतरिती और समनुदेशन सहित) वरौरा–कुरनुल पारेषण लि. द्वारा सुरक्षा हित के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3)17(4) के अधीन अनुमोदन की मांग करते हुए याचिका	24-5-2017	विविध याचिका

254.	226/एमपी/2016	15 नवंबर, 2016	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनआर	(i) एलएण्डटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि. और (ii) महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–II के पैकेज बी के अनुसरण में, इन्डसइन्ड बैंक लि. के लाभ के लिए और उसके पक्ष में कार्य करते हुए प्रतिभूति न्यासी (याचिकाकर्ता सं. 3) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के नियुक्ति रिकॉर्ड के लिए और ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाताओं की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और (4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	2-5-2017	विविध याचिका
255.	58/आरपी/2016 में 291/जीटी/2014 में	19 अक्टूबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 291 / जीटी / 2014 में 23.8.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	6-4-2017	पुनरीक्षण याचिका
256.	64/एमपी/2017	7 अप्रैल, 2017	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	आरंभिक सिंक्रॉनाइजेशन से 6 महीने के आगे केबीयूएनएल के मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–2 (2 X 195 MW) के यूनिपट–1 और यूनिट–2 के पूर्ण भार ट्रायल प्रचालन सहित परीक्षण के लिए इनफर्म पावर के अंतक्षेपण और स्टार्टअप पावर की निकासी के लिए अवधि के विस्तार की अनुमति के लिए संशोधित के रूप में केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	11-4-2017	विविध याचिका
257.	227/एमपी/2016	18 नवंबर, 2016	कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी IV से श्रेणी III तक विद्युत में अन्तराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए याचिका	5-5-2017	विविध याचिका
258.	76/एमपी/2017	19 अप्रैल, 2017	एसकेएसपीवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड	31.1.2017 से 31.7.2017 तक 6 महीने से आगे बिंजकोटे टीपीपी एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़ लि. के) (4 X 300MW) के प्रथम यूनिट (Unit #2 (300 MW) के पूर्ण भार परिक्षण सहित आरंभ व परिक्षण के लिए स्टार्टअप पावर की निकासी और इनफर्म पावर के अंतक्षेपण के लिए अवधि के विस्तार के लिए अनुमति मांगते करते हुए केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना तथा संबंद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(के) के अधीन याचिका	1-5-2017	विविध याचिका

259.	202/टीडी/2016	19 अक्टूबर, 2016	एम्प्लस एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	एमप्लस एनर्जी सोल्यूशन प्रा. लि. को अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए याचिका	17-4-2017	व्यापार अनुज्ञप्ति
260.	7/एस एम/2017	9 मई, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	दो राज्यों को जोड़ने वाली अन्तराज्यिक पारेषण लाइन के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	12-5-2017	स्वप्रेरणा याचिका
261.	याचिका सं. 294/जीटी/2014 में 50/आरपी/2016	20 सितंबर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	याचिका सं. 294 / जीटी / 2014 में 29.7.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	1-5-2017	पुनरीक्षण याचिका
262.	67/एमपी/2017	10 अप्रैल, 2017	परबाती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और एनआर	(i) आईडीएफसी बैंक लि. और (ii) आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि. (पूर्व में आईडीएफसी इंफ्रा डेब्ट फंड लि. के रूप में अभिज्ञात) के लाभ के लिए और उनकी ओर से कार्य करते हुए आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लि., प्रतिभूति ट्रस्टी / याचिकाकर्ता संख्या 2 के नियुक्ति रिकॉर्ड के लिए और पारवती कोलदम पारेषण कंपनी लि. द्वारा प्रतिभूति ब्याज / ऋणदाताओं के लाभ के लिए परियोजना आस्ति के दृष्टिबंधक / समनुदेशन के माध्यम से रुपया सुविधा करार और अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुसरण में प्रतिभूति न्यासी / ऋणदाताओं के पक्ष में याचिकाकर्ता संख्या 1 के सभी चल और अचल आस्तियो पर प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और (4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	16-5-2017	विविध याचिका
263.	102/एमपी/2017	24 मई, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	प्रथम सिंक्रॉनाइजेशन की तारीख से छः माह से आगे कुडगी एसटीपीपी स्टेज–1 (3X800 MW) के यूनिट–I के ट्रायल रन प्रचालन और टेस्टिंग सहित फुल लोड टेस्टिंग के लिए विद्युत के अंतःपरिवर्तन की मांग करते हुए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका	30-5-2017	विविध याचिका
264.	49/एमपी/2017	27 मार्च, 2017	भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट (केकेएनपीपी–2) 2x1000 M के यूनिट–2 की वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा में अनुमानित देरी के लिए याचिका	19-4-2017	विविध याचिका

265.	130/जीटी/2016	4 अगस्त, 2016	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	याचिका सं. 18/आरपी/2015 में 14.3.2016 के आदेश और याचिका सं. 197/जीटी/2013 में 10.7.2015 के आदेश द्वारा अवधारित वार्षिक नियत प्रभारों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख यूनिट–1 और 2 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए ट्रूइंगअप के लिए नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. के बरसींगसर थर्मल पावर प्लांट (2X125 MW) पर आधारित सीएफबीसी के टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए याचिका	25-4-2017	उत्पादन टैरिफ
266.	99/एमपी/2016	4 जुलाई, 2016	एनएचपीसी लिमिटेड	105 मेगावाट लोकतक पावर स्टेशन के आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) और नवीनीकरण के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 15(1) के अधीन याचिका	2-5-2017	विविध याचिका
267.	30/एमपी/2017	1 मार्च, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 14 और 29(2) के अधीन थर्मल पावर प्लांटस में सीवेज वाटर के प्रयोग के कारण किए जाने वाले अतिरिक्त खर्चे की वसूली की अनुमति और विधि घटना में परिवर्तन के रूप में 28.1.2016 के टैरिफ पॉलिसी 2016 में खण्ड (6.2.5) की शुरूआत के बाद थर्मल पावर प्लांट में सीवेज वाटर के प्रयोग पर विचार करने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8(3)(ii) और 8 (7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ए) और 62(ए) के अधीन याचिका	5-5-2017	विविध याचिका
268.	याचिका सं. 198/जीटी/2013 में 28/आरपी/2016	28 जुलाई, 2016	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 198/जीटी/2013 में 8.2.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	18-4-2017	पुनरीक्षण याचिका
269.	15/एमपी/2017	7 फरवरी, 2017	जीएमआर राजामंड्री एनर्जी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	17-4-2017	विविध याचिका
270.	1/एस एम/2017	5 जनवरी, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (फीस का भुगतान) विनियम, 2012 का गैर–अनुपालन	5-1-2017	स्वप्रेरणा याचिका
271.	36/एमपी/2017	9 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र में 2015–19 के लिए वगूरा उपकेन्द्र में विशेष सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के नियोजन के लिए अतिरिक्त व्यय के प्रतिपूर्ति के लिए ''छूट की शक्ति'' और ''कठिनाई को दूर करने की शक्ति'' केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 54 और 55 के अधीन याचिका	31-5-2017	विविध याचिका

272.	45/जीटी/2016	10 मार्च, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2016 से 31.3.2019 तक बोंगेगांव थर्मल पावर स्टेशन यूनिट I (1 x 250 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	22-5-2017	उत्पादन टैरिफ
273.	17/एमपी/2017	9 फरवरी, 2017	अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड	अलीपुरद्वार पारेषण लि. के परियोजना के पुनर्वित्त या वित पोषण के संबंध में अन्य दस्तावेजों और प्रतिभूति के सृजन के दस्तावेजों के अनुमोदन के लिए और ऋणदाताओं की ओर से कार्य करने वाले प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में पारेषण अनुज्ञप्ति के समनुदेशन और अलीपुर पारेषण लि. की सभी चल और अचल आस्तियों पर दृष्टिबंधक, प्रभार या समनुदेशन द्वारा प्रतिभूति ब्याज के सृजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) और (4) के अधीन अनुमोदन के लिए याचिका	28-4-2017	विविध याचिका
274.	514/टीटी/2014	12 दिसंबर, 2014	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	आस्ति–1: 400 केवी डीसी सिलिगुड़ी – पुरनिया पारेषण लाइन और आस्ति–2: 400 केवी डीसी पुरनिया– मुजफ्फरपुर पारेषण लाइन और आस्ति–3: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली और तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, पूर्व–उत्तर इंटर–कनेक्टर से संबद्ध पूर्वी क्षेत्र में, 220 केवी डीसी मुजफ्फरपुर (पीजीसीआईएल) – मुजफ्फरपुर (बीएसइबी) पारेषण लाइन 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 टैरिफ अवधि में 2013–14 के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	20-4-2017	पारेषण टैरिफ
275.	516/टीटी/2014	11 दिसंबर, 2014	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	आस्ति–1: 400 केवी डीसी गोरखपुर – लखनऊ पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख: 1.8.2006) और आस्ती–2: केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999, केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2009 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 86 के अधीन उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली और तला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, पूर्व–उत्तर इंटर–कनेक्टर से संबद्ध उत्तरी क्षेत्र में, 400 केवी डीसी बरेली–मंडोला पारेषण लाइन (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख: 1.5.2006) 2014–19 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और 2009–14 टैरिफ अवधि में 2013–14 के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंगअप के लिए याचिका	18-4-2017	पारेषण टैरिफ

276.	373/जीटी/2014	28 सितंबर, 2014	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए फिरोज गांधी उनचार थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-III (210 MW) के टैरिफ के लिए याचिका	19-4-2017	उत्पादन टैरिफ
277.	330/जीटी/2014	21 सितंबर, 2014	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन (एनसीटीपीएस), स्टेज-I (840 MW) के टैरिफ के लिए याचिका	11-4-2017	उत्पादन टैरिफ
278.	325/जीटी/2014	21 सितंबर, 2014	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए गंधार गैस पावर स्टेशन (657.39 MW) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	10-4-2017	उत्पादन टैरिफ
279.	324/जीटी/2014	21 सितंबर, 2014	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज-II (2x490 MW) के टैरिफ के लिए याचिका	2-5-2017	उत्पादन टैरिफ
280.	288/जीटी/2014	19 अगस्त, 2014	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (BTPS) 705 MW (3 x 95 + 2 x 210) के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	12-4-2017	उत्पादन टैरिफ
281.	285/जीटी/2014	10 सितंबर, 2014	एनटीपीसी लिमिटेड	1.4.2014 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए ओरैया गैस पावर स्टेशन (663.36 MW) के टैरिफ के लिए याचिका	18-4-2017	उत्पादन टैरिफ
282.	255/जीटी/2014	26 अगस्त, 2014	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2014–19 अवधि के लिए एनएलसी बरसींगसर थर्मल पावर स्टेशन (2 x 125 MW) आधारित सीएफबीएस के के टैरिफ के लिए याचिका	3-5-2017	उत्पादन टैरिफ
283.	114/एमपी/2014	13 जून, 2014	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	दक्षिणी क्षेत्र XIII में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन मधुगिरी येलाहांका 400 केवी डी/सी (क्वेद) का निर्माण और दक्षिणी क्षेत्र ग्ग्ग् में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन 400/220 केवी येलाहांका उपकेन्द्र में नीलमंगला–हूडी 400 केवी एससी (क्वेद) का लीलो और 400/220 केवी येलाहांका उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित इस माननीय आयोग से निर्देशों की मांग करते हुए और विस्तृत याचिका के रूप में, क्षतिपूर्ति से संबंधित उठाए गए विवादों या मतभेद का फैसला करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67(4) और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 24 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 55 ''कठिनाई को दूर करने की शक्ति'' और विनियम 54 ''शिथिल करने की शक्ति'' के विनियम 54 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	18-4-2017	विविध याचिका

284.	83/सांसद/2014	12 मई, 2014	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	तिरुनवेली–मुवत्तपूजा (कोचीन) 400 केवी डीसी (क्वेद) पारेषण लाइन के इडोमोन–मुवत्तपूजा (कोचीन) 400 केवी डीसी लाइन खण्ड के निर्माण से संबंधित आयोग से निर्देशों की मांग की करते हुए याचिका के अनुसार क्षतिपूर्ति से संबंधित उठाए गए विवादों और मतभेद का फैसला करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67(4) और केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विनियम 24 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 55 ''कठिनाई को दूर की शक्ति'' और विनियम 54 ''शिथिल करने की शक्ति'' के विनियम 54 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	11-4-2017	विविध याचिका
285.	302/एमपी/2015	8 दिसंबर, 2015	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	केविविआ (विद्युत आपूर्ति विनियम) विनियम, 2010 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) और (1)(ए) के अधीन समान राहतों की मांग करते हुए और विवादों के अधिनिर्णय के लिए याचिका	17-4-2017	विविध याचिका
286.	301/एमपी/2015	8 दिसंबर, 2015	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	केविविआ (विद्युत आपूर्ति विनियम) विनियम, 2010 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(एफ) और (1)(ए) के अधीन समान राहतों की मांग करते हुए और विवादों के अधिनिर्णय के लिए याचिका	17-4-2017	विविध याचिका
287.	251/सांसद/2015	27 अक्टूबर, 2015	एनएचपीसी लिमिटेड	चमेरा–III पावर स्टेशन के संबंध में 2014–15 के दौरान उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए ऊर्जा उत्पादन में कमी के कारण कम वसूल किए गए ऊर्जा प्रभारों के पूर्ति के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 31(6) के अधीन याचिका	17-4-2017	विविध याचिका

288.	235/सांसद/2015	16 अक्टूबर, 2015	अदानी पावर लिमिटेड	प्रचालन अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. एवं अदानी पावर लि. के साथ अदानी पावर लि. द्वारा नि पादित 7.8.2008 के विद्युत क्रय करार और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. के साथ अदानी पावर लि. द्वारा नि पादित 2.2.2007 और 6.2.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	4-5-2017	विविध याचिका
289.	223/सांसद/2015	20 सितंबर, 2015	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	दिल्ली के एनसीटी में आपूर्ति के याचिकाकर्ता के लाइसेंस क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित में इन पीपीए याचिकाकर्ता के शेयर के उपभोक्ताओं के हित में इन पीपीए से याचिकाकर्ता के शेयर के पुनः आवंटन, अभ्यर्पण की मांग करते हुए विद्युत मंत्रालय को सावधिक सलाह के जारी करने की अनुरोध और केन्द्रों से विद्युत आवंटन के अभ्यर्पण की मांग करते हुए एनटीपीसी, एनएचपीसी और टीएचडीसी प्लांट की उच्च औसत पावर क्रय के कारण पीपीए की समाप्ति को शामिल करते हुए पार्टियों के बीच विवाद से संबंधित याचिका	18-4-2017	विविध याचिका
290.	72/एमपी/2017	11 अप्रैल, 2017	श्याम सिंधु पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	श्रेणी IV से श्रेणी III तक विद्युत में अन्तराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के उन्नयन के लिए याचिका	12-5-2017	विविध याचिका
291.	98/सांसद/2015	23 मई, 2015	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड	265.35 MW से 0 MW तक दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के अधित्याग के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच व संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम 2009 के विनियम 18 और 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(सी) के अधीन याचिका	27-4-2017	विविध याचिका
292.	166/एमपी/2015	30 जून, 2015	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2010 के विनियम 15(3) के अधीन जारी बीसीडी प्रक्रिया के अनुपालन में कमी और पीटीसी इण्डिया लि. को प्रदान की गई दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के उल्लंघन के अनुसरण में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आदेश जारी करने के लिए याचिका	11-4-2017	विविध याचिका
293.	112/सांसद/2015	8 जून, 2015	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड	प्रचालनकारी अवधि के दौरान राजस्व और लागतों के प्रभाव में विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि. और बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कं. लि. के बीच नि पादित 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13.2(ख) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाली सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	7-4-2017	विविध याचिका

294.	याचिका संख्या 127/टीटी/2014 में 61/आरपी/2016	19 नवंबर, 2016	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 127/टीटी/2014 में 29.7.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	29-6-2017	पुनरीक्षण याचिका
295.	9/एस एम/2017	2 जून, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र के क्षेत्र में लेखा परीक्षक के अनुपालन की नाम सूची	6-6-2017	स्वप्रेरणा याचिका
296.	4/एस एम/2017	30 मार्च, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	उत्तरी प्रादेशिक ग्रिड तथा अंतःसंबंध भारतीय ग्रिड की प्रतिभूति सुनिश्चित करने के लिए केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनिमय, 2010 के विनियम 5.2(एन) का गैर–अनुपालन	12-6-2017	स्वप्रेरणा याचिका
297.	82/टीडी/2017	24 अप्रैल, 2017	एट्रिया एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	अटरिया एनर्जी सर्विस प्रा. लि. को अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के याचिका	20-6-2017	व्यापार अनुज्ञप्ति
298.	80/टी एल/2017	24 अप्रैल, 2017	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनईआर–II पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अधीन याचिका	20-6-2017	पारेषण अनुज्ञप्ति
299.	83/टी एल/2017	24 अप्रैल, 2017	मेदिनीपुर–जेरेट ट्रांसमिशन लिमिटेड	मेदीनीपुर–जीरत पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 के अधीन याचिका	20-6-2017	पारेषण अनुज्ञप्ति
300.	243/एमपी/2016	2 दिसंबर, 2016	पश्चिमी क्षेत्रीय लोड Despatch केंद्र	यूआई और डीएसएम प्रभारों के गैर–भुगतान के लिए साखपत्र खोलने में चूक और वंदना विद्युत लि. द्वारा निकासी अनुसूची की अधिकता में विचलन प्रभार और अननुसूचित अंतःपरिवर्तन प्रभार, आरएलडीसी फीस व प्रभारों के भुगतान में विलंब	19-6-2017	विविध याचिका
301.	याचिका सं. 33/टीटी/2015 में 7/आरपी/2017	1 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	याचिका सं. 33/टीटी/2015 में 25.5.2016 के आदेश की पुनरीक्षण के लिए याचिका	16-6-2017	पुनरीक्षण याचिका
302.	77/आर सी/2017	20 अप्रैल, 2017	माई होम पावर प्राइवेट लिमिटेड	माई होम पावर लि. के अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के नाम के परिवर्तन के लिए विनियामक अनुपालन आवेदन	15-6-2017	विनियामक अनुपालन

303.	8/एस एम/2017	19 मई, 2017	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	केविविआ (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में संव्यवहार के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अधीन प्रतिदेय, फीस और प्रभारों के अवधारण का संशोधन	14-6-2017	स्वप्रेरणा याचिका
304.	84/एटी/2017	24 अप्रैल, 2017	मेदिनीपुर–जीरेट ट्रांसमिशन लिमिटेड	मेदीनीपुर–जीरत पारेषण लि. द्वारा स्थापित पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका	12-6-2017	अंगीकार टैरिफ
305.	81/एटी/2017	24 अप्रैल, 2017	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनईआर–II पारेषण लि. द्वारा स्थापित पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन याचिका	12-6-2017	टैरिफ अंगीकार

अनुबन्ध-II

एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2018 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2018 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी का कोयला आधारित थर्मल उत्पादनकारी स्टेशन			
क.	**पिट अहेड उत्पादनकारी स्टेशन**		
1	रिहंद एसटीपीएस(स्टे-I)	1000.00	01.01.1991
2	रिहंद एसटीपीएस(स्टे-II)	1000.00	01.04.2006
3	रिहंद एसटीपीएस(स्टे-III)	1000.00	27.03.2014
4	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-I)	1260.00	01.02.1992
5	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-II)	1000.00	01.10.2000
6	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-III)	1000.00	15.07.2007
7	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-IV)	1000.00	27.03.2014
8	विंध्याचल एसटीपीएस(स्टे-V)	500.00	30.10.2015
9	कोरबा एसटीपीएस(स्टे-I और II)	2100.00	01.06.1990
10	सिपत एसटीपीएस (स्टे-I)	1980.00	01.08.2013
11	सिपत एसटीपीएस (स्टे-II)	1000.00	01.01.2009
12	रामागुंडम एसटीपीएस(स्टे-I और II)	2100.00	01.04.1991
13	रामागुंडम एसटीपीएस(स्टे-III)	500.00	25.03.2005
14	तलचर टीपीएस	460.00	01.07.1997
15	तलचर एसटीपीएस (स्टे-I)	1000.00	01.07.1997
16	तलचर एसटीपीएस (स्टे-II)	2000.00	01.08.2005
17	कोरबा एसटीपीएस(स्टे-III)	500.00	21.03.2011
18	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	01.05.1988
	उप–जोड़	**21400.00**	

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2018 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
ख.	**गैर–पिट अहेड उत्पादनकारी स्टेशन**		
1	एफजीयूटीपीपी टीपीएस (स्टे-I)	420.00	13.2.1992 (अधिग्रहण की तारीख)
2	एफजीयूटीपीपी (स्टे-II)	420.00	01.01.2001
3	एफजीयूटीपीपी (स्टे-III)	210.00	01.01.2007
4	एफजीयूटीपीपी (स्टे-III)	500.00	30.09.2017
5	एनसीटीपी दादरी (स्टे-I)	840.00	01.12.1995
6	एनसीटीपी दादरी (स्टे-II)	980.00	30.07.2010
7	फरक्का एसटीपीएस(स्टे I और II)	1600.00	01.07.1996
8	फरक्का एसटीपीएस(स्टे-III)	500.00	04.04.2012
9	टांडा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (अधिग्रहण की तारीख)
10	बदरपुर टीपीएस	705.00	01.04.1982
11	कहलगांव एसटीपीएस (स्टे-I)	840.00	01.08.1996
12	कहलगांव एसटीपीएस (स्टे-II)	1500.00	20.03.2010
13	सिम्हाद्री (स्टे-I)	1000.00	01.03.2003
14	सिम्हाद्री (स्टे-II)	1000.00	30.09.2012
15	मौदा-I	1000.00	30.3.2014
16	मौदा एसटीपीएस	1320.00	01.02.2017
17	बड़ (स्टे-II)	1320.00	18.02.2016
18	कुडगी यूनिट I	800.00	25.12.2016
19	कुडगी यूनिट II	800.00	01.03.2017
20	बोगेंगांव	500.00	01.03.2017
21	सोलापुर एसटीपीएस	660.00	25.09.2017
	उप.जोड़	**17355.00**	
	कुल एनटीपीसी कोयला (ए+बी)	**38755.00**	

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2018 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
	एनटीपीसी का गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन		
1.	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2.	फरीदाबाद	431.00	01.01.2001
3.	अंटा सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4.	ओरय्या जीपीएस	663.36	01.12.1990
5.	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6.	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7.	कयामकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
	कुल एनटीपीसी (गैस)	**4017.23**	
	कुल एनटीपीसी (कोयला+गैस)	**42772.23**	

अनुबन्ध-III

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2018 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2018 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस-I	600	21.02.1970
2.	टीपीएस-II (स्टे-I)	630	23.04.1988
3.	टीपीएस-II (स्टे-II)	840	09.04.1994
4.	टीपीएस-I (विस्तार)	420	05.09.2003
5.	टीपीएस बरसिंगर आधारित सीएफबीसी	250	21.01.2012
6.	टीपीएस - II एक्सपेंसन (यूनिट I और II)	(2 X 250)=500	U-I जुलाई 2015 U-II अप्रैल 2015
	कुल लिग्नाइट	**3240**	

अनुबन्ध-IV

दामोदर वैली कारपोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2018 को संस्थापित क्षमता

उत्पादन केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ
	थर्मल	
बोकारो 'बी' टीपीएस	(3 X 210) = 630	U-I मार्च 86, U-II नवम्बर 90, U-III अगस्त 93
बोकारो 'ए' टीपीएस	(1 X 500) = 500	फरवरी 2017
चन्द्रपुरा टीपीएस	(2 X 130) + (2 X 250) = 760	U-II मई 65 U-III जुलाई 68, U-VII नवम्बर 11 U-VIII जुलाई 11
दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 210) + (1 X 210 MW) = 350	U-IV सितम्बर 82
मेजिआ टीपीएस	(210 X4) + (250 X2) + (500 X2) = 2340	U-I मार्च 96, U-II मार्च 98 U-III सितम्बर 99, U-IV फरवरी 05 U-V फरवरी 08, U-VI सितम्बर 08 U-VII अगस्त 11, U-VIII अगस्त 12
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	U-I मई 12, U-II मार्च 13
कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) = 1000 IInd unit commissioned during 2014-15	U-I जुलाई 13, U-II जुन, 2014
रंगनाथपुर टीपीएस	(2 X 600) = 1200	मार्च 16, मार्च 16
कुल थर्मल	**7640**	

अनुबन्ध-V

नीपको के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2018 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2018 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	
1.	अगरत्तला जीपीएस	84 (21 *4) गैस टर्बाइन	01.08.1998	
		51 (25.5 *2) स्टीम टर्बाइन	01.09.2015	
2.	असम जीपीएस	291	01.04.1999	
3.	त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट	101 (1 X 65.42 MW) गैस टर्बाइन और (1 X 35.58 MW) स्टीम टर्बाइन=101	गैस टर्बाइन (65.42 MW)	24.12.2015
			स्टीम टर्बाइन (35.58 MW)	31.03.2017
	कुल	**527.00**		

अनुबन्ध-VI

थर्मल पावर स्टेशनों का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए औसत टैरिफ ब्रेक–अप रिपोर्ट – स्टेशन – कोयला						
क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2018 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रूपये/किलोवाट घण्टा)	ईसी (रूपये/किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये/किलोवाट घण्टा)
		पिट हेड स्टेशन				
1	NTPC	संगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2000	0.627	1.377	2.004
2		फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1600	0.851	2.489	3.340
3		फरक्का सुपर थर्मल स्टेशन -3	500	1.525	2.524	4.049
4		कहलगांव एसटीपीएस 1	840	1.029	2.396	3.425
5		कहलगांव एसटीपीएस 2	1500	1.104	2.325	3.429
6		कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	2100	0.660	1.261	1.921
7		कोरबा एसटीपीएस स्टेज-3	500	1.421	1.234	2.655
8		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	0.831	1.290	2.121
9		रिहंद थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	0.849	1.288	2.137

10		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	1.467	1.302	2.769
11		रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	2100	0.703	2.389	3.092
12		रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	500	0.761	2.342	3.103
13		तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	0.934	1.554	2.488
14		तलचर एसटीपीएस 2	2000	0.686	1.565	2.251
15		तलचर थर्मल पावर स्टेशन 1	460	1.395	1.661	3.056
16		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1260	0.827	1.558	2.385
17		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	0.681	1.457	2.138
18		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	1.055	1.461	2.516
19		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 4	1000	1.583	1.460	3.044
20		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 5	500	1.641	1.472	3.113
		गैर पिट हेड स्टेशन				
1		बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	705	0.797	3.647	4.444
2		फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 1	420	1.061	2.713	3.774
3		फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 2	420	0.984	2.701	3.686
4		फिरोज गांधी उनचार टीपीएस-3	210	1.364	2.693	4.057
5		फिरोज गांधी उनचार टीपीएस-4	500	1.498	2.751	4.663
6		मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन I	1000	1.912	2.493	4.435
7		मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	660	1.422	2.561	3.983

8		नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन I	840	0.927	3.125	4.052
9	एनटीपीसी	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन-2	980	1.466	2.929	4.395
10		सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन I	1000	0.929	2.839	3.768
11		सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	1.552	2.835	4.387
12		सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन I	1980	1.323	1.240	2.563
13		सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	1.257	1.271	2.528
14		टांडा थर्मल पावर स्टेशन I	440	1.243	2.837	4.080
15		बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन-2	1320	1.865	2.237	4.102
16		बोंगेगांव टीपीएस	500	2.714	2.981	5.695
17		कुबगी एसटीपीएस	1600	1.521	3.678	5.199
19		सोलापुर एसटीपीएस I	660	2.156	3.303	5.459
20	मैथॉन	मैथॉन राईट बैंक थर्मल पावर प्लांट	1050	1.510	1.950	3.460
22		बीटीपीएस बी	630	0.7559	2.207	2.9629
23		सीटीपीएस	260	1.0073	2.660	3.6673
24		डीटीपीएस	210	1.6055	2.198	3.8035
25		एमटीपीएस (1-4)	630	0.8109	2.486	3.2969
26	डीवीसी	एमटीपीएस (5-6)	500	1.0492	2.486	3.5352
27		एमटीपीएस (7-8)	1000	1.3683	2.463	3.8313
28		सीटीपीएस (7-8)	500	1.5822	1.619	3.2012
29		डीएसटीपीएस	1000	0.8989	2.870	3.7689
30		केटीपीएस	1000	1.6982	1.909	3.6072
31		आरटीपीएस	1200	1.6517	2.495	4.1467
32		बीटीपीएस ए	500	2.0689	1.629	3.6979
33	कांति बिजली	मुजफ्फरपुर टीपीएस स्टेज-I (2*110 MW)	220	3.343	1.157	4.500
34		मुजफ्फरपुर टीपीएस स्टेज-I (2*195 MW)	195	2.349	2.616	4.965
35	एनएसपीसीएल	एनएसपीसीएल भिलाई विस्तार पावर प्लांट	500	1.732	1.986	3.718

36	एनटीईसीएल	एनटीईसीएल-वैल्लूर	1500	1.900	1.66	3.56
37	एनएलसी	एनएलसी तमिलनाड पावर लि. (2x500 MW) - टीएएनीईडीसीओ और एनएलसीआईएल का एजेवी	1000	1.524	2.592	4.115

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए औसत टैरिफ ब्रेक–अप रिपोर्ट – स्टेशन – लिग्नाइट						
क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2018 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सामान्य स्तर पर क्षमता प्रभार प्रति यूनिट (रूपये / किलोवाट घण्टा)	ईसी (रूपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रूपये / किलोवाट घण्टा)
लिग्नाइट आधारित स्टेशन						
1	एनएलसी	एनएलसी टीपीएस I 600 MW	600	0.88	2.58	3.46
2		एनएलसी टीपीएस II स्टेज I 630 MW	630	0.69	2.33	3.02
3		एनएलसी टीपीएस II स्टेज II 840 MW	840	0.66	2.33	2.99
4		एनएलसी टीपीएस I विस्तार 420 MW	420	1.019	2.760	3.779
5		एनएलसी टीपीएस II विस्तार 500 MW	500	2.25	2.91	5.16
6		एनएलसी बीटीपीएस 250 MW	250	2.03	1.21	3.25

गैस आधारित स्टेशन						
1	**ओटीपीसी**	ओटीपीसी त्रिपुरा पावर कं., पलटाना प्रोजेक्ट	726.6	1.840	1.300	3.140
2	**टोरंट**	एसयूजीईएन	1147.5	1.209	3.854	5.063
3		यूएनओएसयूजीईएन	382.5	प्लांट में पीपीए नहीं है		
4		डीजीईएन	1200		प्लांट में पीपीए नहीं है	
5	**नीपको**	एजीबीपी	291	1.693 (रु Rs. 31081.25 के एफसी पर आधारित)	1.526	3.231
6		एजीटीसीसीपी	135		टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है	
7		टीजीबीपी	101		टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है	
8	**एनटीपीसी**	एंटा गैस पावर स्टेशन	419	0.685	2.541	3.231
9		औरय्या गैस पावर स्टेशन	663	0.499	3.292	3.800
10		दादरी गैस पावर स्टेशन	830	0.531	2.756	3.301
11		फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन	432	0.729	2.348	3.073
12		झनोर गंधार गैस स्टेशन	657	0.931	2.009	2.768
13		राजीव गांधी गैस पावर स्टेशन	360	1.121	7.312 (लिक्विड फ्यूल पर आधारित)	1.121
14		कवास गैस पावर स्टेशन	656	0.809	2.045	2.672
15	**आरजीपीपीएल**	रतनगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि.	1967.08	1.340	1.820	3.160
16		रतनगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि. पीएच III पीएसडीएफ	1050	1.340	3.33 (अप्रैल'16-सितंबर'16)	4.700
17		रतनगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि. पीएच IV पीएसडीएफ	1050	1.340	3.52 अक्टूबर'16-मार्च'17)	4.700

अनुबन्ध-VII

हाइड्रो उत्पादन कंपनियों की संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष
क.	**एनएचपीसी**				
1	बैरा सियूल	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 X 60 = 180	1982
2	चमेरा - I	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 180 = 540	1994
3	चमेरा - II	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 100 = 300	2004
4	चमेरा - III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3 x 77 =231	2012
5	परबती स्टेज -III	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	3x130=390	2014
6	सलाल I एण्ड II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	1995
7	यूरी - I	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	1997
8	यूरी - II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	2014
9	दुल्हस्ती	जम्मू और कश्मीर	पोंडेज	3 x130 = 390	2007
10	नीमो बजगो	जम्मू और कश्मीर	पोंडेज	3x15= 45	2013
11	चटक	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4x11=44	2013
12	सेवा-II	जम्मू और कश्मीर	पोंडेज	4 x 30 = 120	2010
13	टनकपुर	उत्तराखण्ड	आरओआर	3 x 31.40 =94.20	1993
14	धौलीगंगा	उत्तराखण्ड	पोंडेज	4 x 70 = 280	2005
15	तीस्ता – V	सिक्किम	पोंडेज	3 x 170 = 510	2008
16	तीस्ता निम्न डैम -III	सिक्किम	छोटे पोंडेज के साथ आरओआर	4 x 33 =132	2013
17	तीस्ता निम्न डैम -IV	सिक्किम	छोटे पोंडेज के	4 x 33 =132	2013
18	रंगित एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पोंडेज	3 x 20 = 60	2000
19	लोकटक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	1983
20	किशन गंगा	जम्मू एण्ड कश्मीर	पोंडेज	3 x 110 = 330	2018
	कुल आई. सी.			**5451.20**	
ख	**एनएचडीसी**				
21	इन्दिरा सागर	मध्यप्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	2005
22	ओंकरेश्वर	मध्यप्रदेश	पोंडेज	8x65 = 520	2007
	कुल आई. सी.			**1520.00**	
ग.	**टीएचडीसी**				
23	टिहरी	उत्तराखण्ड	स्टोरेज	4x250=1000	2007
24	कोटेश्वर	उत्तराखण्ड	पोंडेज	4x100=400	2012
	कुल आई. सी.			**1400.00**	
घ.	**एसजेवीएनएल**				
25	नथपा झाकड़ी	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	6X250=1500	2004
26	रामपुर		टेनडम	6x68.66=412	2014
	कुल आई.सी.			**1912.00**	
ङ	**डीवीसी**				
27	मैथोन	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	3x20=60	1958
28	पनचेत	झारखण्ड / प.बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	1991
29	तलिया	झारखण्ड	स्टोरेज	2x2=4	1953
	कुल आई.सी.			**144.00**	
च	**नीपको**				
30	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	3x135=405	2002
31	कोपीली स्टेज-I	असम	स्टोरेज	4x50=200	1997

32	कोपीली स्टेज-II	असम	स्टोरेज	1x25=25	2004
33	खंदोंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	1984
34	दोयांग	नागालैण्ड	स्टोरेज	3x25=75	2000
35	टूरियल	मिजोरम	स्टोरेज	2x30=60	2018
	कुल आई.सी.			**815.00**	
छ.	**एनटीपीसी**				
36	कोलडम	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x200=800	2014
	कुल आई.सी.			**800.00**	
ज.	**बीबीएमबी**				
37	बीबीएमबी का उत्पादन केन्द्र	पंजाब	आरओआर/स्टोरेज	2918.72	1960-1983
	कुल आई.सी.			**2918.72**	
झ.	**तिस्ता उर्जा लि॰**				
38	तिस्ता III एचईपी	सिक्किम	पोंडेज	6x200=1200	2017
	कुल आई.सी.			**1200.00**	
ट.	**आईपीपी**				
39	करचम वंगटू	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	1000.0	2011
	आई. सी. का कुल योग			**17164.12**	

अनुबन्ध-VIII

हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों के समग्र टैरिफ

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्रकार	समग्र टैरिफ/किलोवाट
अ	**एनएचपीसी**		
1	बेरा सियुल	पोंडेज	1.92
2	चमेरा–I	पोंडेज	2.22
3	चमेरा–II	पोंडेज	1.98
4	चमेरा–III	पोंडेज	4.04
5	पार्वती–III	पोंडेज	4.73
6	सलाल	आरओआर	1.17
7	उरी–I	आरओआर	1.62
8	उरी–II	आरओआर	3.35
9	दुलहस्ती	पोंडेज	5.58
10	निमु बाजगो	पोंडेज	8.62
11	चुटक	आरओआर	7.90
12	सेवा–II	पोंडेज	4.04
13	टनकपुर	आरओआर	3.14
14	धौलीगंगा	पोंडेज	3.02
15	तीस्ता–V	पोंडेज	2.33
16	तीस्ता एलडीपी	पोंडेज	6.72

17	रंगित एचई परियोजना	पोंडेज	3.66
18	लोकतक	पोंडेज	3.84
ब	**एनएचडीसी**		
19	इंदिरा सागर	भंडारण	3.10
20	ओंकारेश्वर	पोंडेज	4.88
स	**टीएचडीसी**		
21	टिहरी	भंडारण	5.46
22	कोटेश्वर	पोंडेज	3.81
डी	**एसजेवीएनएल**		
23	नाथपा झाकरी'	पोंडेज	2.58
ई	**एनईईपीसीओ**		
24	केएचईपी–I	पोंडेज	1.11
25	दोयांग	भंडारण	5.30
26	आरएचईपी	भंडारण	1.63
27	केएचईपी–II	आरओआर के साथ पोंडेज	1.54
28	खांडओंग	पोंडेज	1.67
29	करचम वांगटू	पोंडेज	3.23
30	तीस्ता उर्जा विकास	पोंडेज	4.76

अनुबन्ध-IX

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2018–19)
	(₹/kWh)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना	
एचपी, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम या नीचे)	5.11
एचपी, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम या नीचे)	4.32
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	6.05
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	5.07

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.71	4.59	7.30	0.11	7.19
हरियाणा	2.76	5.23	7.99	0.11	7.88
महाराष्ट्र	2.77	5.35	8.12	0.11	8.00
पंजाब	2.78	5.47	8.25	0.11	8.14
राजस्थान	2.71	4.56	7.27	0.11	7.16
तमिलनाडु	2.70	4.52	7.22	0.11	7.11
उत्तर प्रदेश	2.72	4.67	7.39	0.11	7.28
अन्य	2.74	4.91	7.65	0.11	7.54

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.86	4.70	7.56	0.12	7.43
हरियाणा	2.91	5.35	8.26	0.12	8.14
महाराष्ट्र	2.92	5.47	8.39	0.12	8.27
पंजाब	2.93	5.59	8.52	0.12	8.40
राजस्थान	2.86	4.67	7.53	0.12	7.40
तमिलनाडु	2.85	4.62	7.47	0.12	7.35
उत्तर प्रदेश	2.87	4.78	7.65	0.12	7.52
अन्य	2.89	5.02	7.91	0.12	7.79

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.82	4.59	7.41	0.12	7.29
हरियाणा	2.87	5.23	8.10	0.12	7.97
महाराष्ट्र	2.88	5.35	8.23	0.12	8.10
पंजाब	2.89	5.47	8.36	0.12	8.23
राजस्थान	2.82	4.56	7.38	0.12	7.26
तमिलनाडु	2.81	4.52	7.33	0.12	7.21
उत्तर प्रदेश	2.83	4.67	7.50	0.12	7.38
अन्य	2.84	4.91	7.76	0.12	7.63

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.98	4.70	7.68	0.13	7.54
हरियाणा	3.03	5.35	8.38	0.13	8.24
महाराष्ट्र	3.04	5.47	8.51	0.13	8.38
पंजाब	3.05	5.59	8.64	0.13	8.51
राजस्थान	2.98	4.67	7.64	0.13	7.51
तमिलनाडु	2.97	4.62	7.59	0.13	7.46
उत्तर प्रदेश	2.99	4.78	7.76	0.13	7.63
अन्य	3.00	5.02	8.03	0.13	7.90

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.70	4.51	7.21	0.11	7.10
हरियाणा	2.75	5.13	7.89	0.11	7.78
महाराष्ट्र	2.76	5.25	8.01	0.11	7.90
पंजाब	2.77	5.37	8.14	0.11	8.03
राजस्थान	2.70	4.48	7.18	0.11	7.07
तमिलनाडु	2.70	4.44	7.13	0.11	7.02
उत्तर प्रदेश	2.71	4.59	7.30	0.11	7.19
अन्य	2.73	4.82	7.55	0.11	7.44

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
पवन कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.85	4.61	7.47	0.12	7.34
हरियाणा	2.90	5.25	8.16	0.12	8.03
महाराष्ट्र	2.91	5.37	8.29	0.12	8.16
पंजाब	2.92	5.49	8.42	0.12	8.29
राजस्थान	2.85	4.58	7.44	0.12	7.31
तमिलनाडु	2.85	4.54	7.39	0.12	7.26
उत्तर प्रदेश	2.86	4.69	7.55	0.12	7.43
अन्य	2.88	4.94	7.81	0.12	7.69

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.81	4.51	7.32	0.12	7.20
हरियाणा	2.86	5.13	8.00	0.12	7.87
महाराष्ट्र	2.87	5.25	8.12	0.12	8.00
पंजाब	2.88	5.37	8.25	0.12	8.13
राजस्थान	2.81	4.48	7.29	0.12	7.17
तमिलनाडु	2.81	4.44	7.24	0.12	7.12
उत्तर प्रदेश	2.82	4.59	7.41	0.12	7.29
अन्य	2.84	4.82	7.66	0.12	7.54

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
पवन कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.97	4.61	7.59	0.13	7.45
हरियाणा	3.02	5.25	8.27	0.13	8.14
महाराष्ट्र	3.03	5.37	8.40	0.13	8.27
पंजाब	3.04	5.49	8.54	0.13	8.40
राजस्थान	2.97	4.58	7.55	0.13	7.42
तमिलनाडु	2.97	4.54	7.50	0.13	7.37
उत्तर प्रदेश	2.98	4.69	7.67	0.13	7.54
अन्य	3.00	4.94	7.93	0.13	7.80

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
बगास आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आन्ध्रा प्रदेश	3.13	2.98	6.10	0.17	5.93
हरियाणा	2.79	4.24	7.03	0.15	6.88
महाराष्ट्र	2.50	4.17	6.68	0.13	6.55
पंजाब	2.75	3.73	6.48	0.15	6.33
तमिलनाडु	2.42	3.21	5.63	0.13	5.50
उत्तर प्रदेश	3.15	3.32	6.48	0.17	6.31
अन्य	2.74	3.61	6.35	0.15	6.20

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2018–19)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आन्ध्रा प्रदेश	2.58	4.19	6.77	0.08	6.69
हरियाणा	2.63	4.77	7.40	0.08	7.32
महाराष्ट्र	2.64	4.88	7.52	0.08	7.43
पंजाब	2.65	4.99	7.64	0.08	7.55
राजस्थान	2.58	4.16	6.74	0.08	6.66
तमिलनाडु	2.58	4.12	6.70	0.08	6.62
उत्तर प्रदेश	2.59	4.26	6.85	0.08	6.77
अन्य	2.61	4.48	7.09	0.08	7.01
बायोमास आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.40	4.40	7.79	0.19	7.60

अनुबन्ध-X

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान केविविआ के अध्यक्ष/सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों के ब्योरे

क्र. सं.	प्रतिनियुक्त अधिकारी का नाम और पदनाम	सेमीनार/सम्मेलन/ कार्यक्रम का नाम	दौरा किए गए देश का नाम	अवधि
1	श्री एम.के. अय्यर, सदस्य	यूएसएआईडी के जीटीजी कार्यक्रम के अधीन पावरग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर समेकन से संबंधित यूएसएआईडी–एनएआरयूसी अध्ययन दौरा	यूएसए	28.03.2017 से 03.04.2017
2	श्री एस.के. झा, सचिव	यूएसएआईडी ग्रिनिंग ग्रिड कार्यक्रम	पोर्टलैण्ड एवं सनफ्रांसिस्को (यूएसए)	08–12 मई, 2017
3	श्री एच.टी. गांधी, सं.प्र. (वित्त)	ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के समेकन पर अध्ययन दौरान	स्पेन और जर्मनी	30.5.2017 से 10.6.2017
4	श्री यू.आर. प्रसाद, उप प्रमुख, अर्थशास्त्र	ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के समेकन पर अध्ययन दौरान	स्पेन और जर्मनी	30.5.2017 से 10.6.2017
5	श्री विरेन्द्र एस. राणा, स.प्र. (वित्त)	ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के समेकन पर अध्ययन दौरान	स्पेन और जर्मनी	08–15 जुलाई, 2017
6	श्री एस.के. झा, सचिव	एडीबीआई और आईपीएजी द्वारा आयोजित विद्युत एवं ऊर्जा संयोजकता पर कार्यशाला	थिम्फू, भूटान	25–26 अक्टूबर, 2017
7	श्री गिरीश. बी. प्रधान, अध्यक्ष	सिंगापुर ऊर्जा सम्मेलन में व्याख्यान	सिंगापुर	23–27 अक्टूबर, 2017
8	श्री गिरीश. बी. प्रधान, अध्यक्ष	साफिर की 14वीं ईसीएम में उपस्थिति	श्रीलंका	24–26 नवंबर, 2017
9	श्री संजीव टिंजन, सं.प्र. (वि.मा.)	''स्मार्टग्रिड'' पर अध्ययन दौरान	इटली, स्पेन और फ्रांस	2–9 दिसंबर, 2017

अनुबन्ध-XI

वर्ष 2017–18 के दौरान भारत में केविविआयोग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे की सूची

नाम	पद	दौरे का ब्यौरा	स्थान	वर्ष
सुश्री गीतू जोशी	प्रमुख (अर्थशास्त्र)	डाटा विश्लेषण और पूर्वानुमान पर आईआईटी कानुपर द्वारा सीबीपी	कानपुर	12–16/2/2018
श्री अनेपू सुरेश	उप प्रमुख (इंजी.)	डाटा विश्लेषण और पूर्वानुमान पर आईआईटी कानुपर द्वारा सीबीपी	कानपुर	12–16/2/2018
श्री रामांजनेयूलू गली	सहायक–प्रमुख (इंजी.)	डाटा विश्लेषण और पूर्वानुमान पर आईआईटी कानुपर द्वारा सीबीपी	कानपुर	12–16/2/2018
श्री वरुण आनंद	सहायक प्रमुख (इंजी.)	डाटा विश्लेषण और पूर्वानुमान पर आईआईटी कानुपर द्वारा सीबीपी	कानपुर	12–16/2/2018

अनुबन्ध-XII

वर्ष 2017–18 के लिए परिक्षित वार्षिक लेखा

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2018 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधक की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) के अनुपालन के बारे में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहुलओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानक में यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित हो। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार पर प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखिल रिपोर्ट करते है किः–

(i) हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप से लिए गए हैं;

(iii) हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुंसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 व 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख–रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैंः

(क) तुलन पत्र

पूंजी निधि एवं देयताएं
चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 3)
संड्री क्रेडिटर 626.09 लाख रुपये

अगस्त 2008 में केविविआ के अनुरोध के अनुसार एनडीएमसी ने अतिरिक्त स्थान आवंटित किया और उसके लिए प्रतिभूति जमा केविविआ द्वारा अदा की गई। लेकिन एनडीएमसी ने जून 2017 तक उक्त परिसर के लिए कोई बिल नहीं

दिया। अनुज्ञप्ति विलेख के नि पादन के लिए केविविआ के अनुरोध पर विचार करते हुए एनडीएमसी ने अनंतिम आधार पर मई, 2017 तक की अवधि के लिए संगणित 262.28 लाख रुपये की रकम अनुज्ञप्ति फीस की बकाया देयताओं के लिए मांग (जुलाई, 2017) की गई। मांग के उत्तर में केविविआ ने इन सभी वर्शों के बिलों की प्राप्ति न होने और केविविआ की भारी देयता का उल्लेख करते हुए कार्यालय स्थान की पुनः परिमापन के लिए एनडीएमसी को अनुरोध किया। इससे 262.28 लाख रुपये की आय से अधिक व्यय तथा संड्री क्रेडिटर्स का अन्डरस्टेटमेन्ट हुआ।

(ख) अनुदान सहायता :

वर्ष के दौरान (मार्च, 2018 में शून्य रुपए प्राप्त किए गए) प्राप्त 42.15 करोड़ की रुपए की अनुदान सहायता में से पूर्ववर्ती वर्ष की अव्ययित बकाया के लिए 14.85 करोड़ रुपए सहित) अर्थात् कुल 57.00 करोड़ रुपये रहा जिसमें केविविआ 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 41.44 करोड़ रुपये का प्रयोग कर सका जिसमें 15.58 करोड़ रुपए का बकाया अप्रयुक्त रह गया।

(ग) प्रबंधन पत्र

वे कमियां, जिन्हें पृथक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, उसे उपचारात्मक/सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया गया।

(v) पिछले पैरा में अपने संप्रेक्षण के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में तुलन पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप है।

(vi) हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण मामलों और इस पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध–1 में उल्लिखित मामलों के अधीन, रहते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक तुलन–पत्र का संबंध हैं, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, और

ख) जहां तक अधिशेष के आय तथा व्यय लेखा का संबंध हैं। यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(राज कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अक्तूबर, 2018

अनुबन्ध-I
{पैरा 4(vi) में उल्लिखित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	केविविआ का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा मेनुअल है जो 18 जून, 2013 को अनुमोदित हुआ। केविविआ का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा मैन्युअल है जो 18 जून, 2013 को अनुमोदित हुआ। केविविआ विद्युत मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा के अध्याधीन है। विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्श 2017–18 के लिए केविविआ की आंतरिक लेखा परीक्षा अगस्त, 2018 में पूरी हो गई और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इसके अलावा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा 2017–18 के लिए केविविआ की लेखा परीक्षा अगस्त, 2018 में की गई और आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	मॉनिटरिंग प्राप्तियां और भुगतान तथा उसके लेखांकन के लिए आंतरिक नियत्रण मैकेनिज्म केविविआ गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2017–18 के लिए नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन केविविआ के अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया है जिसमें उप प्रमुख (इंजि.), वरिष्ठ लेखा अधिकारी और आर.सी.टी.ओ. शामिल हैं। तथापि केविविआ द्वारा रखा गया नियत अस्ति रजिस्टर जीएफआर फार्म–40 में उल्लिखित फॉर्मेट के अनुरूप है।
4.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	के.वि.वि. आयोग उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	**267.93**	371.18
सीईआरसी निधि	2	**42,917.13**	34,312.67
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	**80,114.93**	1,915.72
कुल		**1,23,299.99**	36,599.57
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4	**267.93**	371.18
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	5	**1,22,527.86**	35,701.13
जमा राशियां–प्रतिभूति राशियां	6	**504.20**	527.26
विविध व्यय (बट्टेखते नहीं डाली गई या समायोजित की सीमा तक)	7	**-**	-
कुल		**1,23,299.99**	36,599.57
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियां	13		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	14		

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान (नकदी आधारित)	8	**4,141.59**	4,065.03
सीईआरसी निधि के लिए समायोज्य व्यय (अर्जित आधार)		**182.87**	57.72
अन्य आय	9	**0.76**	2.12
आस्थगित आय	4	**144.91**	168.70
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण) मालसूची		**-**	**3.72**
कुल (क)		**4,470.13**	4,297.29
व्यय			
स्थापना खर्चे	10	**1,396.19**	1,339.16
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	**2,929.13**	2,756.64
अवक्षयण	4	**144.91**	170.40
पूर्व अवधि मदें (निवल)	12	**-**	31.09
कुल (ख)		**4,470.13**	4,297.29
पूंजी निधि में अंतरित आय पर व्यय की अधिकता		**-**	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	13		
आकस्मिकता दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	14		

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2018 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाखों में)

अनुसूची 1 – पूंजी निधिः		चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
(क) पूंजी रिजर्व अनुदान सहायता से सृजित आस्तियां		**371.18**	519.97
	चालू वर्ष		
घटाएं: अचल आस्तियों पर अवक्षयण के कारण आस्थगित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	144.91		
जोडें: अनुदान सहायता से निधिगत आस्तियों की वृद्धि (निवल)	41.66		
		(103.25)	(148.79)
उप जोड़ (क)		**267.93**	371.18

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ in Lacs)

अनुसूची 2 : सीईआरसी निधि			चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष			**34,312.67**	26,065.31
घटाएं: पूर्ववर्ती वर्ष में रिलीज की गई रकम का खर्च न किया गया शेष	**1,484.97**	1,078.08		
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज	**4,215.00**	4,471.92		
			5,699.97	5,550.00
			28,612.70	20,515.31
जोडे: **प्रत्यक्ष आय:**				
फाइलिंग शुल्क/टैरिफ शुल्क	**8,254.66**	8,009.66		
लाइसेंस फीस	**4,248.27**	4,014.79		
वार्षिक पंजीकरण शुल्क	**58.00**	58.00		
विविध शुल्क	**142.29**	83.46	**12,703.21**	12,165.91
अप्रत्यक्ष आय:				
अर्जित ब्याज (टीडीएस निल)	**193.77**	194.30		
अन्य आय	**72.61**	29.51	**266.37**	223.81
			41,582.28	32,905.03
जोडे: **अविवादित दंड**			**1.00**	4.00
घटाएं: **पूर्ववर्ती वर्ष का विवादित दंड**			**-**	2.00
जोडे: अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाए गए अव्ययित अनुदान नकदी आधार			**1,558.38**	1,484.97
घटाएं: केविविआ निधि से समायोज्या चालू वर्ष की आय पर व्यय की अधिकता (उपचित आधार)			**182.87**	57.72
घटाएं: अनुदान सहायता से निधि पोषित आस्तियों का मूल्य			**41.66**	21.61
कुल योग			**42,917.13**	34,312.67

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची – 3 : चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
क. चालू दायित्व		
1. विविध क्रेडिटर्स	626.09	529.08
2. प्रतिदेय वेतन	88.23	78.89
3. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ शुल्क)		
3.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	26.05	18.69
3.2 अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	63.56	47.84
3.3 अनुज्ञप्ति शुल्क – वित्त वर्ष 17–18	-	3.00
3.4 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 17–18	-	3.00
3.5 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 18–19	2.00	2.00
3.6 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 17–18	10.00	-
3.7 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 17–18	-	95.37
3.8 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 18–19	92.25	30.63
3.9 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 19–20	0.40	-
3.10 उत्पान टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 18–19	26.47	-
4. वैधानिक देयताएं:		
4.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	0.12	0.28
4.2 जीपीएफ समरूप अंशदान	0.26	0.26
4.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	6.88	6.30
4.4 सीईआरसी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	14.13	12.12
4.5 सीईआरसी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	25.09	27.02
4.6 प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	4.36	3.17
4.7 ग्रुप बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	0.01	0.01
4.8 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान	0.26	0.38
4.9 एनपीएस समरूप अंशदान	0.25	0.22
4.10 जीपीएफ अग्रिम	0.05	0.05
4.11 एचबीए अग्रिम	0.07	0.07
4.12 ईपीएफ स्वैच्छिक अंशदान	0.30	0.30
4.13 अन्य वसूली	0.02	0.02
4.14 टीडीएस (वेतन)	0.13	-
5. अन्य चालू दायित्व		
5.1 जुर्माना	499.69	466.95
5.2 प्राप्त प्रतिभूति निक्षेप	78.53	64.93
5.3 अन्य वसूलियां (कंप्यूटर अग्रिम)	-	-
5.4 भारत सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	-	-
5.5 अन्य वसूलियां (कार अग्रिम)	0.08	0.08
5.6 बयाना जमा	2.00	2.00
कुल(क)	1,567.28	1,392.66
6. प्रावधान		
6.1 छुट्टी नकदीकरण	318.45	295.47
6.2 ग्रेच्युटी	279.08	224.19
7. अन्य(विनिर्दिष्ट करें)		
7.1 संदेय लेखा परीक्षा शुल्क (सी एंड एजी)	6.80	3.40
7.2 अन्य	4.64	-
कुल(ख)	608.97	523.06
8. सर्वोच्चय न्यायालय निर्देशों के अधीन आरईसी जमा (ग)	77,938.68	
कुल योग (क+ख)	80,114.93	1,915.72

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुसूची 4 . नियत आस्तियां

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल खंड					मूल्यह्रास							निवल खंड	
	वर्ष के आंरभ में लागत	समा–योजन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	समा–योजन	पूर्व अवधि मूल्य–ह्रास	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
<u>क. मूर्त आस्तियां:</u>														
लकड़ी का विभाजन एवं मरम्मत	226.75	68.88	2.31		297.94	179.28	26.18	-	12.31	11.81		229.58	68.36	47.47
फर्नीचर और फिटिंग्स	362.60	30.39	0.70		393.69	303.94	12.31	-	17.91	5.17		339.33	54.36	58.66
मशीनरी और उपकरण	249.22	72.44	12.37		334.03	215.87	20.41	-	13.19	21.93		271.40	62.63	33.35
इलेक्ट्रिक स्थापन्न और उपकरण	7.49	64.58	6.81		78.88	1.70	29.18	-	1.26	8.60		40.74	38.14	5.79
कंप्यूटर/बाह्य उपकरण	243.01		29.46	8.78	263.69	211.36		-	12.71	14.31	8.34	230.04	33.65	31.65
पुस्तकालय पुस्तकें	5.68		-		5.68	5.68		-	-	-		5.68	-	-
मरम्मत कार्य लंबित आवंटन	258.47	(236.29)	-	22.18	-	94.64	(88.08)		(6.56)			0.00	-	163.83
ख. अमूर्त आस्त्यिां :														
सॉफ्टवेयर	148.69		12.63		161.32	118.26		-	29.74	2.53		150.53	10.79	30.43
कुल	**1,501.91**	**-**	**64.28**	**30.96**	**1,535.23**	**1,130.73**	**-**	**-**	**80.56**	**64.35**	**8.34**	**1,267.30**	**267.93**	**371.18**
कुल योग	**1,501.91**	**-**	**64.28**	**30.96**	**1,535.23**	**1,130.73**	**-**	**-**	**80.56**	**64.35**	**8.34**	**1,267.30**	**267.93**	**371.18**
पूर्ववर्ती वर्ष	**1,483.94**	**-**	**34.92**	**16.95**	**1,501.91**	**963.97**		**(1.70)**	**152.04**	**20.06**	**3.64**	**1,130.73**	**371.18**	**519.97**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची – 5 : चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
I		चालू आस्तिया		
	I.1	अग्रदाय कार्ड	-	0.20
	I.2	बैंक शेष		
		चालू खाता		
		कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	1,510.79	1,484.97
		सेन्ट्रल बैंक (आटो स्वीप सहित)	47.59	-
		बचत खाता		
		कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	0.15	3.19
		बचत खाता (आवर्ती जमा)		
		कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	77,725.70	-
	I.3	सीईआरसी निधि खाता (भारत का लोक खाता)	42,354.53	33,642.83
	I.4	सावधिक जमा(मुकदमें से प्राप्ति के लिए दंड)	498.27	463.37
2		ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तिया		
	2.1	अग्रिम		
	2.1.1	स्टाफ	10.17	5.38
	2.1.2	अन्य	7.95	8.48
	2.2	अग्रिम और अन्य रकमें नकद या वस्तु के रूप में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
	2.2.1	पूर्व संदत्त	50.65	49.31
	2.2.2	विनियामक फोरम	51.66	21.38
	2.2.3	भारतीय विनियामक मंच	6.11	3.05
	2.2.4	साफिर	14.76	-
	2.2.5	प्राप्य मानदेय	0.05	-
3		आय प्रोद्भूत		
	3.1	ब्याज प्रोद्भूत (आटोस्वीप पर)	9.63	12.97
	3.2	ब्याज प्रोदभूत (दंड के लिए एफडीआर पर)	1.42	1.58
	3.3	ब्याज प्रोदभूत (आवर्ती खाते के लिए ऑटो स्विप पर)	212.98	-
4		प्राप्य शुल्क	22.12	0.70
5		वस्तुसूची	3.33	3.72
		कुल	122,527.86	35,701.13

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 6 : जमा (प्रतिभूति जमा)		चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
1	सुरक्षाजमा – ब्रॉडबैण्ड	**0.02**	0.02
2	सुरक्षाजमा – एमटीएनएल	**0.90**	0.90
3	सुरक्षाजमा – एनडीएमसी	**500.88**	523.54
4	सुरक्षाजमा – पेट्रोल और स्नेहक	**0.40**	0.40
5	सुरक्षाजमा – स्टाफ के लिए पट्टे	**2.00**	2.40
	जोड़	**504.20**	527.26

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 7 : विविध व्यय (बट्टे खाते में डाली गई या समायोजित की सीमा तक)	चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
आय की अधिकता में संचित शेष	**-**	-
जोड़े: केविविआ निधि को अंतरित		
जोड़	**-**	**-**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 8 – विद्युत मंत्रालय से अनुदान	चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17
पूर्ववर्ती वर्ष से लाया गया अव्ययित अनुदान	**1,484.97**	1,078.08
चालू अवधि के दौरान सीईआरसी निधि से रिलीज	**4,215.00**	4,471.92
वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल रकम	**5,699.97**	5,550.00
घटाएँ : सीईआरसी निधि को वापस अंतरित नकदी आधार पर बचत/ अव्ययित रकम	**1,558.38**	1,484.97
कुल	**4,141.59**	4,065.03

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 9 : अन्य आय	चालू वर्ष 31.03.2018	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2017
घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	**0.39**	0.29
बटटा खाता डाला गया अधिक प्रावधान	**-**	0.67
विनियम के सार संग्रह की बिक्री पर लाभ	**0.37**	1.16
कुल	**0.76**	2.12

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 10 : स्थापना व्यय	चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17
1 वेतन एवं मजूदरी :		
1.1 स्टाफ/अधिकारी के वेतन	**682.23**	546.59
1.2 अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	**186.74**	200.25
1.3 भत्ते और बोनस	**173.01**	213.99
1.4 भविष्य निधि में अशंदान	**84.61**	78.09
2 अन्य निधियों में अंशदान:		
2.1 उपदान	**4.10**	6.30
2.2 पेंशन अंशदान	**14.39**	12.71
2.3 छुट्टी वेतन अंशदान	**27.39**	27.37
2.4 उपदान के लिए प्रावधान	**63.74**	53.31
2.5 छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**33.51**	103.60
3 स्टाफ कल्याण खर्चे		
3.1 चिकित्सा और स्वास्थ्य देख–रेख	**57.99**	41.09
3.2 अन्य	**34.65**	34.95
4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें):		
4.1 ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भुगतान	**8.37**	7.03
4.2 एलटीसी	**12.81**	9.51
4.3 छुट्टी नकदीकरण	**12.65**	4.37
कुल	**1,396.19**	1,339.16

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 11 : अन्य प्रशासनिक व्यय			चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17
1		श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	**508.46**	316.31
2		विद्युत एवं ऊर्जा	**53.75**	52.46
3		जल प्रभार	**5.89**	7.89
4		**मरम्मत एवं रख रखाव एवं एएमसी**		
	4.1	कंप्यूटर	**11.61**	7.56
	4.2	भवन	**26.47**	12.77
	4.3	अन्य	**2.64**	1.90
	4.4	यूपीएस	**4.30**	2.08
	4.5	एयरकंडीशनर	**21.17**	13.87
5		किराया दल तथा कर	**1,625.79**	1,387.16
6		वाहन चालन एवं रखरखाव	**14.40**	16.21
7		डाक व्यय एवं टेलीफोन प्रभार	**31.60**	38.94
8		मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**28.58**	39.30
9		**यात्रा एवं वाहनः**		
	9.1	स्वदेश यात्रा व्यय	**40.85**	33.29
	9.2	विदेश यात्रा व्यय	**1.97**	3.26
	9.3	वाहन	**1.44**	2.09
10		बैठक/सेमिनार/कार्यशाला संबंधी खर्चे	**21.86**	20.96
11		अभिदाय खर्चे	**67.84**	63.82
12		लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	**3.40**	2.56
13		व्यवसायिक प्रभार	**306.56**	577.72
14		विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	**36.10**	43.08
15		**अन्य (विनिर्दिष्ट करें):**		
	15.1	पुस्तक एवं आवधिक पत्रिकाएं	**14.62**	14.22
	15.2	विविध खर्चे	**0.71**	0.81
	15.3	टैक्सी/कार पट्टा किराया पर लेने संबंधी	**57.71**	49.95
	15.4	सूचना प्रणाली–अनुज्ञप्ति शुल्क आदि	**38.78**	43.08
	15.5	प्रशिक्षण खर्चे	**0.60**	1.03
	15.6	विश्वासघात के विरुद्ध बीमा एवं नकदी संचालन	**-**	0.12
	15.7	उपभोग्य वस्तु	**0.73**	1.33
	15.8	बैण्डविथ प्रभार	**1.10**	2.87
	15.10	विनियम का सार संग्रह (इन–हाउस प्रयोग के लिए)	**0.10**	-
		कुल	**2,929.03**	2,756.64

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 12 : अवधि पूर्व मदें		चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17
1	किराया	-	32.79
2	पूर्व वर्षो में प्रभारित अधिक अवक्षयण को राइट बैक करना	-	(1.70)
	कुल	-	31.09

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 13 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरिणी के फार्म एवं रिकार्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखों को लेखांकन सिद्धान्तों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. नियत आस्तियां

नियत आस्तियां आवक मालभाडा, शुल्क तथा करों तथा अर्जन से संबधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चो सहित अर्जन की लागत पर कथित की जाती है।

3. मूल्यह्रास

(i) नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–प्प में निर्धारित आस्तियों के जीवन के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली में निकाला गया है।

(ii) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में जोड़/कटौतियों के संबंध में 30 सितम्बर तक अर्जित आस्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास और 30 सितम्बर के पश्चात अर्जित आस्तियों आधी दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ष का मूल्यह्रास 30 सितम्बर के बाद निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है और उस वर्ष के लिए आधी दर पर मूल्यह्रास 30 सितम्बर से पूर्व निपटाई गई/हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है।

(iii) 5000/– रूपए या उससे कम की मूल्य की नियत आस्ति को पूंजीगत किया जाता है और पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।

4. अमूर्त आस्तियों का उपाकरण

साफ्टवेयर का 5 वर्षों की अवधि के लिए या साफ्टवेयर के पूर्ण काल के लिए जो भी कम हो जब तक की अन्यथा कथित न किया गया हो, उपाकरण किया जाता है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन संव्यवहार

केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस एवं रकम केविविआ निधि में क्रेडिट की जाती है। (भारत के पब्लिक लेखा में रखी गई) केविविआ की निधि से विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई रकम आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में परिगणित की जाती है।

6. सरकारी अनुदान / सब्सिडी

(i) सरकारी अनुदान / सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार तक अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है तो उसे लेखा मानक–11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते है।

9. सेवा निवृति फायदे

कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृति पर संदेह उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक–15 के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन / ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

10. माल सूची

विनियमों का सार संग्रह आंतरिक और सहकारी प्रयोग के लिए मुद्रित किया जाता है और सरकारी कंपनियों तथा प्राइवेट पार्टियों को निर्धारित कीमत पर विक्रय किया जाता है। वर्ष 2016–17 से वर्ष के अंत में विनियमों का सार संग्रह की माल सूची कम लागत पर या उसके बाजार मूल्य के लिए परिगणित की गई है।

हस्ता / –
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता / –
सचिव

31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची –14 आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पण

1. केविविआ निधि

(i) केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को शामिल किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय–समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोत्रों से प्राप्त अन्य रकम में शामिल हैं। निधि इनके लिए प्रयुक्त की जाएगी। (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य पारिश्रमिक (ख) अधिनियम की धारा 79उ के अधीन कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय (ग) अधिनियम द्वार प्राधिकृत परियोजनों के लिए और उद्देश्यों पर व्यय। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज करने की मांग करेगा।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने 2015–16 से ''अनुदान सहायता'' के रूप में भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई केविविआ निधि से राशि रिलीज मानी। केविविआ का संपूर्ण व्यय की उपचित आधार पर केविविआ निधि से रिलीज की गई ''अनुदान सहायता'' से पूर्ति की जाती है।

(iii) केविविआ निधि नियमावली के अनुसार भारत के लोक लेखा के अधीन केविविआ निधि खाता खोला गया है जो गैर व्ययगत और गैर ब्याज वहन खाता होगा। वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 12927 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹12529 लाख) केविविआ निधि में जमा किए गए हैं और इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने केविविआ के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए निधि से ₹ 4215 लाख रूपए की रकम (पूववर्ती वर्ष में ₹ 4472 लाख) रिलीज की जिससे 31.3.2018 को केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा) में ₹ 42355 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹33643 लाख) का शेष रह गया।

(iv) चालू वर्ष के दौरान ₹ 12970 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹12390 लाख) की रकम की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय केविविआ निधि खाता (तुलन पत्र की अनुसूची 2) को अंतरित की गई थी और ₹ 4215 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹4472 लाख) (पूववर्ती वर्ष से आगे ले जाई गई बचत को छोड़कर) को चालू वर्ष के लिए व्यय की पूर्ति के लिए केविविआ निधि से रिलीज किया गया था। चालू वर्ष के अंत में ₹ 1558 लाख (पूववर्ती वर्ष में ₹1485 लाख) का अव्ययित शेष केविविआ निधि में वापस अंतरित किया गया है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में 31 मार्च 2018 को शून्य (पूववर्ती वर्ष में शून्य) की पूंजी प्रतिबद्धता है। वित्तीय वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं ऋण के रूप में अनभिज्ञात नहीं दावों के संबंध में 00 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 00 लाख रही)।

3. पट्टा दायित्व

वाहनों के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भावी दायित्व की राशि 14 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में 1 लाख) रही।

4. नियत आस्तियां

(i) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता से अर्जित आस्तियां पूंजी रिजर्व में तद्नुरूपी कटौती से प्रत्येक वर्ष अस्थगित आय के रूप में परिगणित और मूल्यह्रासित की गई है।

(ii) चन्द्रलोक बिल्डिंग के भूतल, प्रथम और चतुर्थ तल का मरम्मत कार्य 2015–16 में पूरा किया गया। कार्य पर किया गया व्यय बिलों की लंबित प्राप्ति ''मरम्मत कार्य लंबित आबंटन'' के अधीन पूंजीकृत किया गया और अनंतिम रूप से मूल्यह्रास किया गया। बिलों को अंतिम रूप देने पर राशि को नियत आस्तियों के संबंधित शीर्ष में पुनः वर्गीकृत किया। मूल्यह्रास को पूर्व प्रभाव से पुनः संगणित किया गया और चालू वर्ष में परिगणित किया गया।

(iii) आस्तियों को भौतिक सत्यापन मई 2018 में इनहाउस ले जाया गया। कोई भौतिक विसंगति भौतिक सत्यापन में नोटिस नहीं की गई।

5. चालू देयताएं :

(1) पावर एक्सचेंजों में गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के व्यापार कीमत के संबंध में विवाद का संकल्प लंबित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया कि 500 रुपये प्रति गैर सौर आरईसी की राशि केविविआ में जमा की जाए। मामले के निपटान पर राशि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अदा की जाएगी। तदनुसार प्राप्त की गई 77187 लाख रुपये की रकम अलग बैंक खाते में रखी गई है। 752 लाख रुपये की रकम के लिए उस पर ब्याज सहित प्राप्त रकम (213 लाख रुपये की उपचित ब्याज और नगद आधार पर 539 लाख रुपये) ''चालू देयता'' के रूप में तदनुरूपी रकम सहित ''चालू आस्ती'' के रूप में परिगणित की गई है।

(2) 31 मार्च 2018 तक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंर्तगत केविविआ द्वारा लगाए गए निवल दंड

की राशि ₹ 1781 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1780 लाख) की थी जिसमें ₹ 1288 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 1288 लाख) की राशि विधि के विभिन्न न्यायलों में पार्टियों द्वारा विवादित रही और प्रदान किए गए स्थगन के कारण केविविआ में उनके द्वारा जमा नहीं करवाई गई। ₹ 493 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष 492 लाख) केविविआ में प्राप्त की गई। प्राप्त रकम में से 357 लाख रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष 357 लाख) विधि के विभिन्न न्यायलों में विवादग्रस्त है और चालू देयताओं के रूप में प्रकट की गई है। प्राप्त की गई रकम लेकिन विवादग्रस्त बैंक में अल्पकालिक सावधि जमा में रखी गई है और केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई है) में जमा करवाई जाएगी या न्यायालय मामलों के निष्कर्ष के आधार पर पार्टी को वापस की जाएगी, जैसी भी मामला हो। ₹ 136 लाख का शेष जो विवादमुक्त है केविविआ निधि को अंतरित किया गया है (चालू वर्ष ₹ 1 लाख और पूर्व वर्ष ₹ 135 लाख) इसमें केविविआ के आदेश पर आधारित वापसी योग्य ₹ 1 लाख (पूर्व वर्ष में ₹ 1 लाख) शामिल है। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार विवादग्रस्त दण्ड रकम में से किए गए सावधि ब्याज पर ''प्राप्त'' ब्याज और ''उपचित लेकिन अप्राप्त'' को अन्य चालू देयताओं के अधीन परिगणित किया गया। इस लेखे में आय एवं व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं है।

(3) केविविआ के स्थायी कर्मचारियों के संबंध में छुटटी नगदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान क्रमशः 318 लाख और 279 लाख रुपये की रकम के लिए वास्तवित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

(i) प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।

(ii) वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 16,91,875/– के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नगदीकरण करा दिया गया । पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय जांच को मार्च, 2013 में अंतिम रूप दिया गया और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दियाा। मामला विधि न्यायालय में लंबित है। अंतिम सुनवाई 26 मई, 2018 को की गई। जब 14 अगस्त, 2018 को सुनवाई की अगली तारीख को जांच अधिकारी को बुलाने का निर्णय किया गया। मामले के निष्कर्ष को लंबित रखते हुए न तो राशि को आय के बुक किया गया और न ही लेखा बहियों में किए गए चुराए गए डिमांड ड्राफ्टों के लिए हानि के लिए प्रावधान किया गया।

7. कराधान

आयकर अधिनियम 61 की धारा 10 (23) (खखछ) के अनुसार आयोग की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

8. आय एवं व्यय लेखा :

2014–15 तक आय एवं व्यय लेखा में आय को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वास्तविक रूप से अदा की गई रकम की सीमा तक मान्यता दी गई। तथापि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा उल्लेख किए जाने पर लेखा नीति को परिवर्तित किया गया और उपचित आधार पर उपगत व्यय की सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायकता को आय के रूप में माना गया। तदनतर समूचे व्यय की मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदान सहायता से पूर्ति की जाती है और अधिशेष अनुदान अगले वर्ष में अग्रेषित किया गया है। जब तक उपचित आधार पर वर्ष के लिए व्यय मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई मंजूरी से कम है तो आय से व्यय अधिक नहीं होगा चूंकि अधिक मंजूरी अगले वर्ष में अग्रेषित की जाती है।

9. देयताओं के लिए प्रावधान

वार्षिक लेखा लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार ग्रेच्युटी, छुट्टी वेतन, पेंशन, अंशदान, सीपीएफ/ईपीएफ, समरूप अंशदान, लेखा परीक्षा फीस इत्यादि जैसी बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों के लिए प्रावधानों को किया गया है और लेखों में दर्शाया गया है।

10. माल सूची

विनियमों के सार संग्रह की माल सूची पूर्ववर्ती वर्ष तक के लिए परिगणित नहीं की जा रही। जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है। इसे 2016–17 से परिगणित किया गया है।

11. **अनुसूची 1 से 14** को 31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है।

12. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित किया गया है।

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां और आस्तियां

(₹ लाखों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17	भुगतान	चालू वर्ष 2017-18	पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17
1. ज्व व्यमदपदह ठंसंदबमे			**1. खर्चों द्वारा**		
			(क) स्थापना खर्च		
(क) बैंक शेष			(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	189.87	199.50
(i) चालू खातों में:			(ii) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	679.58	515.97
कार्पोरेशन बैंक –बचत खाता(सीएलएसबी)	-	1.00	(iii) भत्ते और बोनस	162.64	237.36
कार्पोरेशन बैंक –बचत खाता(सीएनपीएसबी)	1,484.97	1,077.15	(iv) वृत्तिक और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	346.54	754.24
			(v) छुट्टी नकदीकरण	12.65	9.37
(ii) बचत खातों में :			(ख) यात्रा खर्चे		
कार्पोरेशन बैंक –बचत खाता(सीएनपीएसबी)	3.19	23.85	(i) विदेश यात्रा	0.99	3.26
			(ii) घरेलू यात्रा	33.81	30.74
(iii) सावधि जमा	463.37	429.55	(ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य देख रेख	59.08	40.10
			(घ) अन्य स्थापना खर्चे		
(ख) रोकड़ शेष	0.20	-	(i) ट्यूशन फीस/सीईए	2.11	7.20
			(ii) एलटीसी	12.04	6.04
			(ङ) भविष्य निधि में अंशदान	79.81	77.62
2. विद्युत मंत्रालय निधि से जारी	4,215.00	4,471.92	(च) अन्य निधियों में अंशदान		
			(i) सीपीएफ मैचिंग अंशदान	2.69	3.70
3. आयोग की प्राप्ति के लिए			(ii) एनपीएस मैचिंग अशंदान	3.19	2.17
(i) ब्याज प्राप्ति			(छ) कर्मचारी कल्याण खर्चे	34.70	34.80
- ऑटो स्वीप जमा पर ब्याज	195.93	198.59			
- बचत खातों से ब्याज	1.17	0.01	**2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा**		
- पेनेल्टी ऍडीआर से जुड़ा ब्याज	32.91	33.82			
			(क) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	490.81	311.86
(ii) कंपेंडियम की बिक्री	0.66	1.17	(ख) विद्युत एवं ऊर्जा	52.81	52.68
			(ग) जल प्रभार	5.74	7.93
(iii) अखबारों की बिक्री	0.25	0.44	(घ) नकद संचालन पर बीमा	0.00	0.12

जारी...

(₹ in Lacs)

(iv) आयोग द्वारा फीस प्रभाग			(ङ) मरम्मत एवं रखरखाव	5.28	2.50
- फाइलिंग फीस	860.50	851.00	(च) किराया, रेट और कर	1,481.10	1,330.90
- अनुज्ञप्ति फीस	4,234.26	4,024.23	(छ) वाहन चलन और रख रखाव		
- टैरिफ फीस	7,452.86	7,307.56	(i) टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	55.49	50.21
- वार्षिक पंजीकरण शुल्क	58.00	58.00	(ii) चालन और रख रखाव	14.01	16.71
			(ज) पोस्टेज, टेलीफोन और संसूचना प्रभार	33.27	41.69
- जुर्माना	1.00	4.00	(झ) मुद्रण और स्टेशनरी	22.27	33.02
- अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	48.51	41.77	(ञ) यात्रा और वाहन	1.44	2.13
- आरटीआई फीस	0.00	0.10	(ट) संगोष्ठी/बैठकों के खर्चे	21.40	20.74
			(ठ) अभिदाय खर्चे	66.32	65.91
(v) विविध प्राप्तियां	43.51	19.81	(ड) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस	0.00	3.41
			(ढ) विज्ञापन और प्रचार	38.68	42.40
4. ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए			(ण) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
			- एमसी ईपीबीएक्स	0.82	0.76
(क) स्टॉफ से अग्रिमों की वसूली			- एएमसी फोटोकापी मशीन	6.53	7.38
(i) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	1.04	1.10	- एएमसी एयर कंडीशनर	11.55	5.90
(ii) स्कूटर/मोटर साइकिल अग्रिम	0.07	0.07	- एएमसी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर	9.42	1.63
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)			- एएमसी यूपीएस	0.79	0.58
- उत्सव	-	0.23	- एएमसी इलेक्ट्रिसिटी	2.37	2.83
- अग्रदाय	0.96	1.96	- एयर कंडीशनर यूपीएस मेंटीनेंस	5.67	12.21
			- पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	13.85	14.50
(ख) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली			- बैडविथ प्रभार	1.10	2.87
(i) अन्य अग्रिम (खर्चे)	-	2.20	- भवन मरम्मत एवं रखरखाव	22.19	10.26
			- उपभोग्य	0.74	1.33
(ग) अन्य जमा			- कम्प्यूटर मरम्मत एवं रख रखाव	5.00	1.89
(i) प्रतिभूति जमा	30.82	14.62	- सुविधा प्रबंध प्रभार कंप्यूटर	0.00	5.78
			- मानदेय व्यय	0.10	-
5. विप्रेषण प्राप्तियों के लिए			- सूचना प्रणाली लाइसेंस फीस	20.30	41.53
			- विविध व्यय	0.72	0.78
			- प्रशिक्षण व्यय	0.60	1.03
(क) प्रतिनियुक्तियों पर टैरिफ	1.05	1.36			

जारी...

(₹ in Lacs)

(ख) लाईसेंस फीस	1.37	1.12			
(ग) आयकर (वेतन/गैर वेतन)	230.74	245.84	**3. <u>किए कए निक्षेप</u>**		
(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	0.21	0.10	(क) प्रतिभूति निक्षेप	0.39	15.77
(ङ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना	0.15	0.15			
(च) अन्य प्राप्तियां			**4. <u>(I) कर्मचारीवृंद को अग्रिम द्वारा</u>**		
- ईपीएफ/जीएसएलआई वसूली	4.82	3.94	(क) मोटर कार/कम्प्यूटर अग्रिम	0.00	0.30
- सीपीएफ मैंचिंग अंशदान/ईपीएफ/जीएसएलआई/जीपीएफ/एनपीएस	116.62	97.76	(ख) स्कूटर मोटर साईकिल अग्रिम	2.35	8.91
- डीटीई	0.05	-			
- एफ टीई वसूली	0.10	0.39	**<u>(II) आकस्मिक अग्रिमों द्वारा</u>**		
- एलटीसी वसूली	0.16	0.06	(क) प्रदायकर्त्ता को अग्रिम	7.95	8.48
- एचबीए वसूली	0.44	1.55			
- अनुज्ञप्ति फीस की वसूली(आवास लीज)	0.41	0.38	**<u>(III) अन्य द्वारा</u>**		
- प्राप्त ग्रेच्युटी	11.69	9.66	(क) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	23.22	1.90
- छुट्टी वेतन अंशदान	1.08	1.05			
- पेंशन अंशदान	-	0.69	**<u>(IV) समायोजन/विप्रेषण</u>**		
.			(क) जीपीएफ/सीपीएफ/		
6. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आरईसी जमा			ईपीएफ आदि/अग्रिम		
- प्राप्ति	77,186.89	-	- विप्रेषित जीपीएफ वसूली	31.43	29.83
- Interest on flexi deposit	538.81	-	- विप्रेषित ईपीएफ वसूली (सीईआरसी कर्मचारी स्वैच्छिक)	81.99	55.97
			- विप्रेषित (स्वैच्छिक) ईपीएफ वसूली	1.85	3.60
6. <u>अन्य प्राप्तियों के लिए</u>			- विप्रेषित सीपीएफ वसूली	1.61	2.49
			- विप्रेषित एनपीएस वसूली	2.70	2.02
- एफओआईआर/एफओआर/साफिर	24.43	25.50	(ख) अनुज्ञप्ति फीस	1.37	1.12
- प्राप्त अधिक फीस	7.36	2.19	(ग) आयकर (वेतन/गैर वेतन)	230.74	245.84
- आस्ति की बिक्री	0.44	0.26	(घ) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	0.21	0.10
- वेतन	-	1.63	(ङ) सीजीईजीआईएस/सीईईआईएस	0.15	0.15
- प्राप्त मानदेय	0.05	0.05	(च) भवन निर्माण अग्रिम	8.77	1.55
- अग्रीम किराया	0.27	0.23	(छ) अन्य वसूलियां (एनपीएस)	1.49	1.95
- किराया वसूली	-	0.16			
- प्राप्त मानदेय	0.64	-			

जारी...

(₹ in Lacs)

			5. अंशदानों द्वारा		
			(क) पेंशन	12.02	10.33
			(ख) छुट्टी वेतन	40.93	10.56
			(ग) ग्रेच्युटी	23.79	12.11
			6. नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म व्यय द्वारा		
			(क) फर्नीचर और फिटींग	0.95	27.62
			(ख) मशीनरी और उपकरण	48.15	21.49
			(ग) पुस्तकालय पुस्तकें	0.00	0.30
			(घ) पुस्तकालय पुस्तकें	12.63	-
			7. अन्य द्वारा		
			(क) वापस ली गई फीस	3.00	-
			8. केविविआ निधि को अंतरित निधियां (भारतीय लोक लेखा)	12,926.70	12,528.56
			9. हाथ में नकदी	0.00	0.20
			10. अंतिम शेष द्वारा		
			(i) चालू खातों में:		
			कारपोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	1,510.79	1,484.97
			सैन्ट्रल बैंक (आटो स्वीप सहित)	47.59	-
			(ii) बचत खातों में :		
			कार्पोरेशन बैंक (आटो स्वीप सहित)	0.15	3.19
			कार्पोरेशन बैंक – आरईसी जमा (आटो स्वीप सहित)	77,725.70	-
			(iil) **सावधि जमा**	498.27	463.37
	97,256.96	18,958.22		97256.96	18958.22

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुबन्ध-XIII

संगठन चार्ट

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

(31-03-2018 के अनुसार)

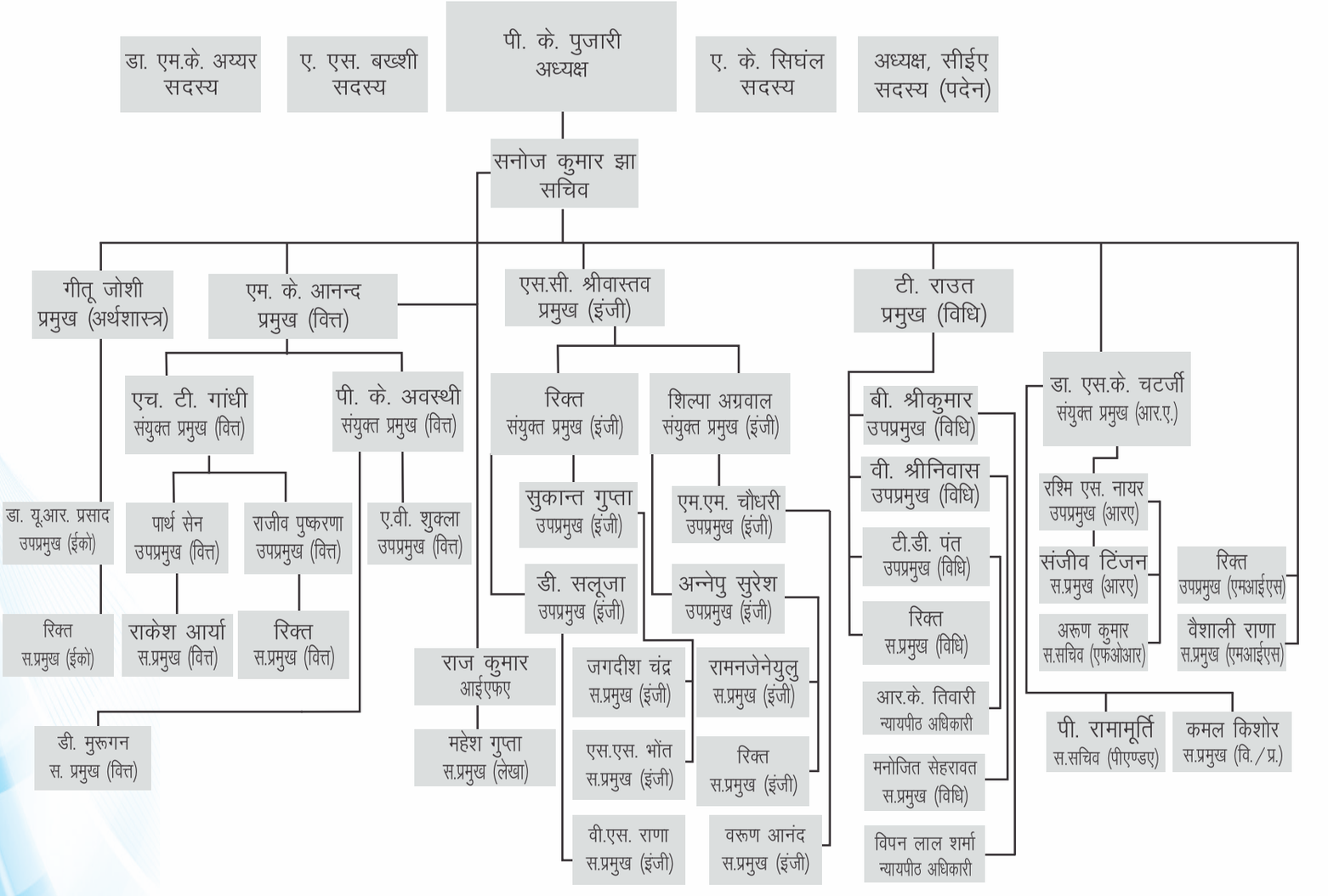

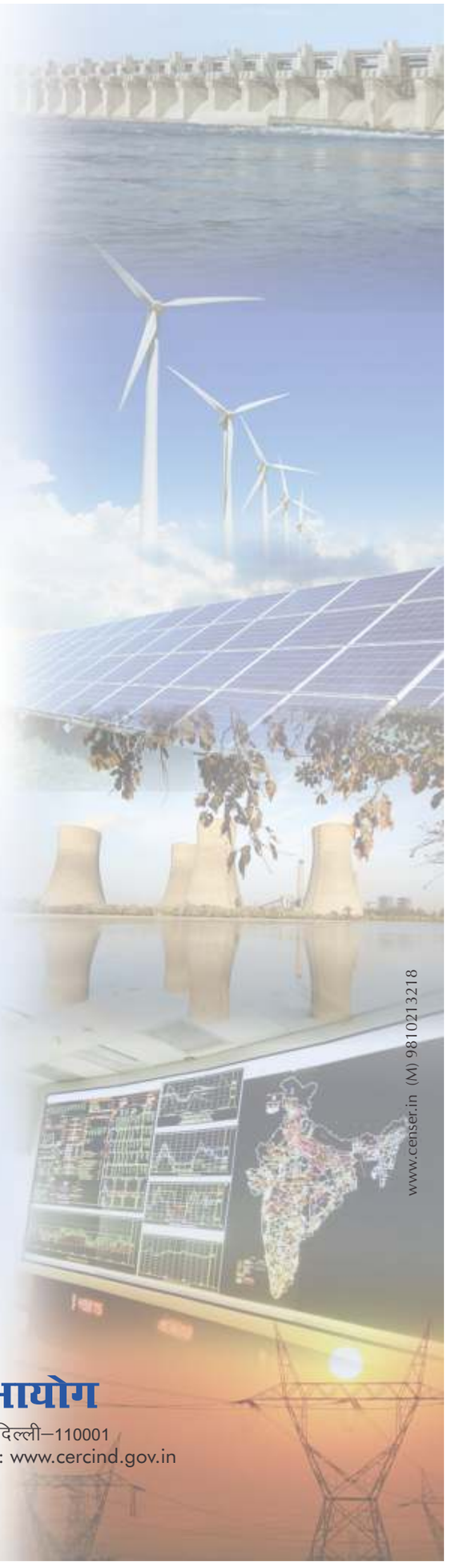

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
फोन : +91–11–23353503, फैक्स : +91–11–23753923, वेबसाइट: www.cercind.gov.in

www.censer.in (M) 9810213218